सत्यमेव जयते

लोकायुक्त राजस्थान

36वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

अन्तर्गत धारा 12(4) राजस्थान लोकायुक्त तथा
उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973

01.01.2024 से 31.12.2024

पी.के.लोहरा
लोकायुक्त, राजस्थान

प्रस्तावना

लोकायुक्त, राजस्थान के रूप में मैं ये चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (अर्थात् 36वाँ) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (**''जिसे संक्षिप्त में अधिनियम से सम्बोधित किया जावेगा''**) की धारा 12 की उपधारा–4 की अनुपालना में राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

उक्त 'अधिनियम' की धारा 12(4) के अनुसार लोकायुक्त का ये दायित्व है कि वह अपने कार्यों एवं प्रदर्शन का समस्त विवरण अंकित करते हुये राज्यपाल महोदय को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह प्रतिवेदन लोकायुक्त संस्था की कार्यवाहियों का 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक सम्पूर्ण विस्तृत विवरण है।

'अधिनियम' को सुशासन में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिये लागू किया गया था। सुशासन का अर्थ एक कुशल और विश्वसनीय प्रशासन से है। नागरिकों के अनुकूल शासन प्रणाली को पूर्णता तक पहुँचाने के लिये सरकार द्वारा सभी प्रयास किये जाते हैं। हालांकि, प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार/पक्षपात/भाई–भतीजावाद पर रोक लगाने के लिये एक निष्पक्ष/स्वतन्त्र प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के चलते लोकायुक्त का कार्यालय अस्तित्व में आया।

राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना 03 फरवरी, 1973 को हुई थी और इस संस्था ने 03 फरवरी, 2023 को अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाते हुये एक एतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। पाँच दशकों से यह प्रतिष्ठित संस्था नागरिकों की व्यथाओं का समाधान करने और उनके त्वरित निराकरण के लिये निरन्तर प्रयासरत रही है। संस्था अपनी स्थापना की तिथि से ही पूर्णतया निष्पक्षता, समर्पण और ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों और दायित्त्वों का निर्वहन करने हेतु कृत संकल्प है और उसी के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा रही है। निष्पक्षता, समर्पण भावना और ईमानदारी आज भी इस संस्था की मार्गदर्शक शक्ति बनी हुई है। इस वर्ष संस्था के समक्ष कुल **2068** परिवाद प्राप्त हुये और संस्था द्वारा पूर्ण समर्पण भावना से कार्य करते हुये कुल **2311** परिवादों का सुक्ष्मता से अवलोकन कर निस्तारण किया गया। वस्तुतः संस्था द्वारा इस वर्ष संस्थित परिवादों के परिप्रेक्ष्य में **240** से अधिक परिवादों का निस्तारण कर लम्बित मामलों की संख्या कम करने का अथक प्रयास किया गया। चूँकि संस्था द्वारा परिवादों का सुक्ष्मता से वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने के उपरान्त निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश परिवादियों को वांछित महत्त्वपूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

लोकायुक्त संस्था की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और अपरिहार्यता इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि संस्था में हर वर्ष प्रकरणों की वृद्धि हो रही हैं। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि ''**न्याय में विलम्ब न्याय का हनन है**'', यह संस्था इस सिद्धान्त की अक्षरशः पालना करते हुये यह सुनिश्चित करती है कि व्यथित पक्षकार के प्रकरण का निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण हो सके ताकि उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो सके। प्रदेश के

जागरूक नागरिक लोकसेवकों के भ्रष्ट आचरण, अधिकारों के दुरूपयोग और कर्त्तव्यों के प्रति निष्क्रियता के मुद्‌दों के विरूद्ध मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और इस संस्था के समक्ष निडर होकर परिवाद पेश कर रहे हैं। शिकायतों में उल्लेखित आक्षेपों की गम्भीरता और उनमें निहित लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुये लोकायुक्त संस्था वांछित प्रभावशील कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

लोकायुक्त संस्था की इस वर्ष की उपलब्धियों में से एक भ्रष्टाचार में लिप्त लोकसेवकों से वृह्द धनराशि/राजस्व की सफल वसूली है। इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति संस्था द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही और दृढ़ हस्तक्षेप से ही सम्भव हो पायी है। संस्था के अथक प्रयासों से इस वर्ष राजकोष को **5,45,00,000/—रूपये (अक्षरे पाँच करोड़ पैंतालीस लाख रूपये)** की राशि प्राप्त हुई है।

उपरोक्त राजकोष में वृद्धि के अलावा इस वर्ष प्रकरणों की जाँच में यह भी प्रकाश में आया कि कई लोकसेवकगणों ने अपने कत्तव्यों और दायित्त्वों के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण, अधिकारों के दुरूपयोग और दायित्वहीनता के कृत्य कारित किये है। वस्तुतः जाँच एवं अन्वेषण में इस संस्था ने यह पाया कि जो लोकसेवक कत्तव्यों के प्रति उदासीन, भ्रष्ट आचरण अथवा अधिकारों के दुरूपयोग हेतु उत्तरदायी है, उनके विरूद्ध सक्षम अनुशासनिक अधिकारी को वांछित अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की जावें। संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों में 26 दोषी कार्मिकों के

विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी को कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई।

अलावा इसके इस सचिवालय द्वारा विभिन्न परिवादों में की गई कार्यवाही एवं प्रयासों के फलस्वरूप विभागीय स्तर पर 184 लोकसेवकगण कत्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही, दायित्त्वहीनता और अधिकारों के दुरूपयोग हेतु आक्षेपित किये गये और संस्था की सिफारिश पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के तहत विभागीय जाँच प्रारम्भ करवायी गई। इस प्रकार सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप इस वर्ष कुल 184 लोकसेवकों के विरूद्ध सम्बन्धित विभाग के स्तर पर सेवा नियमों के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही अमल में लायी गई।

इन व्यवहारिक उपलब्धियों के अलावा संस्था ने राज्य में वर्तमान विधिक ढ़ांचे को मजबूत करने और कुछ विभागों द्वारा अपनायी गई त्रुटिपूर्ण विभागीय जाँच प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिये गम्भीर प्रयास किये गये। ऐसे उदाहरण पत्रावली क्रमांक– एफ.16(776)लोआस/2014 एवं एफ.16(729) लोआस/2014 में दर्ज है जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित किये गये निम्न दण्ड नियमानुकूल नहीं थे :–

- नियम 17 सीसीए के तहत भविष्य में सतर्कता की सलाह दी गई।
- नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत चार वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड लगाया गया।

उक्त दोनों मामलों में सम्बन्धित विभाग प्रमुखों को अनुपालना एवं प्रणालीगत सुधार सुनिश्चित करने के लिये सुझााव दिया गया।

इस सचिवालय में परिवादी रामावतार द्वारा परिवाद संख्या–एफ.15(4)लोआस/2023 वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दर्ज करवाया गया। परिवाद की प्रारम्भिक जाँच/परीक्षण के दौरान विभाग से किये गये पत्राचार एवं प्रतिउत्तर, प्रतिवेदन आदि के सूक्ष्म अध्ययन एवं जाँच/परीक्षण से वन मण्डल अलवर के रेंज राजगढ़ में 11 कार्यस्थलों पर मृदा कार्य में राजकीय कोष को **15,54,78,082/– + 2,30,63,975/–रूपये कुल 17.85 करोड** की राशि की आर्थिक क्षति लोकसेवकों द्वारा पहुंचाने का कृत्य प्रकाश में आया अर्थात् राजकीय कोष से उक्त राशि अवैध रूप से आहरित की गई थी। इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का संज्ञान लेकर सचिवालय द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप श्री अपूर्ण कृष्ण श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा, तत्कालीन उप वन संरक्षक, अलवर के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील), नियम–8 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विभागीय स्तर पर निर्णय लिया गया एवं श्री संजय सोनी, श्री हंसराज मीणा, सहायक लेखाधिकारीगण, श्री दीपक मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्री नरेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद मीणा, सहायक वनपाल, श्रीमती निरमा बाई सैनी, सहायक वनपाल एवं श्री मनोहर लाल, तकनीशियन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करवायी गई। इसके अलावा सचिवालय के पत्राचार के उपरान्त इन दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध 17.85 करोड रूपये

की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वर्तमान में विभागीय जाँच कार्यवाही के अलावा वसूली की कार्यवाही भी विभागीय स्तर पर लम्बित है। चूँकि यह राजकोष को वृह्द वित्तीय क्षति का मामला है इसलिये लोकायुक्त संस्था पूर्णरूपेण दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रकरण में वसूली की कार्यवाही हेतु निरन्तर विभागीय स्तर पर प्रगति रिपोर्ट मंगवा रही है और वसूली की कार्यवाही हेतु पूर्णतया गम्भीर है। लोकायुक्त संस्था का यह प्रयास रहेगा कि राजकोष की क्षति को विभागीय स्तर पर गम्भीरता से लिया जावें और त्वरित वसूली कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

यह व्यापक प्रतिवेदन लोकायुक्त संस्था का समृद्ध इतिहास, उसके अधिकार क्षेत्र, जाँच प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण का सारांश प्रदान करता है। इसके अलावा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जो विभिन्न सिफारिशें और सुझाव सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं, वे भी इनमें सम्मिलित किये गये हैं।

लोकायुक्त को सौंपे गये कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण और इसके लिये संस्था से आवश्यक सुदृढ़ता अनिवार्य है। संस्था द्वारा कई बुनियादी ढ़ाचे की कमियों और अभावों के बावजूद अपने उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। नागरिकों की समस्याओं को समझने और उसके समाधान करने के मामले में संस्था पूर्णतया उत्साहवर्द्धक है और यह आश्वस्त करती है कि पीड़ित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु भविष्य में भी संस्था पूर्णतया कटिबद्ध रहेगी।

इस वर्ष, मुझे हरियाणा के माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री हरिपाल वर्मा और हिमाचल प्रदेश के माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सी.बी. बारोवालिया, के साथ एक रचनात्मक संवाद में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे संबंधित संस्थानों की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों पर विचारों का आदान–प्रदान इस बात का सजीव प्रमाण था कि पूरे देश के लोकायुक्तों को सामूहिक सहयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है :–

''एक मात्र लकड़ी तोड़ी जा सकती है,
परन्तु लकड़ियों का गट्ठर हो तो
उसे तोड़ना अत्यन्त कठिन है।''

अंग्रेजी में सही तौर से कहा गया है कि ''**Union is the Strength**'' इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोकायुक्त राष्ट्रव्यापी स्तर पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करे।

राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों का अटूट समर्थन इस संस्था के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उनकी सहायता के बिना, इस संस्था के लिए अपने व्यापक उद्देश्यों एवं दायित्वों को पूरी तरह और कुशलतापूर्वक पूरा करना एक असंभव कार्य होता।

अंत में, मैं यह स्वीकार करना आवश्यक समझता हूं कि इस संस्था की सफलता इसके कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता और परिश्रम के कारण संभव हुई है। जवाबदेही के प्रकाशस्तंभ के रूप में, लोकायुक्त संस्था अपने

हितधारकों के सामूहिक प्रयासों पर फलती–फूलती है। कहा भी गया है, "टीमवर्क काम को बांटता है और सफलता को गुणा करता है," और यह इस संस्था की उपलब्धियों के लिए सच भी है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी, इस संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, जिससे यह सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी की खोज में सकारात्मक और परिवर्तनकारी परिणाम प्रदान करना जारी रखेगी।

स्थान : जयपुर
दिनांक : जनवरी 01, 2025

(पी.के. लोहरा)
लोकायुक्त, राजस्थान

अनुक्रमणिका

		विवरण	पृष्ठ संख्या
लोकायुक्त संस्था का परिचय			**1–20**
		इतिहास एवं पृष्ठभूमि	1
		अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ	4
		जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया	5
		प्रशासनिक स्थिति एंव बजट	9
		आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	11
		तुलनात्मक विवरण	12
		वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं	14
अध्याय–1		सम्पादित कार्य	**21–46**
		सम्पादित कार्य	21
	1.1	लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	24
	1.2	धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण	26
	1.3	अन्वेषण प्रकरणों का विवरण	27
	1.4	प्रारिम्भक जाँच प्रकरणों का विवरण	28
	1.5	विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या	29
	1.6	धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची	31
	1.7	दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची	33

	1.8	विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या	41
	1.9	इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण	43
अध्याय–2	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गतं प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण		**47–84**
अध्याय–3	अनुतोष के प्रकरण		**85–232**
विविध			**233–236**
	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि		233
	सचिव की पदस्थापन अवधि		236
	लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा		

लोकायुक्त
संस्था
का परिचय

- इतिहास एवं पृष्ठभूमि
- अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ
- जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया
- प्रशासनिक स्थिति एवं बजट
- आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ
- तुलनात्मक विवरण
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं

लोकायुक्त संस्था का परिचय

इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई जहाँ वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे–धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नार्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के

दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका–विश्वकोश में नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशों में 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ – ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गड़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' में यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। राजस्थान में वर्ष 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही जो अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश में 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल

ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जन आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुतः इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 में पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित किया। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र में किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायतों की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य–सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों तथा अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध निम्न अभिकथनों के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 में ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य–मंत्री या उप–मंत्री;

"सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं।

"अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से हैः–

1. प्रत्येक मंत्री;
2. प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप–प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप–प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;

4. नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप–महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।
5. निम्नलिखित की सेवा में या वेतनभोगी के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :–
   (i) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;
   (ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);
   (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;
   (iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज–पत्र में सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय में विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक अभिलेख सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हो तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत

दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ में प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवकों को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप परीक्षणोपरान्त प्रमाणित नहीं हो या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस हेतु प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच में परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है तथा उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त है जैसेः–

1. किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
2. किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
3. शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
5. साक्षियों या अभिलेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
6. अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारों का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही में ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव में स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोनों पक्षों को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन के उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की गई अनुशंसा के अनुरुप है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की गई अनुशंसा के अनुरुप/सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को

''**विशेष प्रतिवेदन**'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ''**विशेष प्रतिवेदन**'' एवं उप–धारा (4) के अधीन प्राप्त ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

<u>कालावधि दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024</u>

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	उप सचिव	1	1	0
3	संयुक्त विधि परामर्शी	1	1	0
4	सहायक सचिव	2	2	0
5	निजी सचिव	2	2	0
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	0	1
8	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0
9	अनुभाग अधिकारी	5	4	1
10	प्रोग्रामर	1	1	0
11	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	1	1	0
12	जन सम्पर्क अधिकारी	1	0	1
13	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
14	सहायक अनुभागाधिकारी	6	1	5
15	निजी सहायक	3	2	1
16	आशुलिपिक	3	2	1
17	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0
18	सूचना सहायक	5	1	4
19	लिपिक ग्रेड–प्रथम	10	10	0
20	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	16	8	8
21	वाहन चालक	6	6	0
22	जमादार	2	2	0
23	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	18	3
24	प्रोसेस सर्वर	4	4	0
कुल		99	74	25

वित्तीय वर्ष 2024–2025 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले 01.01.2024 से 31.12.2024 तक हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक व्यय	दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक व्यय
1	01– संवेतन	80000000	0	29127375	55080585
2	03–यात्रा भत्ता	100000	0	62919	0
3	04– चिकित्सा भत्ता	450000	0	140451	97826
4	05–कार्यालय व्यय	1300000	0	495333	961596
5	06–वाहनों का क्रय	1000	2700000 अतिरिक्त		2584172
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	300000	0	155092	226387
7	08– वृत्तिक और विशिष्ठ सेवाएं	50000	0	13278	1050
8	11–विज्ञापन,विक्रय,प्रचार और प्रसार व्यय	15000	0	2550	0
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय	30000	0	6420	28132
10	19–विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	200000	0	72191	157155
11	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	200000	0	110650	118820
12	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	1000	0	399329	0
13	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	50000	0	38653	7097
14	36– वाहनों का किराया	1000	0	0	0
15	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	62000	0	0	56000
16	41–संविदा व्यय	1800000	0	446667	1334025
17	62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	510000	0	299820	319723
	कुल राशि	**85070000**	**0**	**31370728**	**60972568**

*वाहनों का क्रय हेतु राशि 2700000/– रूपये का अतिरिक्त बजट आवंटित कराया गया।

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

1. लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण को पूरे वर्ष के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2022 से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन देशपर्व पर विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति पत्र देकर माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाना निश्चित किया गया।

   वर्ष 2024 में माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों से 15 अगस्त, 2024 को लोकायुक्त सचिवालय के निम्न 11 कार्मिकों (अधिकारी व कर्मचारीगण) को विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया :—

   1. श्री श्याम सुन्दर व्यास, संयुक्त विधि परामर्शी
   2. श्री श्याम लाल कुमावत, निजी सचिव
   3. श्री मनोज कुमार पारीक, निजी सचिव
   4. श्रीमती सुषमा मेहरोत्रा, पुस्तकालयध्यक्ष
   5. श्री रवि कुमार गुप्ता, अतिरिक्त निजी सचिव
   6. श्री राजेश कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी
   7. श्रीमती प्रतिभा सिंह, लिपिक ग्रेड—प्रथम
   8. श्री नितिन शर्मा, लिपिक ग्रेड—प्रथम
   9. श्री मोहन लाल चौधरी, वरिष्ठ सहायक
   10. श्री प्रकाश चन्द मीणा, वाहन चालक
   11. श्री राकेश कुमार मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2. माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा उनके राजकीय आवास पर सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस का पर्व झंडारोहण कर सामूहिक रूप से मनाया गया।

तुलनात्मक विवरण

	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024
परिवाद का विवरण	दिनांक 01.01.2023 को 3936 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2023 की अवधि में 2063 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 5999 परिवादों में से 1958 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2023 को 4041 परिवाद लम्बित रहे।	दिनांक 01.01.2024 को 4041 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2024 की अवधि में 2068 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 6109 परिवादों में से 2311 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2024 को 3798 परिवाद लम्बित रहे।
अनुतोष के प्रकरण	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 241 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 271 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।
प्रारम्भिक जाँच प्रकरण	दिनांक 01.01.2023 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 01 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 21 प्रकरणों में से 02 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 05 प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2023 को 14 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।	दिनांक 01.01.2024 को 14 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 01 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 15 प्रकरणों में से 04 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 02 प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 06 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2024 को 09 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

अन्वेषण प्रकरण	दिनांक 01.01.2023 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 28 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 60 प्रकरणों में से 04 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 17 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 21 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12. 2023 को 39 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।	दिनांक 01.01.2024 को 39 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 08 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 47 प्रकरणों में से 05 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 12 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 17 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2024 को 30 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।
अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में कुल 17 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में कुल 12 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएँ व अपेक्षाएँ

कुप्रशासन एक दीमक की तरह है जो धीरे–धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। भ्रष्टाचार इस समस्या का मूल कारण है जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। हालांकि भारत में कई भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ विद्यमान हैं लेकिन इनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ मुश्किल से स्वतंत्र हैं। यहां तक कि सीबीआई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**पिंजरे का तोता**" और "**मालिक की आवाज**" के रूप में लेबल किया गया है।

वास्तव में अगर देखा जाए तो इन एजेंसियों में से कई तो केवल सलाहकार निकाय मात्र हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई प्रभावी शक्ति ही नहीं है और उनके मार्गदर्शन का शायद ही कभी पालन किया जाता हो। आंतरिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की समस्या भी मौजूद है और इसके अलावा, इन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रभावी और अलग तंत्र भी नहीं है।

यह एक सामान्य अनुभव है कि आम नागरिकों को अक्सर सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में अनुचित देरी, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर–दर भटकने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन लोकायुक्त संस्था ही एक ऐसी संस्था है जो सामान्य रूप से प्रेषित की गई शिकायत/पत्रादि पर भी ध्यान देती है। यह संस्था एक ओर भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग या अकर्मण्यता बरतने वाले लोकसेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाती है और पीड़ित को त्वरित और सस्ती

राहत/न्याय दिलाने में मदद करती है, वही दूसरी ओर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही भी करती है।

राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और इससे व्यापक रूप से पीड़ित जनमानस को समुचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में किए गए विभिन्न प्रावधान तत्समय की परिस्थितियों में प्रांसगिक और पर्याप्त हो सकते थे, किन्तु लगभग 49 वर्ष पश्चात् आज की परिवर्तित परिस्थितियों में ये सर्वथा अपर्याप्त है। अतः समय की मांग है कि लोकायुक्त संस्था को एक अनुशंसा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ बनाया जावे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को व्यापक किया जावे और उसे आवश्यक संगठनात्मक संरचना और वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध कराई जावे।

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान की स्थापना से लेकर अब तक निरन्तर रूप से, प्राप्त शिकायतों की संख्या में बहुगुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 1973–83 के दशक में जहां लगभग 600 नई शिकायतें औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त हुई, वहीं वर्ष 2021 में लगभग 1,500 वर्ष 2022 में लगभग 2200, वर्ष 2023 में 2063 एवं वर्ष 2024 में 2068 नवीन शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1973–83 के दशक में औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्तमान में लगभग 3½ गुणा से भी अधिक नई शिकायतें प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही हैं, लेकिन इन अधिक शिकायतों की तुलना में इस सचिवालय के स्टॉफ और संरचना में आनुपातिक वृद्धि नगण्य ही रही है।

संगठनात्मक वृद्धि के अलावा, इस सचिवालय का सीमित क्षेत्राधिकार भी लोकसेवकों द्वारा कारित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की प्रभावी रोकथाम में प्रमुख बाधा साबित हो रहा है। विगत अनुभव एवं आंकड़े इस ओर इंगित करते हैं कि गंभीर दुराचरण में लिप्त लोकसेवक या अपने कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कोताही बरतने वाले

लोकसेवक, क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच और दाण्डिक कार्यवाही से, न केवल बच निकलते है अपितु अन्य लोकसेवकों के लिए उदाहरण बन जाते है। उदाहरणार्थ, पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाली धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरूपयोग करने की अनेकानेक शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच में लोकसेवकों/जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरतने और राजकोष को हानि पहुंचाने के ठोस सबूत होने के बावजूद भी, आरोपियों के विरूद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही न करने की बाध्यता रही है, जिससे न केवल दोषी लोकसेवकों को अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है अपितु गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि की प्रभावी वसूली भी उनसे संभव नहीं हो पा रही है।

लोकायुक्त संस्था की राज्य सरकार से प्रमुख अपेक्षाएं

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(ग) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं विधिवत परीक्षण और अन्वेषण के लिए, संगठन को निम्नलिखित चार कार्यात्मक विंगों में विभाजित किया जाना चाहिए :–

(1) प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः

अनुभाग का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है। जो सम्पूर्ण संगठन के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए उप

सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

(2) परीक्षण / जांच अनुभागः

परिवादों के परीक्षण व जांच हेतु लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त की सहायता के लिए, जिला न्यायाधीश के स्तर के अधिकारियों को विशेषाधिकारी के रूप में तैनात किया जाना चाहिए और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों को उसके सहायक के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। ये अधिकारी उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं।

(3) विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment [SPE]):

ऐसे अपराधों की जांच के लिए एसपीई का गठन किया जाना चाहिए, जो लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करें। उनकी मदद पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, और अन्य रैंक के पुलिसकर्मी हो। एसपीई द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी सीधे रूप से लोकायुक्त के पास होनी चाहिए।

(4) तकनीकी सेलः

तकनीकी सेल, तकनीकी प्रकृति की शिकायतों के परीक्षण / जांच से संबंध रखती है। उक्त परीक्षण / जांच अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जाकर अधीनस्थ के बतौर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियन्ता और तकनीकी सहायक नियुक्त किये जा सकते हैं।

सार रूप में, भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम हेतु वर्तमान परिस्थितियों में उक्त संगठनात्मक संरचना का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है और इस हेतु लोकायुक्त, राजस्थान को विद्यमान स्टॉफ के अलावा, निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध कराये जाने वांछनीय है–

क्रस	विवरण	वर्तमान संख्या	प्रस्तावित संख्या	वृद्धि
(अ)	**प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः**			
1.	वरिष्ठ उप सचिव	0	1	1
2.	उप सचिव	1	3	2
3.	सहायक सचिव	2	3	1
4.	अनुभाग अधिकारी	5	6	1
(ब)	**परीक्षण/जांच अनुभाग :**			
1.	निदेशक (जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर का अधिकारी)	–	1	1
2.	सीनियर सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
3.	सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
(स)	**विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.)**			
1.	पुलिस अधीक्षक	–	1	1
2.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	–	1	1
3.	उप पुलिस अधीक्षक	–	2	2
4.	पुलिस निरीक्षक	–	3	3
5.	सहायक पुलिस निरीक्षक	–	5	5
6.	हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल	–	15	15
(द)	**तकनीकी सेल :**			
1.	अधिशाषी अभियन्ता	–	1	1
2.	सहायक अभियन्ता	–	2	2
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	–	2	2
4.	सहायक नगर नियोजक/तकनीकी सहायक	–	2	2

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम में परिभाषित '**लोकसेवक**' की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाना चाहिए–

(अ) सरपंच एवं उप सरपंच।

(ब) को–ऑपरेटिव सोसायटियों व नगर निगम के चैयरमेन, उप–चेयरमेन, प्रबन्ध निदेशक और सदस्य।

(स) नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि स्थानीय निकायों के पार्षद।

(द) राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार व स्टॉफ।

(य) सरकार द्वारा वित्तपोषित समस्त गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के समस्त पदाधिकारी

(2) विद्यमान प्रावधानों के अनुसार एक लोकसेवक इस सचिवालय में शिकायत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अतः लोकसेवकों को भी लोकायुक्त में शिकायत करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है।

(3) देश के अन्य लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान को भी सम्पत्ति एवं दस्तावेजों के सर्च एण्ड सीजर हेतु वारण्ट जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की जानी चाहिए।

(4) केरल लोकायुक्त अधिनियम की भाँति लोकायुक्त, राजस्थान को भी सीपीसी के प्रावधानानुसार मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा पारित करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए।

(5) महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरला लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान द्वारा की गई जाँच उपरान्त लोकसेवकों के सम्बन्ध में की गई या अन्य सुधारात्मक सिफारिशें भी बाध्यकारी की जानी चाहिए।

(स) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

उक्त प्रशासनिक एव संगठनात्मक संरचना का सम्पूर्ण प्रबन्धन और नियन्त्रण एकल रूप से लोकायुक्त में निहित किया जाकर, स्वायत्तता होनी चाहिए। इस हेतु समय–समय पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की मांगनुरूप तत्काल उपलब्धता राज्य सरकार स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्याय – 1
सम्पादित कार्य

- **परिवादों का विवरण**
- **परिशिष्ट** 1.1 लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.2 धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.3 अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.4 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.5 विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.6 धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची
- **परिशिष्ट** 1.7 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
- **परिशिष्ट** 1.8 विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.9 इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण

अध्याय–1

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024) में सम्पादित कार्यों का विवरण दिया जा रहा है।

परिवादों का विवरण

दिनांक 01.01.2024 को 4041 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2024 की अवधि में 2068 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल परिवादों 6109 में से 2311 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2024 को 3798 परिवाद लम्बित रहे।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.1 में दिया गया है।

अन्वेषण पश्चात् धारा 12(1) में सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंषा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में कुल 12 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकरणों का **संक्षिप्त विवरण अध्याय 2** में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट–1.2 में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरण

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणों का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2024 को कुल 39 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 08 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 47 प्रकरणों में से 05 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 12 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 17 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2024 को 30 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।

अन्वेषण प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.3 में दिया गया है।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2024 को 14 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 01 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 15 प्रकरणों में से 04 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 02 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 06 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2024 को 09 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.4 में दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय की कार्यवाही पर 111 प्रकरणों में विभागों द्वारा 184 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई जिनमें से कुछ प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय 3** में दिया गया है।

परिशिष्ठ–1.5 में जिन लोकसेवकों पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई है, उनके विभागों का शीर्ष अनुसार विवरण दिया गया है।

परिशष्ट–1.6 में इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची दी गई है।

परिशष्ट–1.7 में जिन लोकसेवकों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है उनके नाम, पदनाम एवं विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में 271 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। जिनका संक्षिप्त विवरण **अध्याय 4** में दिया गया है।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.8 में दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि कुल लगभग 5.45 करोड़ रुपये ।

विवरण परिशिष्ट–1.9 में दिया गया है।

परिशिष्ट 1.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

हैड	Department Name	विभाग का नाम	31 दिसम्बर 2023 तक कुल लम्बित शिकायतें	01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक निस्तारित की गई शिकायतें	दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को लम्बित शिकायतें
2	Agriculture	कृषि	14	14	28	13	15
3	Police	पुलिस	304	311	615	332	283
4	Co-Operative	सहकारिता	28	13	41	21	20
5	Education	शिक्षा	106	59	165	48	117
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	6	2	8	3	5
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	17	6	23	11	12
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	77	35	112	39	73
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	33	18	51	17	34
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	26	43	69	46	23
11	Revenue	राजस्व	432	393	825	470	355
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	927	403	1330	559	771
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	1	0	1	1	0
14	Transport	परिवहन	5	10	15	10	5
15	Forest	वन	28	13	41	10	31
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	837	233	1070	251	819
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	187	107	294	80	214

18	Excise	आबकारी	4	6	10	3	7
19	Industries	उद्योग	15	7	22	10	12
20	Printing & Stationary	मुद्रण	0	0	0	0	0
21	Animal Husbandary	पशुपालन	4	4	8	4	4
22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	11	0	11	0	11
23	Irrigation	सिंचाई	8	7	15	9	6
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	1	1	2	1	1
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	592	0	592	0	592
26	Colonnization	उपनिवेशन	4	0	4	0	4
28	Judiciary	न्याय	0	3	3	3	0
29	Jails	कारागार	1	2	3	3	0
30	Labour	श्रम	8	7	15	10	5
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	25	17	42	18	24
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	10	11	21	20	1
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	2	2	4	2	2
34	Secretariat	शासन सचिवालय	6	3	9	4	5
35	Miscellaneous	विविध	218	281	499	241	258
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	9	1	10	0	10
41	Ayurved	आयुर्वेद	7	1	8	3	5
42	Devsthan	देवस्थान	7	3	10	6	4
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	8	2	10	4	6
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	4	1	5	3	2
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	39	7	46	7	39
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	0	0	0	0	0
47	Insurance	बीमा	29	39	68	46	22
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	1	3	4	3	1
Total			**4041**	**2068**	**6109**	**2311**	**3798**

परिशिष्ट–1.2

धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण जिनमें सक्षम प्राधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिए अनुशंषा की गई।

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

क्र.सं.	विवरण
1	3(214)/LAS/2021
2	3(621)/LAS/2017
3	17(5)/LAS/2021
4	3(142)/LAS/2022
5	16(8)/LAS/2020
6	3(264)/LAS/2019
7	3(53)/LAS/2022
8	16(197)/LAS/2014
9	17(127)/LAS/2016
10	2(4)/LAS/2021
11	35(146)/LAS/2019
12	35(78)/LAS/2019

परिशिष्ट–1.3

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2024 को लम्बित	39
2	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	08
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	47
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	0
8	आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	05
9	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
10	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण	12
11	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4–10)	17
12	दिनांक 31.12.2024 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	30

परिशिष्ट–1.4

प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2024 को लम्बित	14
2	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि में संस्थित	01
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	15
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	04
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	0
8	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
9	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	02
10	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	0
11	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंषा के प्रकरण	0
12	कुल निस्तारित प्रारम्भिक जांच (योग क्रम संख्या 4–11)	06
13	दिनांक 31.12.2024 को लम्बित प्रारम्भिक जांच	09

परिशिष्ट–1.5

विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या

कालावधि दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

हैड	**Department Name**	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	0
3	Police	पुलिस	8
4	Co-Operative	सहकारिता	2
5	Education	शिक्षा	7
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	0
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	0
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	0
11	Revenue	राजस्व	13
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	63
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	0
14	Transport	परिवहन	0
15	Forest	वन	2
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	6
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	1
18	Excise	आबकारी	0
19	Industries	उद्योग	1
20	Printing & Stationary	मुद्रण	0
21	Animal Husbandary	पशुपालन	0

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	0
23	Irrigation	सिंचाई	1
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	0
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	0
26	Colonnization	उपनिवेशन	0
28	Judiciary	न्याय	0
29	Jails	कारागार	0
30	Labour	श्रम	0
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	1
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	0
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	0
34	Secretariat	शासन सचिवालय	0
35	Miscellaneous	विविध	2
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0
41	Ayurved	आयुर्वेद	0
42	Devsthan	देवस्थान	0
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	0
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	1
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	2
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	0
47	Insurance	बीमा	0
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	0
Total			**111**

परिशिष्ट–1.6

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये कुल 36 लोकसेवकों की सूची। (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

क्रसं	*पत्रावली संख्या*	*लोकसेवक का नाम एवं पदनाम*
1.	3(214)लोआस / 2021	श्री महावीर सिंह, तत्का. उप पंजीयक श्री रामस्वरूप बराला, तत्का.उप निरीक्षक
2.	3(621)लोआस / 2017	श्री कन्हैयालाल, तत्का.थानाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (सेवानिवृत्त) श्री सतीश चंद जांगिड, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त)
3.	17(5)लोआस / 2021	श्री राजेन्द्र सिंह चारण, तत्का. प्रवर्तन अधिकारी जेडीए, जयपुर श्री राजेन्द्र कुमार रावत, तत्का. प्रवर्तन अधिकारी जेडीए, जयपुर श्री सुरेश कुमार, तत्का. प्रवर्तन अधिकारी जेडीए,जयपुर
4.	3(142)लोआस / 2022	श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्का.वृत्ताधिकारी
5.	16(8)लोआस / 2020	श्री महेश गुर्जर, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बेंगू श्री प्रेमशंकर कुमावत, तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी श्री दिनेश कुमार शर्मा, जन स्वास्थ्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार बोरडे, जमादार श्री विनोद कुमार, सहायक जमादार
6.	3(264)लोआस / 2019	श्री महादेव प्रसाद, तत्कालीन हैड.कानि. श्री रामावतार कसाना, तत्कालीन हैड कानि.
7.	3(53)लोआस / 2022	श्री रामदिन शर्मा, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक श्री कुंवर सिंह, तत्का. सहायक उप निरीक्षक
8.	16(197)लोआस / 2014	श्री धर्मसिंह मीणा, तत्का.कनि.अभियन्ता

9.	17(127)लोआस/2016	श्री हरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उपायुक्त (सेवानिवृत्त) श्री कैलाश चंद यादव, तत्कालीन उपायुक्त (सेवानिवृत्त) श्री रामरतन शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती अंजू शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, श्री भंवर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, (सेवानिवृत्त) श्री रामचन्द्र, तत्कालीन तहसीलदार, (सेवानिवृत्त) श्री रामसिंह, तत्कालीन तहसीलदार, (सेवानिवृत्त) श्री शेराराम, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, (सेवानिवृत्त) श्री किशन खाण्डा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक श्री निर्मल शर्मा, सहायक नगर नियोजक (सेवानिवृत्त) श्री मलकियत सिंह, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, (सेवानिवृत्त)
10.	2(4)लोआस/2021	श्री नवीन गोदारा, तत्का. मण्डी सचिव
11.	35(146)लोआस/2019	श्री रविन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन आयुक्त श्री मनोज कुमार मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभि. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, तत्का.स्वास्थ्य निरीक्षक
12.	35(78)लोआस/2019	श्री मदनलाल मीना, तत्का.कार्यवाहक सहायक अभियंता श्री सतवीर सिंह, तत्कालीन कनि.अभियंता

परिशिष्ट–1.7

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा कुल 184 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची। (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम / पदनाम	विवरण
1.	3(262) / लोआस / 2021	• कृष्ण कुमार, थानाधिकारी	17 सीसीए
2.	3(287) / लोआस / 2021	• सुमेरदान चारण, पुलिस निरिक्षक	17 सीसीए
3.	3(158) / लोआस / 2022	• अम्बेराज सिंह, सहा. उप निरीक्षक	17 सीसीए
4.	3(223) / लोआस / 2022	• सुरेश कुमार, पुलिस निरिक्षक • महेश सिंह सांधू, पुलिस निरिक्षक	17 सीसीए
5.	3(341) / लोआस / 2022	• भवानी सिंह, पुलिस निरिक्षक • नरेन्द्र सिंह पंवार, पुलिस निरिक्षक	17 सीसीए
6.	3(343) / लोआस / 2022	• भवानी सिंह, पुलिस निरीक्षक • नरेन्द्र सिंह पंवार, पुलिस निरिक्षक	17 सीसीए
7.	3(361) / लोआस / 2022	• गौरव अमरावत, पुलिस उप अधीक्षक	17 सीसीए
8.	3(72) / लोआस / 2024	• रणजीत सिंह, सहायक उप निरिक्षक	17 सीसीए
9.	4(5) / लोआस / 2019	• अमित कुमार शर्मा, शाखा प्रभारी	17 सीसीए
10.	4(21) / लोआस / 2024	• इन्द्रराज सिंह सैनी, उप रजिस्ट्रार, सेवानिवृत	16 सीसीए
11.	5(165) / लोआस / 2017	• राजाराम मीणा, बीईईओ • बाबमलाल मीणा, अध्यापक • जितेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यापक	16 सीसीए
12.	5(174) / लोआस / 2017	• राम रतन बैरवा, शाखा लिपिक • महावीर कुर्मी, लिपिक • विजय लक्ष्मी, लिपिक	17 सीसीए
13.	5(4) / लोआस / 2020	• ओमप्रकाश शर्मा, शारीरिक शिक्षक • सुरेन्द्र महर्षि, बीईईओ • बनविन्दर सिंह, बीईईओ • रणवीर सिंहांग, बीईईओ • जगदीश चन्द्र, बीईईओ • सुरेश कुमार कौशिक, बीईईओ • गोपाल कृष्ण, एसीबीईओ • सीताराम, वरिष्ठ सहायक	16 सीसीए

		• देवेन्द्र कुमार विश्नोई, वरिष्ठ सहायक • अंकुर सक्सेना, वरिष्ठ सहायक • राजेश कुमार, कनिष्ठ सहायक • हंसराज, सीबीईओ • विजय जैन, सीबीईओ • जितेन्द्र वाजपेयी, सहायक लेखाधिकारी	
14.	5(14)/लोआस/2021	• संजय कुमार, प्रधानाचार्य	16 सीसीए
15.	5(16)/लोआस/2022	• देवदत्त आर्य, व्याख्याता	16 सीसीए
16.	5(21)/लोआस/2022	• शंकरलाल मीणा, व्याख्याता	16 सीसीए
17.	5(42)/लोआस/2023	• ब्रजराज, शारीरिक शिक्षक	16 सीसीए
18.	8(29)/लोआस/2020	• डॉ रविन्द्र सिंह, सहा आचार्य	16 सीसीए
19.	11(154)/लोआस/2013	• बाल कृष्ण तिवाडी, आर ए एस	17 सीसीए
20.	11(36)/लोआस/2019	• भागीरथ मल, तत्कालीन पटवारी	16 सीसीए
21.	11(80)/लोआस/2020	• प्रदीप चारण, पटवारी	17 सीसीए
22.	11(116)/लोआस/2021	• हिम्मत सिंह चौहान, भू अ नि • महेश पांचाल, पटवारी	16 सीसीए
23.	11(343)/लोआस/2021	• मुकश कुमार गुर्जर, पटवारी	17 सीसीए
24.	11(47)/लोआस/2022	• महेन्द्र सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी • द्वारका प्रसाद शर्मा, तहसीलदार • मातादीन गुर्जर, पटवारी	16 सीसीए
25.	11(102)/लोआस/2022	• भीक सिंह, पटवारी	16 सीसीए
26.	11(252)/लोआस/2022	• केशव कुमार मीना, उपखण्ड अधिकारी • अशोक कुमार मीणा, भू अ नि • राजेन्द्र कुमार मीणा, पटवारी	16 सीसीए
27.	11(274)/लोआस/2022	• विकास नागर, कनिष्ठ सहायक	16 सीसीए
28.	11(280)/लोआस/2022	• ओम प्रकाश मीणा, पंजीयन लिपिक	17 सीसीए
29.	11(298)/लोआस/2022	• सुरेश कुमार मीणा, सहा प्रशा अधिकारी	17 सीसीए
30.	11(361)/लोआस/2022	• नरसीराम, भू अ नि • सविता मीणा, पटवारी	16 सीसीए
31.	11(31)/लोआस/2023	• द्वारका प्रसाद, तत्कालीन उप पंजीयक • रवि, उप पंजीयक लिपिक	16 सीसीए

32.	12(195)/लोआस/2014	• शोभा राम गोदारा, कनिष्ठ अभियन्ता • लूणाराम, सचिव	16 सीसीए
33.	12(270)/लोआस/2015	• प्रियंका मीणा, आर आर डी एस	17 सीसीए
		• मोहन सिंह, आर आर डी एस	17 सीसीए
		• मुकेश जैमन, आर आर डी एस	17 सीसीए
		• दिनेश सिंह कटारा, आर आर डी एस	17 सीसीए
		• श्रीकांत शर्मा, सहा अभियन्ता	मौखिक चेतावनी
		• समय सिंह मीनाा, सहा अभियन्ता	अलिखित चेतावनी
		• रामस्वरूप सैनी, सहा अभियन्ता	3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी
		• मनीराम जाटव, सहा अभियन्ता	3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी
		• प्रदीप विरयानी, सहा अभियन्ता	अलिखित चेतावनी
		• सुखाराम मीना, सहा लेखाधिकारी	अलिखित चेतावनी
		• महेन्द्र सिंह मीनाा, सहा लेखाधिकारी	3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी
		• सुरेश कुमार बंसल, एईएन	17 सीसीए
		• जगदीश सैनी, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
34.	12(562)/लोआस/2015	• हरिसिंह चाहर, पटवारी • सीमा खेतान, तहसीलदार	17 सीसीए
35.	12(337)/लोआस/2016	• पवन कुमार अग्रवाल, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
36.	12(568)/लोआस/2016	• शिवराज पारीक, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
37.	12(49)/लोआस/2017	• बरकत अली, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
38.	12(243)/लोआस/2017	• लाभशंकर नागदा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
39.	12(254)/लोआस/2017	• प्रेमचन्द योगी, ग्राम विकास अधिकारी • रामचरण बैरवा, सहा. अभियन्ता	17 सीसीए
40.	12(337)/लोआस/2017	• चौरेलाल सैनी, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए

41.	12(417)/लोआस/2017	• सम्पत सिंह राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी • गौरंती देवी, ग्राम विकास अधिकारी • धर्मसिंह, तत्कालीन सहा अभियन्ता	17 सीसीए
42.	12(677)/लोआस/2017	• ब्रजलाल, एईएन • रामचरण बैरवा, कनि अभियन्ता • मांगीलाल गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
43.	12(756)/लोआस/2017	• संगीता जाटव, तकनीकी सहायक • शिवलाल यादव, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
44.	12(7)/लोआस/2018	• शिवलाल विश्नोई, कनिष्ठ अभियन्ता	17 सीसीए
45.	12(11)/लोआस/2018	• प्रवीण कुमार जैन, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
46.	12(171)/लोआस/2018	• मनोज जोरवाल, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
47.	12(206)/लोआस/2018	• लूण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
48.	12(208)/लोआस/2018	• मकबूल खां, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
49.	12(224)/लोआस/2018	• अजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
50.	12(406)/लोआस/2018	• महेन्द्रपाल, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
51.	12(425)/लोआस/2018	• मंजू कंवर, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
52.	12(456)/लोआस/2018	• अमित दाधीच, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
53.	12(458)/लोआस/2018	• अमित दाधीच, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
54.	12(504)/लोआस/2018	• प्रवीण जैन, ग्राम विकास अधिकारी • राम निवास यादव, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
55.	12(550)/लोआस/2018	• बाबू लाल सुवालका, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
56.	12(623)/लोआस/2018	• गिरिश पुरोहित, कनिष्ठ तकनीकी सहायक • अमराराम, ग्राम विकास अधिकारी • कपिल देव, एईन	17 सीसीए
57.	12(624)/लोआस/2018	• महेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक • देवकीनन्दन शर्मा, पीईओ	17 सीसीए 16 सीसीए

58.	12(36)/लोआस/2019	• विक्रम सिंह, विकास अधिकारी • अजय वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए 16 सीसीए
59.	12(67)/लोआस/2019	• योगेश पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
60.	12(69)/लोआस/2019	• पी सी मीणा, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार (कृषि)	17 सीसीए
61.	12(137)/लोआस/2019	• रोहिताश मीना, कनिष्ठ सहायक	16 सीसीए
62.	12(148)/लोआस/2019	• मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	नोटिस
63.	12(175)/लोआस/2019	• गिर्राज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
64.	12(225)/लोआस/2019	• मनोज कुमार जोरवाल, ग्राम विकास अधिकारी • हेमराज मीना, कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए
65.	12(233)/लोआस/2019	• भगवानाराम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
66.	12(356)/लोआस/2019	• देवकीनन्दन शर्मा, सहायक विकास अधिकारी	16 सीसीए
67.	12(401)/लोआस/2019	• रामेश्वर लाल जाट, कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए
68.	12(132)/लोआस/2020	• प्रकाश चन्द सैनी, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
69.	12(65)/लोआस/2021	• चेतन कस्वा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
70.	12(95)/लोआस/2021	• प्रभुराम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
71.	12(137)/लोआस/2021	• अशोक कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
72.	12(200)/लोआस/2021	• धमेन्द्र मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी	16 सीसीए
73.	12(234)/लोआस/2021	• प्रभु लाल यादव, ग्राम विकास अधिकारी • सीमा रावल, कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए
74.	12(246)/लोआस/2021	• सूरज करण लडढा,ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
75.	12(251)/लोआस/2021	• ओम प्रकाश, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
76.	12(19)/लोआस/2022	• रमजान अली, तत्कानील एईएन • मुलाराम, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी • रामावतार गोलिया, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए

		• हनुमान, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	
77.	12(29)/लोआस/2022	• रामेश्वर प्रसाद शर्मा,तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
78.	12(56)/लोआस/2022	• चेटू सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
79.	12(111)/लोआस/2022	• संतोष सैन, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
80.	12(144)/लोआस/2022	• संजीव गोयल, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
81.	12(177)/लोआस/2022	• सुमेराराम मेघवाल, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
82.	12(178)/लोआस/2022	• रामपाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
83.	12(214)/लोआस/2022	• रामपाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
84.	12(232)/लोआस/2022	• रामपाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
85.	12(243)/लोआस/2022	• डूंगरलाल मोही	17 सीसीए
86.	12(364)/लोआस/2022	• डूंगरलाल मोही	17 सीसीए
87.	12(114)/लोआस/2023	• कजोड मल ग्वारिया, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
88.	12(181)/लोआस/2023	• जयराम तटवारिया, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
89.	12(298)/लोआस/2023	• त्रिलोक चन्द वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
90.	12(301)/लोआस/2023	• गोविन्द प्रसाद ताम्बोली, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
91.	12(374)/लोआस/2023	• सुरेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
92.	12(392)/लोआस/2023	• मदन लाल तफियार, कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए
93.	12(22)/लोआस/2024	• राजेन्द्र कुमार वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
94.	12(52)/लोआस/2024	• कमलेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
95.	15(10)/लोआस/2020	• जयसिंह रावत, सहायक वनपाल	16 सीसीए

96.	15(4)/लोआस/2023	• दीपक मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी • नरेश कुमार शर्मा, सहा प्रशा अधिकारी • जगदीश प्रसाद मीणा, सहायक वनपाल • निरमा बाई सैनी, सहायक वनपाल • मनोहर लाल, तकनीशियन	16 सीसीए
97.	16(31)/लोआस/2018	• श्रवण राम कुम्हार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
98.	16(282)/लोआस/2018	• सूरज मल जाट, भू अ नि • मोहम्मद कलीम, भू अ नि • योगश विजय, भू अ नि • जितेन्द्र शर्मा, पटवारी • श्योजीराम जाट, पटवारी	17 सीसीए
99.	16(34)/लोआस/2022	• जगदीश खीचड, तत्कालीन आयुक्त • मनीषा यादव, आयुक्त	17 सीसीए
100.	16(110)/लोआस/2022	• सुरेश हंस, हाल सहायक अतिक्रमण प्रभारी	16 सीसीए
101.	16(185)/लोआस/2022	• छगनलाल, तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी	17 सीसीए
102.	16(227)/लोआस/2022	• जोधाराम विश्नोई, • तेजाराम मीणा	16 सीसीए
103.	17(113)/लोआस/2019	• गौरी शंकर गुजर्र, ग्राम विकास अधिकारी • राम लाल गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए
104.	19(4)/लोआस/2018	• एस.के. गुप्ता, प्रभारी अधिकारी	अनुशासनात्मक कार्यवाही
105.	23(46)/लोआस/2016	• विक्रम सिंह शेखावत, कनिष्ठ अभियन्ता	17 सीसीए
106.	31(4)/लोआस/2018	• ताराचंद कुलदीप, सेवानिवृत अति. मुख्य अभियन्ता,	16 सीसीए
107.	35(150)/लोआस/2021	• भगवान सहाय शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी • दिनेश चन्द जैन, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए

108.	35(54)/लोआस/2023	• मोहन लाल जैन	17 सीसीए
109.	44(8)/लोआस/2016	• करणी सिंह, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी • ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त • बी एम माहेश्वरी, सहायक वाणिज्ययिक कर अधिकारी • ओ पी मंत्री, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी • लक्ष्मण सिंह राठौड, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	16 सीसीए
110.	45(31)/लोआस/2016	• रतन लाल प्रजापत, तत्कालीन सहा लेखाधिकारी	16 सीसीए
111.	45(2)/लोआस/2022	• रोहित शर्मा, डिप्टी मैनेजर, (मार्केटिंग)	17 सीसीए

परिशिष्ट–1.8

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

हैड	Department Name	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	2
3	Police	पुलिस	28
4	Co-Operative	सहकारिता	1
5	Education	शिक्षा	5
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	0
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	0
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	2
11	Revenue	राजस्व	40
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	80
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	1
14	Transport	परिवहन	1
15	Forest	वन	1
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	29
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	12
18	Excise	आबकारी	0
19	Industries	उद्योग	2
20	Printing & Stationary	मुद्रण	0
21	Animal Husbandary	पशुपालन	0

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	0
23	Irrigation	सिंचाई	1
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	0
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	0
26	Colonnization	उपनिवेशन	0
28	Judiciary	न्याय	0
29	Jails	कारागार	0
30	Labour	श्रम	1
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी2	2
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	3
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	0
34	Secretariat	शासन सचिवालय	0
35	Miscellaneous	विविध	16
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0
41	Ayurved	आयुर्वेद	0
42	Devsthan	देवस्थान	0
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	0
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	0
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	0
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	0
47	Insurance	बीमा	35
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	0
Total			**271**

परिशिष्ट–1.9

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

क्रम	पत्रावली संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1.	3(113)/LAS/2020	1.96
2.	7(35)/LAS/2018	0.09
3.	7(5)/LAS/2021	1.44
4.	7(2)/LAS/2024	0.14
5.	8(11)/LAS/2022	6.57
6.	12(84)/LAS/2013	6.24
7.	12(37)/LAS/2015	2.63
8.	12(270)/LAS/2015	1.65
9.	12(5)/LAS/2016	1.48
10.	12(324)/LAS/2016	1.24
11.	12(337)/LAS/2016	0.30
12.	12(568)/LAS/2016	0.25
13.	12(653)/LAS/2016	0.05
14.	12(666)/LAS/2016	0.45
15.	12(49)/LAS/2017	0.77
16.	12(199)/LAS/2017	4.70
17.	12(243)/LAS/2017	3.63
18.	12(254)/LAS/2017	1.06
19.	12(337)/LAS/2017	0.86
20.	12(345)/LAS/2017	0.98

21.	12(417)/LAS/2017	1.26
22.	12(439)/LAS/2017	0.08
23.	12(476)/LAS/2017	2.90
24.	12(477)/LAS/2017	0.29
25.	12(648)/LAS/2017	0.49
26.	12(657)/LAS/2017	0.78
27.	12(677)/LAS/2017	0.78
28.	12(7)/LAS/2018	0.45
29.	12(160)/LAS/2018	2.37
30.	12(177)/LAS/2018	0.01
31.	12(179)/LAS/2018	0.24
32.	12(206)/LAS/2018	1.42
33.	12(208)/LAS/2018	0.64
34.	12(224)/LAS/2018	2.99
35.	12(225)/LAS/2018	0.84
36.	12(290)/LAS/2018	0.28
37.	12(320)/LAS/2018	0.40
38.	12(378)/LAS/2018	0.19
39.	12(383)/LAS/2018	0.16
40.	12(425)/LAS/2018	3.00
41.	12(445)/LAS/2018	0.04
42.	12(446)/LAS/2018	0.16
43.	12(447)/LAS/2018	0.14
44.	12(504)/LAS/2018	0.72
45.	12(516)/LAS/2018	0.37
46.	12(524)/LAS/2018	0.60
47.	12(613)/LAS/2018	0.43

48.	12(623)/LAS/2018	2.13
49.	12(6)/LAS/2019	0.19
50.	12(36)/LAS/2019	6.53
51.	12(137)/LAS/2019	0.50
52.	12(148)/LAS/2019	0.67
53.	12(175)/LAS/2019	1.63
54.	12(225)/LAS/2019	0.11
55.	12(401)/LAS/2019	0.30
56.	12(498)/LAS/2019	0.11
57.	12(258)/LAS/2020	0.34
58.	12(38)/LAS/2021	3.09
59.	12(70)/LAS/2021	0.56
60.	12(96)/LAS/2021	0.01
61.	12(137)/LAS/2021	1.05
62.	12(200)/LAS/2021	2.10
63.	12(229)/LAS/2021	0.24
64.	12(246)/LAS/2021	1.21
65.	12(13)/LAS/2022	4.24
66.	12(41)/LAS/2022	7.69
67.	12(72)/LAS/2022	0.98
68.	12(108)/LAS/2022	1.20
69.	12(206)/LAS/2022	0.70
70.	12(214)/LAS/2022	0.43
71.	12(228)/LAS/2022	0.03
72.	12(250)/LAS/2022	0.03
73.	12(262)/LAS/2022	0.24
74.	12(295)/LAS/2022	0.19

75.	12(420)/LAS/2022	0.05
76.	12(449)/LAS/2022	0.00
77.	12(463)/LAS/2022	0.02
78.	12(481)/LAS/2022	0.25
79.	12(48)/LAS/2023	0.01
80.	12(56)/LAS/2023	0.04
81.	12(77)/LAS/2023	0.15
82.	12(112)/LAS/2023	0.06
83.	12(142)/LAS/2023	0.33
84.	16(91)/LAS/2022	1.59
85.	16(121)/LAS/2022	0.93
86.	35(113)/LAS/2020	125.71
87.	35(91)/LAS/2023	0.14
88.	45(56)/LAS/2018	254.98
89.	45(12)/LAS/2020	65.94
	कुल राशि	**545.20**

अध्याय – 2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

अध्याय–2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

एफ 3(214)लोआस / 2021

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार अजाडीवाल निवासी वार्ड संख्या 8, मण्डी कमेटी गेस्ट हाउस के पास, मुकुन्दगढ मण्डी, जिला झुन्झुनूं द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके द्वारा आम रास्ते को फर्जी तरीके से बेचान करने बाबत न्यायालय में परिवाद पेश किया था, जिस पर पुलिस थाना मुकुन्दगढ में भा.द.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 58 / 2021 दर्ज की गई थी । थानाधिकारी पुलिस थाना मुकुन्दगढ ने अपराधियों को बचाने के आशय से उनसे सांठ–गांठ कर, दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये बिना तथा उसका पक्ष सुने बिना ही उनके पक्ष में कार्यवाही कर दी और मामलें में एफ आर लगा दी गई ।

परिवादी का यह भी कथन है कि श्री सुशील कुमार द्वारा मृतक चिरंजीलाल तोलसरिया को जीवित होना बताकर कूटरचित शपथ पत्रों के आधार पर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया ।

अतः परिवादी द्वारा इस संबंध में मामले की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात लोकसेवकगण (1) श्री रामस्वरूप बराला, उप निरीक्षक एवं (2) श्री महावीर सिंह, तत्कालीन उप–पंजीयक के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973

की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्री रामस्वरूप बराला (तत्कालीन उप निरीक्षक)

यह है कि आप द्वारा दिनांक 05.10.2020 से दिनांक 06.10.2020 तक उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकुन्दगढ के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 58/2021 का विधिसम्मत सही एवं निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया गया । आप द्वारा प्रकरण के अनुसंधान में मुख्त्यारनामा जो कि स्व.श्री चिरंजीलाल द्वारा जारी किया गया था, की वर्ष 2017 में ही मृत्यु हो जाने के महत्वपूर्ण तथ्य के सन्दर्भ में जानबूझकर कोई जांच नहीं की, जबकि प्रकरण का मुख्य बिंदु यही था । इसी मुख्त्यारनामा के आधार पर दिनांक 05.10.2020 को उप पंजीयक, मुकुन्दगढ के यहां विक्रय पत्र निष्पादित हुआ ।

उक्त विक्रय पत्र निष्पादन होने के पश्चात श्री सुशील कुमार तोलासरिया द्वारा उप पंजीयक, मुकुन्दगढ के यहां दिनांक 06.10.2020 को प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, जिसमें मुख्त्यारनामाकर्ता जीवित होने व उनके द्वारा मुख्त्यारनामा निरस्त नहीं किये जाने व मुख्त्यारनामा दिनांक 06.10.2020 तक को वैध मानने का कथन किया है, जो उपलब्ध साक्ष्य से झूठा है एवं गलत रूप से तैयार किया गया है। इस संदर्भ में कोई जांच नहीं की गई, न ही इस तथ्य के संबंध में कोई जांच की गई कि प्रश्नगत संपति का पट्टा ग्राम पंचायत पबाना द्वारा जारी किया गया था अथवा नहीं । इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अनुसंधान किये बिना ही प्रकरण में एफ.आर सं.88 दिनांक 20.08.2021 प्रकरण में एफ.आर.अदम वकु झुठ में किता की । एतद्द्वारा आप द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आरोपियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से पद का दुरूपयोग करते हुए अनुसंधान के दौरान गंभीर लापरवाही व महत्वपूर्ण तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए प्रकरण में नकारात्मक (Negetive) अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

02. श्री महावीर सिंह (तत्कालीन उप पंजीयक)

यह है कि आप द्वारा दिनांक 30.09.2020 से दिनांक 06.10.2020 तक उप पंजीयक, मुकुन्दगढ के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2020 एवं विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2020 को पंजीबद्व करते समय रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित सारभूत व महत्वपूर्ण विनियमों की अवहेलना की।

आप द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 40 में पृ.सं.85 के क्रम सं. 202003454100441 पर विक्रय पत्र दिनांक 05.10. 2020 निष्पादित किया गया, जबकि मुख्त्यारनामा धारक सुशील कुमार पुत्र श्री चिंरजीलाल की ओर से मुख्त्यारनामाकर्ता जीवित होने व मुख्त्यारनामा निरस्त नहीं करने का शपथ पत्र दिनांक 06.10.2020 को प्राप्त किया गया, जो प्रश्नगत विक्रय पत्र के निष्पादन की दिनांक 05.10.2020 के पश्चात का है, अर्थात आप द्वारा बिना यह जांच किये हुए कि मुख्त्यारकर्ता चिरंजीलाल जीवित है या नहीं एवं वास्तविकता में उसकी मृत्यु वर्ष 2017 में होने के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपने पद का दुरूपयोग कर, अपने विधिसम्मत कर्तव्यपालन की उपेक्षा करते हुए प्रश्नगत विक्रय पत्र को निष्पादित किया ।

प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । परिवादी साक्ष्य लेखबद्व की गई एवं लोकसेवकगण द्वारा प्रतीपरीक्षा पूर्ण की गई।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन, संबंधित लोकसेवकगण के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री महावीर सिंह, तत्कालीन उप पंजीयक, मुकुन्दगढ़ एवं (2) श्री रामस्वरूप बराला, तत्कालीन उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा

12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई

साथ ही प्रकरण में मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर को भी अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए उन्हें राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2752—2753 / 2022 (बउनवान Asset Reconstruction Company (India) Ltd. vs. S.P.Velayutham & Ors. निर्णय दिनांक 04.05. 2022) में दिये गये दिशा निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर दस्तावेज का पंजीयन करने हेतु निर्देश प्रदान किये जाने एवं की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु अनुशंसा की गई ।

एफ 3(621)लोआस / 2017

परिवादिया श्रीमती रामवती जाट निवासी जाटोली कदीम, पुलिस थाना डीग, जिला भरतपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके पति सियाराम की दिनांक 22.11.2016 को पूछरी हाइवे पर हाकिम, राजेन्द्र व सुन्दर निवासी जाटोली कदीम द्वारा हत्या कर दी गई थी । जिसके संबंध में उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 627 / 2016, अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई । मेडिकल बोर्ड द्वारा मृत्यु का कारण आग्नेयास्त्र की चोट से अत्यधिक रक्तस्त्राव होना बताया, किन्तु 13 माह गुजरने के बाद भी पुलिस विभाग द्वारा मुलजिमों के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः परिवादिया द्वारा इस संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियो के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात लोकसेवकगण (1) श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (2) श्री सतीश चंद जांगिड, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं (3) श्री कन्हैयालाल, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया

01. श्री सुरेन्द्र कविया (तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)

यह है कि आप द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीग के पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना डीग की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.627/16 का अनुसंधान दिनांक 20.03.2017 से दिनांक 25.07.2017 तक किया गया । आप द्वारा प्रथम अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिये गये गवाहों से ही पुनः पुछताछ की । मृतक सियाराम की आग्नेयास्त्र की चोट सं.13 व 14 के संबंध में आपने गवाह श्री राहूल व श्री योगेश के बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. लेखबद्व किये, जिसमें यह तथ्य आया कि मृतक के मामा ने दुर्घटना के पश्चात सियाराम के कपडो में योजनाबद्व तरीके से किसी हथियार से छेद कर दिये, जिससे हाकिम पर सियाराम की हत्या का आरोप लगाकर राजीनामें के द्वारा अच्छे पैसे लिये जा सके तथा उसे हमेशा दबाव में रखा जा सके । आपके द्वारा ना तो इस कथनों के आधार पर सियाराम के मामा, परिवादी, मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई और ना ही हत्या के आरोप के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया

इस प्रकार आप द्वारा संदिग्ध आरोपियो को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

02. श्री सतीश चंद जांगिड (तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)

यह है कि आप द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.डी.एफ. भरतपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना डीग की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 627/16 का

अनुसंधान श्री कन्हैयालाल, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग एवं श्री सुरेन्द्र सिंह कविया, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीग द्वारा किया गया । पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के आदेशानुसार आपने उक्त अनुसंधान का सत्यापन किया । सत्यापन में आपने मृतक सियाराम की आग्नेयास्त्र की चोट सं.13 व 14 के संबंध में हत्या बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया तथा पूर्व अनुसंधान अधिकारियों द्वारा संकलित साक्ष्य को ही आधार मानकर बस चालक ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता तथा हाकिम सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित मानते हुए उक्त आरोपों में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की संस्तुति कर दी जबकि उक्त आरोपों को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी ।

इस प्रकार आप द्वारा संदिग्ध आरोपियो को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

03. श्री कन्हैयालाल (तत्कालीन थानाधिकारी, डीग)

यह है कि आप द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग के पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना डीग की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 627/16 का अनुसंधान किया गया । मृतक सियाराम की चोट सं.13 व 14 मेडिकल बोर्ड की राय अनुसार आग्नेयास्त्र से कारित चोट थी । इसके बावजूद भी आपने हत्या के आरोप के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया, बल्कि अनुसंधान में शुरू से इस प्रकार की साक्ष्य एकत्रित की कि यह घटना दुर्घटना साबित हों ।

आप द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 627/16 पुलिस थाना डीग में बाद अनुसंधान अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 279, 304ए भादसं. तथा हाकिम सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित मानें । संकलित साक्ष्य के अनुसार उक्त दोनो घटना पृथक–पृथक समय पर घटित हुई थी ।

इस प्रकार आप द्वारा संदिग्ध आरोपियो को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया

प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण द्वारा अपने प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये । प्रकरण में परिवादिया श्रीमती रामवती जाट की साक्ष्य लेखबद्व की गई एवं अपचारी लोकसेवकगण द्वारा परिवादिया से प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई एवं अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य में मौखिक गवाह प्रस्तुत किये गये ।

परिवादिया के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य,तर्क, विवेचन, संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक श्री कन्हैयालाल, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

प्रकरण में अन्य लोकसेवकगण (1) श्री सुरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (2) श्री सतीश चंद जांगिड, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रकट होना पाया गया किन्तु उक्त लोकसेवकगण के सेवानिवृत्त होने पर इनके विरूद्व अन्वेषण सम्बन्धी कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर ही समाप्त कर कर दिया गया है।

साथ ही प्रकरण में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को भी दस्तावेज परिशिष्ट "O", परिशिष्ट "P", एवं परिशिष्ट "R" की छायाप्रतियां पत्र के साथ भिजवाते हुए पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से उक्त परिशिष्टों के संबंध में स्पष्टीकरण इस सचिवालय में भिजवाने हेतु अनुशंसा की गई ।

एफ 17(5)लोआस / 2021

परिवादी श्री राम मोहन शर्मा, निवासी सुमेर नगर विस्तार, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर यह परिवाद तय फोटोग्राफ प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके भूखण्ड के पूर्व दिशा की तरफ भूखण्ड संख्या 36 (प्रश्नगत भूखण्ड) स्थित है। जिसके स्वामी द्वारा उसकी ओर छोड़े जाने वाले सम्पूर्ण सेट–बैक को कवर कर बिल्डिंग बॉयलॉज के विपरीत अवैध निर्माण किया जा रहा है ।

परिवादी नें इस संबंध में मुख्य नियत्रंक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रस्तुत शिकायत की प्रति भी परिवाद के साथ प्रस्तुत की गई ।

परिवादी द्वारा सेट बैक से अवैध निर्माण को हटवाये जाने एवं इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात लोकसेवकगण (1) श्री राजेन्द्र सिंह चारण, (2) श्री सुरेश कुमार एवं (3) श्री राजेन्द्र कुमार रावत (तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन पीआरएन साउथ, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद / स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्री राजेन्द्र सिंह चारण, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं

02. श्री राजेन्द्र कुमार रावत, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यह है कि आप द्वारा दिनांक 10.03.2022 से दिनांक 27.06.2022 तक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूखण्ड

संख्या एफ 36, सुमेर नगर विस्तार, मानसरोवर, गोल्यावास, जयपुर में बिल्डिंग बॉयलॉज के विपरीत जीरो सैटबैक पर किए गए अवैध निर्माण के विरूद्व विधि अनुसार सीज/ध्वस्तीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

इस प्रकार आप द्वारा अपने पदीय कर्तव्यपालन में लापरवाही एवं पद का दुरूपयोग किया गया ।

03. श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यह है कि आप द्वारा दिनांक 22.06.2022 से दिनांक 05.04.2023 तक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूखण्ड संख्या एफ 36, सुमेर नगर विस्तार, मानसरोवर, गोल्यावास, जयपुर में बिल्डिंग बॉयलॉज के विपरीत जीरो सैटबैक पर किए गए अवैध निर्माण के विरूद्व प्रकरण में दिनांक 15.11.2022 को अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थगन आदेश से पूर्व विधि अनुसार सीज/ध्वस्तीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

इस प्रकार आप द्वारा अपने पदीय कर्तव्यपालन में लापरवाही एवं पद का दुरूपयोग किया गया ।

प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । परिवादी राममोहन शर्मा की साक्ष्य पूर्ण की गई एवं अपचारी लोकसेवकगण द्वारा परिवादी से दौराने साक्ष्य प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन, संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री राजेन्द्र सिंह चारण, (2) श्री सुरेश कुमार एवं (3) श्री राजेन्द्र कुमार रावत (तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जेडीए, जयपुर) के विरूद्ध अपने कर्तव्यपालन में लापरवाही एवं पदीयशक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से,

इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

साथ ही प्रकरण में अन्य लोकसेवक श्री उदयभान सिंह, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी के विरूद्ध पृथक से पार्ट पत्रावली खोली जाकर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । जो वर्तमान में लोकसेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के प्रक्रम पर विचाराधीन है।

एफ 3(142)लोआस/2022

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह राजावत, निवासी बगीना हाउस, अम्बेडकर कॉलोनी, खेरदा जिला सवाई माधोपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि दिनांक 09.03.2021 को श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री विक्रम सिंह ने उसके साथ मारपीट की एवं चैन स्नैचिंग कर गला काटने की कोशिश की गई एवं उनके द्वारा उसके दोनों हाथ बांधकर कार संख्या आर जे 45 सी के 1762 में जबरन डालकर किडनेप किया और उसकी जीप संख्या आर जे 25 यूए 2349 के दोनों साईड ग्लास तोड़ दिये । इस संबंध में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2021, पुलिस थाना चोथ का बरवाडा में दर्ज करवाई गई ।

परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपराधियों द्वारा श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत ग्रामीण, जिला सवाई माधोपुर से मिलकर धारा 379 व 365 भारतीय दण्ड संहिता को हटवा दिया गया । जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र को दी, जिन्होने अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 को प्रमाणित माना ।

परिवादी द्वारा इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात लोकसेवक श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत ग्रामीण, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत ग्रामीण, जिला सवाईमाधोपुर

यह है कि आप द्वारा वृत्ताधिकारी, वृत ग्रामीण, जिला सवाई माधोपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना चोथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.74/2021, अंतर्गत धारा 323, 341, 342, 427, 365, 34भा.द.सं. का अनुसंधान किया गया उक्त प्रकरण में प्रथम अनुसंधान अधिकारी सलीमुद्वीन के द्वारा अनुसंधान किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 323, 341, 342, 427, 365, 34भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित माना गया तथा तत्पश्चात आप द्वारा भी उक्त प्रकरण में श्री सलीमुद्वीन द्वारा किये गये अनुसंधान पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए अंतर्गत धारा 323, 341, 342, 427, 365, 34 भा.द. सं. का अपराध प्रमाणित माना गया, किन्तु आप द्वारा अगले कार्य दिवस को बिना किसी युक्तिसंगत आधार के अनुसंधान प्रक्रिया से विपरीत जाकर अपने द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्व में अपराध अंतर्गत धारा 365 भा.द.सं. के अपराध का तथ्य आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित माने जाने के पश्चात उसे मनमाने रूप से हटा दिया, जबकि आपसे पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा आरोपीगण के विरूद्व अन्य धाराओ के अलावा 365 भा.द.सं. का अपराध भी अनुसंधान में प्रमाणित माना गया था ।

प्रश्नगत प्रकरण में धारा 365भा.द.सं. का आरोप ही अजमानतीय अपराध था, जिसे आप द्वारा अनुसंधान में अपने पद का दुरूपयोग एवं विधि दायित्वों की उपेक्षा

करते हुए विधि विरूद्ध व मनमाने रूप से हटाया जाकर आरोपीगण को पुलिस थाने में ही जमानत का लाभ दिलवाया गया ।

लोकसेवक द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन, संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत ग्रामीण जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

एफ 16(8)लोआस / 2020

परिवादी मोहम्मद जमील पुत्र अहमदनूर निवासी बेंगू, जिला चितौडगढ द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि नगरपालिका क्षेत्र बेंगू की आबादी भूमि खसरा संख्या 2030 / 1328 रकबा 0.71 हैक्टेयर पर 4–5 लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया, जिसकी शिकायत एस.डी.एम एवं तहसीलदार को करने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः परिवादी द्वारा अपने परिवाद के माध्यम से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपखण्ड अधिकारी, बेंगू द्वारा प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा सं. 2030 / 1328 में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु दिनांक 25.06.2019 को 5 सदस्य कमेटी का गठन

किया गया । कमेटी द्वारा दिनांक 16.07.2019 को प्रश्नगत भूमि पर चार व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया ।

विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कमेटी द्वारा 07.12.2019 तक प्रश्नगत अतिक्रमण हटाए जाने थे किन्तु उक्त कमेटी द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण नहीं हटाया गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री महेश गुर्जर, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी (2) श्री प्रेमशंकर कुमावत, तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी (3) श्री दिनेश कुमार शर्मा, तत्कालीन जन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी (4) श्री सुरेन्द्र कुमार बोरड़े तत्कालीन जमादार एवं (5) श्री विनोद कुमार हरिजन, तत्कालीन सहायक जमादार, नगरपालिका, बेंगू के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया

01. श्री विनोद कुमार तत्कालीन सहायक जमादार, नगरपालिका बेंगू ।

02. श्री सुरेन्द्र कुमार तत्कालीन जमादार, नगरपालिका बेंगू ।

03. श्री प्रेमशंकर कुमावत तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी नगरपालिका बेंगू ।

04. श्री दिनेश कुमार तत्कालीन जन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, नगरपालिका बेंगू ।

यह है कि आप द्वारा नगरपालिका बेंगू में अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा संख्या 2030/1328 में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु दिनांक 25.06.2019 को गठित 5 सदस्य कमेटी द्वारा दिनांक 16.07.2019 को प्रश्नगत भूमि पर चार व्यक्तियों का अतिक्रमण होना बताए जाने पर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बेंगू द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रश्नगत अतिक्रमण हटाए जाने के लिए चार सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आप सदस्य थे, किन्तु आप द्वारा अपने पद का दुरूपयोग एवं कर्तव्यपालन में लापरवाही कारित करते हुए,

सिविल न्यायालय, बेंगू द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की दिनांक 17.07.2020 तक उक्त अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में नियमानुसार कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई ।

05. श्री महेश गुर्जर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बेंगू ।

यह है कि आप द्वारा दिनांक 20.07.2019 से दिनांक 3.08.2020 तक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बेंगू के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा संख्या 2030/1328 में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु दिनांक 25.06.2019 को गठित 5 सदस्य कमेटी द्वारा दिनांक 16.07.2019 को प्रश्नगत भूमि पर चार व्यक्तियों का अतिक्रमण होना बताए जाने के बावजूद आप द्वारा अपने पद का दुरूपयोग एवं कर्तव्यपालन में लापरवाही कारित करते हुए, सिविल न्यायालय, बेंगू द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की दिनांक 17.07.2020 तक उक्त अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में नियमानुसार कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई ।

परिवादी के उक्त आरोपों के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री महेश गुर्जर, (2) श्री प्रेमशंकर कुमावत, (3) श्री दिनेश कुमार शर्मा, (4) श्री सुरेन्द्र कुमार बोरड़े एवं (5) श्री विनोद कुमार हरिजन के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं कर्तव्यपालन में लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

एफ 3(264)लोआस/2019

परिवादी श्री गिरीश कुमार शर्मा निवासी ई–186ए, रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि प्रशान्त शर्मा, उषा शर्मा व गजानंद शर्मा, पिंग टॉम नेटवर्क प्राईवेट लि., भारत गैस गोदाम के सामने, सिरसी रोड, जयपुर के निदेशक द्वारा एनएच–8 के सी जोन बाईपास सिरसी पुलिया

के नीचे तथा वैशाली नगर की तरफ की सर्विस रोड़ को काटकर डक्ट व ओएफसी केबल डाल दी जिससे सिरसी अण्डरपास रोड टूट गया इस बाबत उसके द्वारा कम्पनी के निदेशकों को शिकायत की गई तो निदेशकों ने रंजिशवश एक झूठी रिपोर्ट करणी विहार पुलिस थाने में की गई ।

जिसमें जांच अधिकारी श्री रामावतार कसाना, मुख्य आरक्षी महादेव प्रसाद, श्री महावीर सिंह, थानाधिकारी एवं श्री जितेन्द्र कुमार उप निरीक्षक द्वारा कम्पनी के अधिकारियों से मिलकर उसके विरूद्ध ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अतः परिवादी द्वारा अपने परिवाद के माध्यम से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री महावीर सिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना करणी विहार, (2) श्री महादेव प्रसाद, तत्कालीन हैड.कानि. एवं (3) श्री रामावतार, हैड कानि. के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

<u>01. श्री महावीर सिंह तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर</u>

यह है कि आप द्वारा दिनांक 12.06.2017 को थानाधिकारी, करणी विहार, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए श्री प्रशान्त शर्मा, पिंगटॉम नेटवर्क प्रा.लि. सिरसी रोड, जयपुर के परिवाद पार्ट–III आर 424 बाबत कम्पनी की अण्डरग्राउण्ड केबल काट कर बार बार चोरी करने के संबंध में श्री रामावतार हैड कानि. 443 को जांच सौपी गई थी।

इस प्रकार परिवादी श्री गिरीश शर्मा द्वारा पिंगटॉम नेटवर्क प्रा.लि. कुमकुम विहार, सिरसी रोड, जयपुर के निदेशको व कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति लिये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के सी जोन बाईपास, सिरसी पुलिस के नीचे तथा वैशाली नगर की तरफ सर्विस रोड को तोड़कर डक्ट और आएफसी केबल डालने की शिकायत की जांच आप द्वारा श्री महादेव प्रसाद, हैड कानि. 730 को सौपी गई थी।

यह है कि उक्त दोनो शिकायतों की जांच रिपोर्ट संबंधित द्वारा आपको प्रस्तुत की गई थी, लेकिन आपने इन रिपोर्टो में आये विरोधाभासी निष्कर्षो की पूर्णतः अनदेखी करते हुए, लापरवाहीपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मिलीभगत कर परिवादी गिरीश शर्मा के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही की और दूसरी जांच रिपोर्ट (जो गिरीश शर्मा के परिवाद में जांच थी) में आरोपी कम्पनी को क्लीन चिट दे दी ।

इस प्रकार आप द्वारा उक्त मामले में पिंगटॉम कम्पनी को अनुचित लाभ पंहुचाने के आशय से अपने कर्तव्यपालन में शिथिलता व लापरवाही बरतते हुए, न केवल अपने पद का दुरूपयोग किया अपितु अपने विधिक दायित्वों की उपेक्षा करते हुए जानबूझकर दोषियों के विरूद्व विधिनुसार कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की ।

02. श्री महादेव प्रसाद तत्कालीन हैड कानि. 730, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर

यह है कि आप द्वारा दिनांक 18.05.2018 को हैड कानि. 730, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए श्री गिरीश शर्मा द्वारा पिंगटॉम नेटवर्क प्रा. लि. कुमकुम विहार, सिरसी रोड, जयपुर के निदेशकों व कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति लिये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के सी जोन बाईपास, सिरसी पुलिस के नीचे तथा वैशाली नगर की तरफ सर्विस रोड को तोडकर डक्ट और आएफसी केबल डालने की शिकायत की जांच की गई थी ।

उक्त जांच में केबल संबंधी साक्ष्य होने के बावजूद आप द्वारा यह किस आधार पर माना कि पिंगटॉम कम्पनी द्वारा इंटरनेट संबंधी कार्य जरिए वायरलेस किया जाता

है जिसमें कम्पनी को केबल डालने की आवश्यकता नहीं है एवं आप द्वारा अपनी जांच में पिंगटॉम कम्पनी के निदेशकों व कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोन बाईपास, सिरसी पुलिस के नीचे, सर्विस रोड को तोडकर डक्ट व ओएफसी केबल डालना जांच में नहीं पाये जाने का क्या आधार था ।

इस प्रकार आप द्वारा उक्त मामले में जांच अधिकारी के रूप में पिंगटॉम कम्पनी को अनुचित लाभ पंहुचाने के दुराशय से मामले की सही एवं निष्पक्ष जांच नहीं की तथा अपने कर्तव्यपालन में शिथिलता व लापरवाही बरतते हुए व विधिक दायित्वों की उपेक्षा करते हुए पद का दुरूपयोग किया ।

03. श्री रामवतार कसाना तत्कालीन हैड कानि. 433, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर

यह है कि आप द्वारा दिनांक 12.06.2017 को हैड कानि.730, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत प्रकरण में श्री प्रशान्त शर्मा, पिंगटॉम नेटवर्क प्रा.लि. सिरसी रोड, जयपुर के परिवाद पार्ट–III आर 424 में जांच की गई थी ।

यह है कि आप द्वारा अपनी जांच में निम्न तथ्यों बाबत कोई जांच नहीं की––

1. वास्तव में काटी गई केबल पिंगटॉप कम्पनी की थी या नहीं ।

2. क्या केबल डालने हेतु पिंगटॉम कम्पनी के पास सक्षम स्तर की कोई वैद्य स्वीकृति थी ?

3. पिंगटॉम कम्पनी किस हैसियत से अण्डरग्राण्उड केबल डाल रही थी ?

4. यदि पिंगटॉम कम्पनी का टाटा कम्पनी से किसी प्रकार का कोई टाईअप था तो इस संबंध में आप द्वारा टाईअप/एग्रीमेंट की प्रति क्यों नहीं ली गई ?

5. प्रश्नगत प्रकरण में नक्शामौका नहीं बनाया गया । जिसके क्या कारण रहें ?

6. प्रकरण में पिंगटॉम कम्पनी के निदेशको द्वारा केबल चोरी करने के लिये श्री गिरीश कुमार पर संदेह जताया, तो तथ्यों की जांच किये बिना हीं आप द्वारा परिवादी के बयान लिये बिना एवं बिना उसका पक्ष सुने ही उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही किस आधार पर की गई ?

7. प्रकरण में प्रशान्त शर्मा, श्री गजानंद शर्मा व श्रीमती उषा शर्मा के बयान आप द्वारा लेखबद्व किये गये किन्तु प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्व नही किये गये । इसके क्या कारण रहे है ?

8. यदि केबल टाटा कम्यूनिकेशन द्वारा डाली गई थी तो केबल को नुकसान पहुंचाने की शिकायत टाटा कम्यूनिकेशन करती न कि पिंगटॉम कम्पनी । ऐसी स्थिति में पिंगटॉम कम्पनी की शिकायत पर परिवादी गिरीश शर्मा के विरूद्व कार्यवाही किया जाना विधिविरूद्व था ।

9. पिंगटॉम कम्पनी द्वारा केबल काटने की उक्त शिकायत अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व की गई थी, फिर जांच में आपको गिरीश शर्मा के विरूद्व ऐसी क्या साक्ष्य मिली जिससे यह पुष्टि होती हो कि केबल गिरीश शर्मा ने काटी थी और वह दोषी था ?

इस प्रकार आप द्वारा उक्त मामले में जांच अधिकारी के रूप में मामले की सही व निष्पक्ष जांच नहीं कर, पिंगटॉम कम्पनी को अनुचित लाभ पंहुचाने के दुराशय से अपने कर्तव्यपालन में शिथिलता व लापरवाही बरतते हुए व विधिक दायित्वों की उपेक्षा करते हुए पद का दुरूपयोग किया हैं।

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा उक्त आरोपो के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए दस्तावेजी साक्ष्य, तर्क, विवेचन को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री रामावतार कसाना,

तत्कालीन हैड कांस्टेबल (2) श्री महादेव प्रसाद तत्कालीन हैड कांस्टेबल के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं कर्तव्यपालन में लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

साथ ही प्रकरण में अन्य लोकसेवक श्री महावीर सिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर अन्वेषण कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर समाप्त किया गया ।

एफ 3(53)लोआस / 2022

परिवादी श्री अखिलेश कुमार जैन पुत्र स्व.श्री संतोष कुमार जैन निवासी ए 28, तिरूपति नगर, हिण्डोन सिटी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके द्वारा अपने वाहन को खुर्द बुर्द किये जाने की रिपोर्ट सं. 437 / 2018, पुलिस थाना हिण्डौन सिटी में पेश की, जिसमें लोकसेवक श्री रामदीन शर्मा, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक एवं श्री कुंवर सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक द्वारा आरोपी से मिलीभगत कर गलत अनुसंधान किया गया और मामलें में एफ आर प्रस्तुत करी दी गई ।

प्रकरण में इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई । जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट हुआ कि अनुसंधान अधिकारियों द्वारा पूर्ण अनुसंधान नहीं किया जाकर वाहन को जप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया जिससे अप्रार्थी को न्यायालय में जाने का पर्याप्त अवसर मिल गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री रामदीन शर्मा, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक एवं (2) श्री कुंवर सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त

अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया

01. श्री रामदीन शर्मा तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी, करौली ।

यह है कि दिनांक 15.08.2018 को सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी के पद परपदस्थापित रहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 473/18 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर, आप द्वारा परिवादी श्री अखिलेश कुमार को क्षति एवं तथाकथित को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से अभियुक्तगण श्री रवि मौरानी व अन्य से मिलीभगत कर परिवादी के आरोपानुसार उसके खुर्द–बुर्द हुए वाहन संख्या आर जे 29 टी ए 3434 बाबत न तो जप्ती की कार्यवाही की और ना ही उसके फोटो लिये एवं ना ही भौतिक सत्यापन किया तथा किसी भी न्यायालय का जप्ती के संदर्भ में विपरीत आदेश नहीं होने के बावजूद विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करना पद के दुरूपयोग व दुराचरण की श्रेणी में आते हैं ।

इस प्रकार आपने अपने कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतकर पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया ?

02. श्री कुंवर सिंह तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी, करौली ।

यह है कि दिनांक 18.09.2020 को सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 473/18 की पत्रावली न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2020 द्वारा अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर, आप द्वारा परिवादी श्री अखिलेश कुमार को क्षति एवं तथाकथित को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से अभियुक्तगण श्री रवि मौरानी व अन्य से मिलीभगत कर परिवादी के आरोपानुसार उसके खुर्द–बुर्द हुए वाहन संख्या आर जे 29 टीए 3434 बाबत न तो जप्ती की कार्यवाही की गई तथा मामलें में न्यायालय के आदेशानुसार

युक्तियुक्त अवधि में अनुसंधान पूर्ण नहीं करते हुए अपने कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतकर पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया ?

लोकसेवकगण श्री रामदीन शर्मा एवं श्री कुंवर सिंह द्वारा उक्त आरोपो के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में परिवादी श्री अखिलेश कुमार की साक्ष्य लेखबद्व की गई एवं अपचारी लोकसेवकगण द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन, संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री रामदीन शर्मा, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक एवं (2) श्री कुंवर सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए विधि अनुसार वाहन जप्त नहीं करने के प्रयास का दोषी पाये जाने का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

एफ 16(197)लोआस / 2014

परिवादी श्री गोपाल लाल शर्मा निवासी म.नं.60, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि मानसिंह कॉलोनी, टोंक रोड में प्लॉट संख्या 33 पर बिल्डर ऐंजल इन्फ्रा एस्टेट कॉरपोरेशन प्रा.लि. द्वारा जयपुर शहर में लागू ''भवन विनियमों'' की अवहेलना करते हुए एवं बिना विधिवत स्वीकृति लिए अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा 40 X 60 फीट में तहखाने का अवैध निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा उक्त निर्माण नहीं हटाया गया । परिवादी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई । जिसमें अवगत कराया गया है कि मानसिंह कॉलोनी, टोंक रोड में प्लॉट संख्या 33 पर अवैध निर्माण होने पर नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194/285 के अंतर्गत विभिन्न दिनांकों को नोटिस जारी किए गए है तथा प्रथम नोटिस को चालान की कार्यवाही हेतु विधि विभाग शाखा को भेज दिया गया है । उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मौके पर बेसमेन्ट, भूतल से तृतीय तल बना हुआ है एवं कोचिंग सेन्टर संचालित है ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात प्रकरण में अपचारी लोकसेवक श्रीमती नीलिमा तक्षक, तत्कालीन उपायुक्त, श्री सोहनराम चौधरी, तत्कालीन उपायुक्त, श्री प्रवीण नावंरिया, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री संजय कुमार मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री धर्म सिंह मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं सुश्री शिक्षा शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (नगर निगम मानसरोवर जोन, जयपुर) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्रीमती नीलिमा तक्षक, तत्कालीन उपायुक्त, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

02. श्री सोहनराम चौधरी, तत्कालीन उपायुक्त, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

03. श्री प्रवीण कुमार नावरिया, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

04. श्री संजय मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

05. सुश्री शिक्षा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

यह है कि मानसरोवर जोन, नगर निगम, जयपुर में अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए अपनी पदस्थापन अवधि में भूखण्ड संख्या 33 मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर में नगर निगम की निर्माण स्वीकृति के बिना बेसमेन्ट+जी+3भवन का जीरो सेटबैक पर

किए गए अवैध निर्माण के संबंध में आप द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही कारित करते हुए अवैध निर्माण को रोकने एवं उसके विरूद्ध सीज/ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई विधिसम्मत प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।

06. श्री धर्मसिंह मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर।

यह है कि दिनांक 12.05.2014 को कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, मानसरोवर जोन के पद पर पदस्थापित रहते हुए उक्त अवधि में भूखण्ड संख्या 33 मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर में नगर निगम की निर्माण स्वीकृति के बिना बेसमेन्ट+जी+3 भवन का जीरो सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माण को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा सीज/ध्वस्त करने की कार्यवाही के आदेश के बावजूद भी आप द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही कारित करते हुए प्रकरण में अवैध निर्माण के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई, जबकि प्रकरण में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था ।

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । परिवादी साक्ष्य हेतु अनुपस्थित रहने पर उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं प्रलेखिय साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक श्री धर्मसिंह मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध अपने पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही का मामला प्रमाणित पाये जाने पर, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई

साथ ही अन्य लोकसेवकगण (1) श्रीमती नीलिमा तक्षक, तत्कालीन उपायुक्त, (2) श्री सोहनराम चौधरी, तत्कालीन उपायुक्त, (3) श्री प्रवीण नावंरिया, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, (4) श्री संजय कुमार मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं (5) सुश्री शिक्षा शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (नगर निगम मानसरोवर जोन, जयपुर) के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जानें पर उनके विरूद्ध विचाराधीन अन्वेषण कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर समाप्त किया गया ।

एफ 17(127)लोआस / 2016

परिवादी श्री धूडाराम सैनी निवासी म.नं.62, शंकर नगर ए, मुरलीपुरा, जयपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि जयपुर के सीकर रोड स्थित मुरलीपुरा क्षेत्र के ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेडा, तहसील, जयपुर के खसरा संख्या 49–55 (गैर मुमकिन नाला) की भूमि में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा नाले की भूमि के भाग को सम्मिलित कर अवैध तरीके से योजनाएं सृजित कर, फर्जी पट्टे जारी कर दिये गये । उक्त पट्टो के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा पट्टो एवं साईट प्लानों की जांच किये बिना भ्रष्टाचारपूर्वक गैर मुमकिन नाले की भूमि में स्थित भूखण्डधारियों को पट्टे जारी कर दिये गये ।

परिवादी द्वारा इस संबंध में दोषी अधिकारियो / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री हरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जेडीए, (2) श्री कैलाश चंद यादव, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जेडीए, (3) श्री रामरतन शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6, जेडीए, (4) श्रीमती अंजू शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6, जेडीए, जयपुर,

(5) श्री भंवर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार,जोन–6, जेडीए, (6) श्री रामचन्द्र, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जेडीए (7) श्री रामसिंह, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जेडीए (8) श्री शेराराम, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन 6, जेडीए (9) श्री किशन खाण्डा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन 6, जेडीए, (10) श्री निर्मल शर्मा, सहायक नगर नियोजक एवं (11) श्री मलकियत सिंह, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन 6, जेडीए के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्री कैलाश चंद यादव, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा दिनांक 30.9.2011 के बाद उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) जयनगर (गुलाबबाडी गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 6 श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री दशरथ सिंह (2) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 51 श्री अमरचंद (दुकान), (3) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 52,53 कुसुमलता पारीक एवं (4) शंकर नगर ए (शंकर भवन गृ.नि.स. स.)भूखण्ड संख्या पी 56 कलावती देवी को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

02. श्री हरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा दिनांक 30.9.2011 के बाद उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित

है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) श्री रामनगर बी–15 सी, (म्यूचअल गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 1 श्री ताराप्रकाश सैनी, ब्रिलियेंट सी.सै.स्कूल को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

03. श्री रामरतन शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा दिनांक 30.9.2011 के बाद उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) स्कीम नं.4ए, (मोती भवन गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 3 श्री हीरा सिंह सामोता, लोटस इन्टरनेशनल स्कूल, (2) स्कीम नं.4ए (मोती भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 4 श्री हीरा सिंह सामोता, लोटस इन्टरनेशनल स्कूल, (3) स्कीम नं.4ए (मोती भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 5 श्री हीरा सिंह सामोता, लोटस इन्टरनेशनल स्कूल (4) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)भूखण्ड संख्या 20, सुशीला व कृष्णा देवी (दुकान व मकान) (5) शिवनगर 15ए (म्यूचुएल गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 336 श्री राजेन्द्र सोनी तथा (6) शिव नगर 15ए (म्यूचुएल गृ.नि. स.स.) भूखण्ड संख्या 382ए, कमलेश कुमार शर्मा को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

04. श्रीमती अंजु शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

यह है कि आप द्वारा तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो

राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) जयनगर (गुलाबबाडी गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 6 श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री दशरथ सिंह (2) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)भूखण्ड संख्या 51 श्री अमरचंद (दुकान), (3) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)भूखण्ड संख्या 52,53 कुसुमलता पारीक एवं (4) शंकर नगर ए (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)भूखण्ड संख्या पी 56 कलावती देवी को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

05. श्री भंवर सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) श्री रामनगर बी, 15/सी (म्यूचुएल गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 1 श्री ताराप्रकाश सैनी, ब्रिलियन्ट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी किये जाने के क्रम में जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

06. श्री रामचन्द्र तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) स्कीम नं.4ए,

(मोती भवन गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 3 श्री हीरा सिंह सामोता, (2) स्कीम नं. 4ए (मोती भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 4 श्री हीरा सिंह सामोता, (3) स्कीम नं.4ए (मोती भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 5 श्री हीरा सिंह सामोता, (4) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 20, सुशीला व कृष्णा देवी (5) शिवनगर 15ए (म्यूचुएल गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 382ए, कमलेश कुमार शर्मा को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

07. श्री रामसिंह झाला, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में शिव नगर 15ए, (म्यूचुएल गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 336 श्री राजेन्द्र सोनी को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

08. श्री निर्मल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) जयनगर

(गुलाबबाडी गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 6 श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री दशरथ सिंह एव (2) शिवनगर 15ए (म्यूचुएल गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 382ए, कमलेश कुमार शर्मा को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्‌टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

09. श्री शेराराम, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में श्री रामनगर बी, 15/सी (म्यूचुएल गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 1 श्री ताराप्रकाश सैनी, ब्रिलियन्ट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्‌टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

10. श्री मलकियत सिंह, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में (1) स्कीम नं.4ए, (मोती भवन गृ.नि.स.स) भूखण्ड संख्या 3 श्री हीरा सिंह सामोता, (2) स्कीम नं.4ए (मोती भवन गृ. नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 4 श्री हीरा सिंह सामोता, (3) स्कीम नं.

4ए (मोती भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 5 श्री हीरा सिंह सामोता, (4) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)भूखण्ड संख्या 20, सुशीला व कृष्णा देवी एवं शिवनगर 15ए (म्यूचुएल गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 336 श्री राजेन्द्र सोनी को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

11. श्री किशन खाण्डा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन–6, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ।

यह है कि आप द्वारा सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूमि खसरा संख्या 49 व 55 ग्राम महापुरा, सीकर रोड, जयपुर जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाले के रूप में अंकित है और जेडीए की खातेदारी की भूमि होने के बावजूद, उसके पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 51 श्री अमरचंद (दुकान), (3) शंकर नगर बी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) भूखण्ड संख्या 52,53 कुसुमलता पारीक एवं (4) शंकर नगर ए (शंकर भवन गृ. नि.स.स.) भूखण्ड संख्या पी 56 कलावती देवी को जेडीए के स्वामित्व की जमीन होने के तथ्य को छुपाकर स्वामित्व के पट्टे गलत रूप से जारी कर आपने अपने पदीय कर्तव्यों व दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने का कृत्य किया है।

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । परिवादी साक्ष्य लेखबद्व की गई एवं लोकसेवकगण द्वारा परिवादी से दौराने साक्ष्य प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं प्रलेखिय साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री रामरतन शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, (2) श्रीमती अंजू शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, जोन 6, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं (3) श्री किशन खाण्डा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक,जयपुर.विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध अपने पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित पाये जाने पर, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

साथ ही अन्य लोकसेवकगण (1) श्री हरेन्द्र सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जेडीए, (2) श्री कैलाश चंद यादव, तत्कालीन उपायुक्त, जोन–6,जेडीए, (3) श्री भंवर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जेडीए, (4) श्री रामचन्द्र, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जेडीए (5) श्री रामसिंह, तत्कालीन तहसीलदार, जोन–6,जेडीए (6) श्री शेराराम, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन 6, जेडीए, (7) श्री निर्मल शर्मा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक एवं (8) श्री मलकियत सिंह, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, जोन 6, जेडीए के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये किन्तु उक्त लोकसेवकगण के सेवानिवृत्त होने पर इनके विरूद्ध अन्वेषण सम्बन्धी कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर ही समाप्त कर दिया गया है।

एफ 2(4)लोआस/2021

परिवादी श्री नंदकिशोर जोशी निवासी सी 76, अन्त्योदय नगर, बीकानेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसने कृषि उपज मण्डी में गोदाम सं. जी–58 व 59 हरीश कुमार से दिसम्बर 2012 में किराए पर लिया था । तब से लगातार वो ही उक्त दोनो गोदामों में मैं.साई ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से अपना व्यापार लगातार बिना किसी व्यवधान के करता आ रहा है। उसके द्वारा मण्डी समिति को लाखो का टैक्स भी भरा गया है। सचिव, कृषि उपज मण्डी, बीकानेर को उक्त समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है एवं कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मै.साई ट्रेडिंग

कम्पनी के नाम से कृषि उपज मण्डी में व्यापार करने हेतु लाईसेंस जारी किया हुआ है।

परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि हरीश कुमार द्वारा गोदाम खाली करने की धमकी देने पर उसके द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया था । दिनांक 18.02.2021 को सचिव, कृषि उपज मण्डी ने हरीश कुमार से मिलीभगत कर मरम्मत व रोगन की अनुमति अवैध रूप से जारी कर दी जिसके सूचना उसे नहीं दी गई तथा गोदामों के ताले तोडकर उनका लाखो रूपये का नुकसान कर दिया ।

अतः परिवादी द्वारा इस संबंध में सचिव, कृषि उपज मण्डी, बीकानेर श्री नवीन गोदारा के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री जय सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर एवं (2) श्री नवीन गोदारा, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

<u>01. श्री जय सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।</u>

यह है कि आप द्वारा अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग में पदस्थापित रहते हुए हस्तगत प्रकरण मे क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग बीकानेर के तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं कृषि विपणन विभाग, जयपुर के द्वारा संधारित मूल पत्रावली की आदेशिका एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा समस्त तथ्यों की

जानकारी होने के बावजूद मै. मुरलीधर हरीश कुमार को लाभ पहुंचाने एवं श्री नवीन गोदारा, मण्डी सचिव बीकानेर को संरक्षित करने के आशय से विभाग की मूल पत्रावली में अंकित तथ्यों को छिपाते हुए विभाग द्वारा की गई पूर्व रिपोर्ट व संधारित मूल पत्रावली की आदेशिकाओं के विपरीत जाकर विधि विरूद्व गलत टिप्पणी कर अपने पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया ।

02. श्री नवीन गोदारा, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर ।

यह है कि आप द्वारा मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी बीकानेर के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद भी उक्त गोदामों का किराएनामा की शर्त सं. 4 के विपरीत सबलेट करने पर विधि अनुसार किराएदारी समाप्त करने की कार्यवाही नहीं करते हुए, हरीश कुमार से मिलीभगत कर प्रश्नगत गोदामों की मरम्मत किए जाने की इजाजत प्रदत कर मै मुरलीधर हरीश कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से मैं. साई ट्रैडिंग कम्पनी के कब्जे से बेदखल करने में सहयोग प्रदान कर अपनी पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया ।

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद / स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया ।

इस संबंध में परिवादी गवाह श्री राजीव जोशी की साक्ष्य लेखबद्व की गई एवं लोकसेवकगण द्वारा उनसे दौराने साक्ष्य प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवकगण के स्पष्टीकरण एवं प्रलेखिय साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक श्री नवीन गोदारा, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर के विरूद्ध अपने पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित पाये जाने पर, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

साथ ही अन्य लोकसेवक श्री जयसिंह, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर इनके विरूद्ध अन्वेषण सम्बन्धी कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर समाप्त कर दिया गया ।

एफ 35(146)लोआस/2019

परिवादिया सुश्री प्रिया कुलश्रेष्ठ निवासी मकान नं.90, एम पी कॉलोनी, सवाई माधोपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि पूर्व विधायक पुत्र श्री लोकेश शर्मा द्वारा उसके मकान के पड़ौस में मकान क्रय किया जिसमें उनके द्वारा स्कूल संचालित किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि विधायक पुत्र द्वारा उन पर मकान विक्रय करने का दबाव डाला गया किन्तु जब उन्होनें अपना मकान विक्रय करने से मना कर दिया तो उनके द्वारा नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के अधिकारियो के जरिये उन पर दबाव डलवाया गया, किन्तु सकारात्मक परिणाम न मिलने पर नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के अधिकारियों द्वारा उसके पिता का मकान आगे से तोड़ दिया गया ।

अतः परिवादिया द्वारा इस संबंध में नगर परिषद, सवाई माधोपुर में कार्यरत दोषी अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई ।

परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री रविन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर (2)श्री मनोज कुमार मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर एवं (3) श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, तत्कालीन स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन

निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

01. श्री रविन्द्र सिंह यादव तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर

02. श्री मनोज कुमार मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद, सवाईमाधोपुर ।

03. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, तत्कालीन स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर

यह है कि आप द्वारा नगर परिषद, सवाई माधोपुर में आयुक्त के पद पर पदस्थापित रहते हुए भूखण्ड संख्या 27बी व 90 महाराणा प्रताप कॉलोनी, सवाईमाधोपुर के स्वामियों द्वारा रोड भाग में किए गए अतिक्रमण के संबंध में उक्त दोनो भूखण्डों के स्वामियों को नोटिस दिए गये, किन्तु दिनांक 21.01.2019 को केवलमात्र भूखण्ड संख्या 90 के स्वामी द्वारा रोड भाग में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया । भूखण्ड संख्या 27बी के स्वामी द्वारा रोड भाग में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के संबंध में नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता कारित की गयी ?

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया ।

परिवादिया के साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर उनकी साक्ष्य समाप्त की गई।

परिवादिया के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवकगण के स्पष्टीकरण एवं प्रलेखिय साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री रविन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर (2) श्री मनोज कुमार मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर एवं (3) श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, तत्कालीन स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध अपने पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता कारित किये जाने का मामला प्रमाणित पाये जाने पर, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के

अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

एफ 35(78)लोआस/2019

परिवादी श्री गोपाल लाल सैनी निवासी जुगलपुरा (कांवट) तहसील खण्डेला, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि खसरा संख्या 2350, 2351, 2352, 2359 से 2367, 2368, 2370 से 2372, 2373/2 किता 13 रकबा 9. 08 हैक्टेयर ढाणी डुगरीवाली, तन जुगलपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि में सरकारी ट्यूबवैल लगा दी तथा ट्यूबवैल की लागत सरकारी राशि भी उठा ली गई है जो अवैध है । कानूनन निजी खातेदारी में सरकारी ट्यूबवैल स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए खसरा संख्या 2372/2 में जो सरकारी ट्यूबवैल स्थापित किया गया है, उसकी लागत सरकारी राशि की रिकवरी किया जाना व जांच कराई जाकर दोषीयों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में सम्भागीय मुख्य अभियंता (झुं.सं.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. झुंझुंनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक जांच के पश्चात प्रकरण में अपचारी लोकसेवकण (1) श्री मायालाल सैनी, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना (2) श्री मदनलाल मीना, तत्कालीन कार्यवाहक सहायक अभियंता (3) श्री सतवीर सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, (4) श्री टी.डी.केन, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला, (5) श्री नेतराम गूर्जर, तत्कालीन पटवारी, तहसील नीमकाथाना एवं (6) श्रीमती किरण मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम जुगलपुरा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन निम्न आरोपों में अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया ।

01. श्री मायालाल सैनी तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना

02. श्री नेतराम गूर्जर तत्कालीन पटवारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना

यह है कि आप द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना के पद पर पदस्थापित रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए खसरा संख्या 2350, 2351, 2352, 2359 से 2367, 2368, 2370 से 2372, 2373/2 किता 13 रकबा 9.08 हैक्टेयर ढाणी डुगरीवाली, तन जुगलपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के कब्जा काश्त निजी खातेदारी की भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भू–स्वामी का समर्पणनामा लिए बिना सरकारी राशि का दुरूपयोग कर ट्यूबवैल स्थापित किया गया एवं जो वर्तमान में निजी खातेदारी भूमि में स्थापित है ।

03. श्री मदनलाल मीणा, तत्कालीन कार्यवाहक सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला ।

04. श्री सतवीर सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला ।

05. श्री टी.डी.केन तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला ।

यह है कि आप द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला में अपने पदस्थापित रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए खसरा संख्या 2350, 2351, 2352, 2359 से 2367, 2368, 2370 से 2372, 2373/2 किता 13 रकबा 9.08 हैक्टेयर ढाणी डुगरीवाली, तन जुगलपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के कब्जा काश्त निजी खातेदारी की भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भू–स्वामी का समर्पणनामा लिए बिना सरकारी राशि का दुरूपयोग कर ट्यूबवैल स्थापित किया गया एवं जो वर्तमान में निजी खातेदारी भूमि में स्थापित है ?

06. श्रीमती किरण मीणा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम जुगलपुरा

यह है कि आप द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम जुगलपुरा के पद पर पदस्थापित रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए खसरा संख्या 2350, 2351,

2352, 2359 से 2367, 2368, 2370 से 2372, 2373/2 किता 13 रकबा 9.08 हैक्टेयर ढाणी डुगरीवाली, तन जुगलपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के कब्जा काश्त निजी खातेदारी की भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भू–स्वामी का समर्पणनामा लिए बिना सरकारी राशि का दुरूपयोग कर ट्यूबवैल स्थापित किया गया एवं जो वर्तमान में निजी खातेदारी भूमि में स्थापित है ?

प्रकरण में लोकसेवकगण द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । परिवादी के साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर उनकी साक्ष्य समाप्त की गई ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवकगण के स्पष्टीकरण एवं प्रलेखिय साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री सतवीर सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता एवं (2) श्री मदनलाल मीना, तत्कालीन कार्यवाहक सहायक अभियंता के विरूद्ध अपने पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित पाये जाने पर, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई ।

साथ ही अन्य लोकसेवकगण (1) श्री मायालाल सैनी, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना (2) श्री टी.डी.केन, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला, (3) श्री नेतराम गूर्जर, तत्कालीन पटवारी, तहसील नीमकाथाना एवं (4) श्रीमती किरण मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम जुगलपुरा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर इनके विरूद्ध अन्वेषण सम्बन्धी कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर ही समाप्त कर दिया गया है।

अध्याय – 3

अनुतोष के प्रकरण

अध्याय–3

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

अनुतोष के प्रकरण

कालावधि दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024

माह जनवरी 2024

एफ 3(63)लोआस / 2023

परिवादी श्रीमती अंजेश पाठक पुत्री श्री सुरेश पाठक पत्नी श्री सौरभ शर्मा, निवासी ग्राम बरौली, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि ससुराल पक्ष के विरूद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना, सरमथुरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 241 / 22 पंजीकृत कराने के पश्चात् कोर्ट में तारीख पेशी के समय उसके ससुर श्री कृष्णमुरारी द्वारा हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी दी गई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के ससुराल पक्ष को धारा 107 / 116 सीआरपीसी के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखण्डाधिकारी, बाड़ी द्वारा पाबन्द किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(76)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती मूमल पत्नी श्री राजेश विश्नोई, निवासी 12 / 103, 104, के.के. कॉलोनी, बासनी पहला फेस, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उसके पति पर

पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोप है। उन्हें गिरफ्तार किये जाने के बाद से वे जेल में बंद है। उसके पति के विरूद्ध जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जिले में और भी प्रकरण है परन्तु पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोप होने के कारण रंजिश रखते हैं इसलिये अन्य प्रकरणों में पुलिस रिमाण्ड एक साथ नहीं लिया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पति के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही कर उसे न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(121)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती अन्जू गिरी पत्नी श्री रघुराज गिरी, निवासी मकान नम्बर 68, झालाना नगर, बढ़ारणा घाटी, हरमाडा, पुलिस थाना, विश्वकर्मा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि पुलिस थाना विश्वकर्मा के इन्चार्ज श्री रमेश सैनी द्वारा परिवादी द्वारा पंजीयन कराई एफआईआर नम्बर 389/23 में परिवादी को गुमराह करते हुए अभियुक्त को नामित नहीं कर/अज्ञात अंकित कर उसे बचाया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरधारी उर्फ पूरण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(317)लोआस/2022

परिवादी श्री लालसिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह, निवासी करमा का बाड़िया, पोस्ट जैतगढ़, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि उसे अनजान नम्बर से

फोन कर, दी गई धमकी के संबंध में उसके द्वारा पुलिस थाना बदनोर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत परिवाद से संबंधित प्रकरण में जांच से वृत्ताधिकारी वृत्त आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी के मोबाईल पर सुखदेव उर्फ राहुल द्वारा कॉल कर गाली गलौच किया जाना पाया गया जिस पर सुखदेव उर्फ राहुल के विरूद्ध इस्तगासाा संख्या 52/23 अन्तर्गत धारा 107, 116(3) दप्रसं के तहत सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 5(21)लोआस/2023

परिवादी श्री नाथूलाल विजय पुत्र श्री कन्हैयालाल विजय, निवासी श्रीकुंज, प्लाट नम्बर 11, गोविन्द देव जी मन्दिर के पास, विकास विहार कॉलोनी, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुये लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पश्चात् भी सेवानिवृत्ति परिलाभ विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को 300 दिवस का उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(96)लोआस/2021

परिवादी श्री श्रवण विश्नोई पुत्र श्री जेताराम विश्नोई, निवासी गांव नांदिया प्रभावती, पंचायत समिति भोपालगढ़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम विकास

अधिकारी श्री सज्जन सिंह, सरपंच सरोज कंवर, जे.टी.ए. श्री रामनिवास पांगा एवं सहायक अभियंता श्री गिरिराज नांगला द्वारा ग्राम पंचायत बुड़किया में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ''शंकरलाल विश्नोई की ढ़ाणी के पास टांका निर्माण'' नहीं करवाने के पश्चात् जाली दस्तावेज तैयार कर कुल एक लाख रूपये का गबन कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुँचाया। कूटरचित दस्तावेज जैसे तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टररोल, बिल बाउचर, एम.बी. प्रमाण पत्र, जाली टांका की फोटोग्राफ तैयार किये तथा मौके पर टांका का निर्माण नहीं करवाया गया।

इस संबंध में कार्यालय जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में दोषी कार्मिक से वसूली योग्य राशि 1,005/– रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(254)लोआस/2017

परिवादी श्री रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री घासी लाल शर्मा, निवासी ग्राम पंचायत खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, खण्डार में वर्ष 2015–16 व 2016–17 में 64 निर्माण कार्य करवाये गये। उक्त कार्यों में ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो कि ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं है और न ही कमजोर वर्गों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य है। उक्त कार्यों में अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर करोड़ों रूपयों का गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित राशि 1,06,407/– रू. की वसूली श्रीमती रूकमणी देवी, सरपंच से 26,875/– रू., श्री प्रेमचंद योगी, ग्राम विकास अधिकारी से 26,874/– रू., श्री इन्द्रराज कुशवाह, कनिष्ठ तकनीक सहायक से 20,179/– रू., श्री रामखिलाड़ी मीना, कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 6,195/– रू. तथा श्री रामचरण बैरवा, सहायक अभियंता

से 26,394/– रू. की सम्पूर्ण वसूली हो चुकी है तथा श्री रामचरण बैरवा, सहायक अभियंता, श्री प्रेमचंद योगी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को भविष्य में उक्त प्रकार की लापरवाही नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। साथ ही श्री इन्द्राज कुशवाह, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा), श्री खिलाड़ीराम मीना, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(360)लोआस/2019

परिवादी श्री रामनिवास बलून्दा पुत्र श्री चेलाराम, निवासी ग्राम बाजियों की ढ़ाणी, पोस्ट पावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत, पावा द्वारा जाली तरीके से कार्यों का संचालन कर बिना मजदूरों के मौके पर गये उनकी उपस्थिति मस्टर रोल में पंजीकृत कर भुगतान उठाने पर मामले की जांच कर कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत कार्य जांच के दौरान होना पाया गया तथा अकुशल श्रमिकों को उनके खातों में ऑनलाइन भुगतान किया गया, जिसकी राशि संबंधित श्रमिकों को मिल गई है, जिसका सत्यापन एम.आई.एस. पोर्टल पर किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(432)लोआस/2022

परिवादी श्री पूनमाराम पुत्र श्री जोधाराम विश्नोई, निवासी पूनासा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर का अभिकथन था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में स्वीकृत राशि/किश्त प्रार्थी के खाते के बजाय ग्राम विकास

अधिकारी, पूनासा श्री सत्यप्रकाश विश्नोई द्वारा अन्य व्यक्ति के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी। सरकार की योजना में स्वीकृत राशि/किश्त राशि संबंधित लाभार्थी को न मिलकर अन्य व्यक्तियों के खातों में स्थानान्तरित कर हड़पी जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री पूनमाराम पुत्र श्री जोधाराम विश्नोई, ग्राम पूनासा को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की तीन किश्ते उसके खाते में जमा हो चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(530)लोआस/2018

परिवादी श्री घनश्याम दाधीच पुत्र श्री सोहनलाल दाधीच, निवासी ग्राम पंचायत सगरेव, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सगरेव के सरपंच श्री दशरथ ढ़ोली, तत्कालीन सचिव श्री बाबुलाल सुवालका व वर्तमान सचिव श्री सचिन चौबे द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत में लाखों रूपये की सरकारी राशि का गबन किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सरगेव में वार्ड संख्या 02 में श्री रामलाल गुर्जर, ईश्वलाल गुर्जर, हरदेव गुर्जर एवं गोवर्धन गुर्जर को, इसी प्रकार वार्ड नम्बर 09 में श्री जगदीश ढ़ोली, सुनिता ढ़ोली, भैरूलाल ढ़ोली एवं पूरणमल ढ़ोली को जारी पट्टों की वैधता-अवैधता हेतु अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां निगरानी याचिका पंजीयन कराई जाकर पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं। साथ ही मामले में श्री बाबुलाल सुवालका, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा को 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। श्री सचिन कुमार चौबे, ग्राम विकास अधिकारी को भविष्य में

सतर्कता से कार्य करने की अलिखित चेतावनी दी जाकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 14(11)लोआस/2022

परिवादी श्री जय सिंह यादव पुत्र श्री दिनेश सिंह यादव, निवासी ए 35, करणी नगर, पवनपुरी, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि उनके द्वारा रेवाड़ी से क्रय की गई कार एच आर 36 पी 5229 के पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात् भी पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और आर जे 07 सीई 1494 आवंटित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(57)लोआस/2016

परिवादी श्री सोहनराज पुत्र श्री नाहरमल, निवासी भवानी हार्डवेयर, रातानाड़ा पुलिस थाने के सामने, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि श्री पुरूषोत्तम राठी द्वारा फुटपाथ की भूमि पर अतिक्रमण कर कार पार्किंग के लिए सीमेन्टेड रैम्प बनवाकर सड़क सीमा में पक्का निर्माण कर लिया गया है और उसके द्वारा छत पर एन.एस. पब्लिसिटी का बोर्ड लगाकर आवासीय परिसर को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में इस सचिवालय के द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप श्री पुरूषोत्तम राठी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में वाहन पार्किंग हेतु बनाये गये रैम्प को हटवा दिया गया है व स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र

की वैधता समाप्त होने के उपरान्त प्रासंगिक प्रकरण में होर्डिंग स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान करवाया गया।

एफ 16(499)लोआस / 2017

परिवादी श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री नारायण, निवासी वार्ड नम्बर 3, कामां गेट, अमर टाकीज के पास, डीग, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि अमर टाकीज के पास नालियों का निर्माण न होने से गंदे पानी के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। कस्बा डीग में सभी जगह नालियों का निर्माण किया गया लेकिन उक्त क्षेत्र में निवासियों की शिकायत के पश्चात् भी नाली व खरंज निर्माण नहीं किया गया जबकि पूर्व चेयरमैन द्वारा नाला निर्माण करवाया जा रहा था जिसे अधूरा छोड़ कर ध्वस्त कर दिया गया।

इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद, डीग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर से गन्दे पानी की निकासी सुचारू होकर आवागमन में सुविधा हो गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(23)लोआस / 2023

परिवादी श्री भागीराथ मीणा पुत्र श्री ग्यारसी लाल मीणा, निवासी ग्राम रामरखपुरा, गैटोर वालो की ढ़ाणी, पोस्ट कांशीपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम सूरजापुराघाटी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी के नाम से खसरा संख्या 84 व 98 की खातेदारी में से ऑनलाईन उसका नाम हटा दिया गया।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सुरजापुराघाटी आराजी खसरा संख्या 84

व 98 से संबंधित भूमि की खातेदारी जरिए नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 02.01. 2024 से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम पंजीयन की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 30(7)लोआस / 2021

परिवादी सुश्री वर्तिका सेन पुत्री श्री कमलेश कुमार सेन, निवासी पुराना माटून्दा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी जिला बून्दी का अभिकथन था कि उसकी मां विमला सेन तथा वह अपने नाना के यहाँ रहती थी। उसकी माँ की साधारण मृत्यु होने पर श्रम विभाग द्वारा दो लाख रूपये मंजूर किये गये थे किन्तु विभाग के अनेक चक्कर लगाने के पश्चात् भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

इस संबंध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विमला सेन की मृत्यु सहायता योजना के आवेदन को संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने पर देय सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(4)लोआस / 2023

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोहरा पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर बोहरा, निवासी चौपासनी मन्दिर के पास, तीसरी गली, चौपासनी, जोधपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा 1982 से 2014 तक की कुल 53 माह की राशि लेजर में जमा करने पर भी उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(39)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती हेमलता शर्मा पुत्री स्व0 श्री मातादीन शर्मा, निवासी ग्राम अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि उनके पिता स्व0 श्री मातादीन शर्मा की मृत्यु पश्चात पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है।

इस संबंध में निदेशक, निदेशालय, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्व0 श्री मातादीन शर्मा के पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर एफपीपीओ नम्बर 2027293 जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(141)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती सरोज बाला पटवा पत्नी स्व0 श्री बाबूलाल पटवा, निवासी सेक्टर 18/12, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर शहर द्वारा जीपीएफ खाता संख्या 473105 में जमा राशि का सेवानिवृत्ति पर पूर्ण ब्याज सहित भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा बकाया राशि का दावा प्रस्तुत करने पर गलत जवाब देकर बकाया भुगतान रोका जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को राशि रूपये 9,89,679/- तथा 17,851/- का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह फरवरी 2024

एफ 2(8)लोआस/2023

परिवादी श्री प्रकाश चन्द तंवर पुत्र श्री धन्नाराम तंवर, वार्ड नम्बर 42, अगुणा मौहल्ला, जिला चूरू का अभिकथन था कि उसे वर्ष 2021–22 रबी, वर्ष 2022 खरीफ व वर्ष 2022–23 रबी फसल का बीमा सहायक निदेशक (कृषि विस्तार), चूरू द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021–22 रबी, वर्ष 2022 खरीफ व वर्ष 2022–23 रबी फसल का बीमा क्लेम राशि का भुगतान परिवादी के खाते में किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(88)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती राजरानी यादव पत्नी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव, निवासी 34, अल्कापुरी ए, मुरलीपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि लोकसेवक श्री सुरेन्द्र दानोड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री राकेश कुमार राजौरा, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर में पंजीयन करवाये गये प्रकरण संख्या 39/20 को आरोपीगण से अवैध लाभ के वशीभूत 02 साल तक लम्बित रखा गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण रामचरण गुर्जर उर्फ मोटा पुत्र लड्डु लाल, मांगीलाल उर्फ माग्या पुत्र लड्डु के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहित का अपराध प्रमाणित पाया गया तथा अभियुक्त रामचरण गुर्जर उर्फ मोटा व मांगीलाल उर्फ माग्या के विरूद्ध आरोप पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(114)लोआस / 2020

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि बून्दी पत्रिका में प्रकाशित खबर एएसआई श्री अर्जुन सिंह, थाना सदर, जिला बून्दी ने दो गोवंश से भरी पिकअप पकड़ी थी। जिस पर श्री अर्जुन सिंह ने पिकअप चालकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीयन नहीं किया एवं उन्हें छोड़ दिया, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव (पुलिस), गृह (ग्रुप–1), विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपचारी लोकसेवक श्री अर्जुन सिंह, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने की विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(141)लोआस / 2023

परिवादी श्री समय सिंह जाटव पुत्र श्री कन्हैयालाल जाटव, निवासी बडी का थाना, कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 287 / 23, पुलिस थाना, कठूमर का अनुसंधान किसी उच्च एवं ईमानदार अधिकारी से कराने एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कराने के संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मामले में अनुसंधान किया जाकर आरोपीगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(171)लोआस / 2023

परिवादी श्रीमती नानी बाई पत्नी श्री नारायणलाल, निवासी पंचदेवला हाल मुकाम मधुवन सोंती, पुलिस थाना सदर, जिला चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि अभियुक्त द्वारा उनके साथ किये गये शोषण की रिपोर्ट को पुलिस थाना सदर, जिला चित्तौड़गढ़ में दी गई परन्तु उन्होंने रिपोर्ट पंजीयन नहीं की। पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्देश देने पर भी प्रार्थिया की रिपोर्ट पंजीयन नहीं की गई जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 100 / 2023 पंजीयन करवाई गई किन्तु इसमें पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के विरूद्ध अनुसंधान व अग्रिम अनुसंधान पूर्ण किया जाकर उसके विरूद्ध आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये गये और स्वयं आरोपी द्वारा की गई एफ.आई.आर. में एफ.आर. अदम वकू झूठी पाये जाने पर प्रस्तुत कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(203)लोआस / 2022

परिवादी श्री आनन्द कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री एच के शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर सी–1176, सेक्टर–6, मार्कट नगर, सीडीए कटक ओडिशा का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 768 / 2022, पुलिस थाना, मानसरोवर, जयपुर शहर दक्षिण में पंजीयन करवाई गई थी, जिसमें थानाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर अपराधियों द्वारा लूटे गये सामान को बरामद नहीं किया तथा दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की।

इस संबंध में पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियोग संख्या 768 / 2022 में आरोपीगण को विधि अनुसार गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम दाण्डिक न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही पीड़ित निर्मल कुमार के विरूद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन कराई गई थी उसमें बाद अनुसंधान मामला झूठा पाये जाने पर एफ.आर. संख्या 93/2023 एफआर अदम वकू झूठ में प्रस्तुत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(302)लोआस/2022

परिवादी श्री दिनेश कुमार पंवार पुत्र श्री मोहन लाल पंवार, निवासी 10 ए धुलेश्वर गार्डन सी स्कीम, जिला जयपुर का अभिकथन था कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की विजयाराजे नगर योजना की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किशन गिरी के हक में बिना किसी पैमाईश एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के झूठी एवं बेबुनियाद जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 202 सीआरपीसी न्यायालय में पेश करने वाली दोषी पुलिस कर्मी एसएचओ मुक्ता पारीक एवं उपनिरीक्षक पुलिस सलीम मोहम्मद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में पुलिस आयुक्त, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में पुलिस आयुक्त, जोधपुर के द्वारा की गई जांच से उप निरीक्षक सलीम मोहम्मद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेकर लोकसेवक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 8(32)लोआस/2017

परिवादी डॉ सीताराम काबरा पुत्र श्री मनोहरलाल काबरा, निवासी ए-47, सुमंगला अपार्टमेन्ट, शास्त्री नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनकी सेवा अवधि के दौरान विभाग द्वारा देय वेतन संबंधी परिलाभों में अपनाई गई अनियमितताओं (वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश आदि) के संबंध में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक (जन एवं स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को निलम्बनकाल के अलावा शेष अवधि का भुगतान व वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 8(45)लोआस/2022

परिवादी श्री श्रीवत्स पाण्डे पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पाण्डे, निवासी नगर निगम के पास, स्टेडियम रोड़, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि उनकी फर्म श्री पेट्रो ऑयल्स द्वारा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पीबीए चिकित्सालय, बीकानेर को उनके विभाग के पत्र दिनांक 09.11.2012 में वर्णित शर्तों के अनुसार डीजल/पेट्रोल/आयल की आपूर्ति की गई थी किन्तु विभाग के अधीक्षक एवं सदस्य सचिव डॉ0 पी0के0 सैनी द्वारा जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक के 75 बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक (जन एवं स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी फर्म को उनके 13 बिलों की राशि 3,06,539/– रू. का भुगतान चैक संख्या 753674 द्वारा किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(26)लोआस/2023

परिवादी श्री शंकर लाल पुत्र श्री भवाना, निवासी केरपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि उनके स्वयं की खातेदारी भूमि पर आने–जाने का रास्ता न होने पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 251 के तहत प्रकरण पंजीयन कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये रिकार्ड में रास्ता पंजीयन करने के आदेश दिये।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रास्ता भूमि पर नाराण, रामचन्द्र, सुखा पिता कालू बैरवा व गोपाल, रामेश्वर पिता बालु, श्रीकिशन पिता रूपा, सोनाथ पिता देवी जाट द्वारा फसल काश्त कर कब्जा कर लिया गया है। तत्पश्चात् अतिक्रमियों के विरूद्ध तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण पंजीयन कर सुनवाई के बाद बेदखली का आदेश पारित किया गया और अब वर्तमान में मौके पर से अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है साथ ही रास्ता भी चालू है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(399)लोआस/2021

परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 9, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि ग्राम राजाखेड़ा के जनकसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं कलावती पत्नी जनकसिंह द्वारा वृद्धा पेंशन एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया जा रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उनके नाम 42 बीघा जमीन है। इस कारण उक्त व्यक्ति योजना के लिये पात्रता नहीं रखते हैं।

इस संबंध में जिला कलक्टर, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से प्राप्त किये गये लाभ की राशि राजकोष में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(52)लोआस/2019

परिवादी श्री प्रतापराम मेघवाल पुत्र श्री पोसराम मेघवाल, निवासी मंडावरिया, जिला सिरोही का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत मंडावरिया के सरपंच द्वारा अपने परिवार वालों के साथ मिलीभगत कर करीबन 4 बीघा गोचर भूमि पर अवैध कब्जा

किया गया व उसमें अवैध रूप से बोरवेल करवाकर अपनी भूमि सिंचित की गई किन्तु शिकायत करने पर भी इस विषय में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गोचर भूमि में अतिक्रमण कर किये गये पशु शैड निर्माण एवं ट्यूबवेल को स्वयं अतिक्रमी द्वारा पूर्णतया हटा दिया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी, परिवादी तथा सरपंच की मौका जांच रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उस जगह पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(653)लोआस/2016

परिवादी श्री बनवारीलाल सेवदा पुत्र श्री बोयताराम सेवदा, निवासी सेवदा की ढ़ाणी तन भिलूण्डा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत भिलूण्डा की पूर्व सरपंच श्रीमती सोहनी देवी, तत्कालीन ग्राम सेवक श्री गणेश एवं तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर ने मिलीभगत करके ग्रेवल सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, नरेगा कार्य, भवन निर्माण आदि विकास कार्यों में घटिया सामग्री लगाकर, फर्जी उपस्थिति दिखाकर व बिना निर्माण ही भुगतान कर आदि तरीकों से सरकारी धन का गबन कर भ्रष्टाचार किया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन्टरलॉक खुर्रा निर्माण कार्य कुरड़ाराम के घर से रामकुमार के घर तक तकनीकी माप दण्डानुसार नहीं करने पर अनियमितता की राशि 5216/– रू. श्रीमती सुमन देवी ग्राम पंचायत, नरोदड़ा, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ से वसूल कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(94)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती कमला मीणा पत्नी फूलचन्द मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 01, जोबनेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि नगरपालिका, जोबनेर के क्षेत्र में सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे व मुख्य सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण में उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण कर लगाये गये ठेले वालों द्वारा ठेले नहीं हटाकर सड़क निर्माण को बाधित किया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है।

इस संबंध में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित तकमीने अनुसार ही सड़क बनाई गई है। पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक एवं कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर लगे हुए अस्थाई ठेलों को हटवा दिया तथा भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान उक्त स्थान पर ठेला नहीं लगाने हेतु पाबंद कर दिया गया, जिसके पश्चात् पालिका द्वारा अस्थाई अतिक्रमण हटवा दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नया बाजार जोबनेर में सब्जी मण्डी, सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे की सड़क एवं नगर पालिका के सामने नया बाजार जोबनेर की सड़कों का निर्माण कार्य तत्कालीन समय में ही पूर्ण किए जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(58)लोआस/2023

परिवादी श्री नैनूराम मीणा पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा मीणा, निवासी प्लाट नम्बर 36, बी कल्याण नगर तृतीय, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम सुरजपुराघाटी के खसरा नम्बर 84 व 98 में 90 बी की कार्यवाही के पश्चात् सदस्यों को पट्टे जारी किये जाने के पश्चात् भी उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम जमाबन्दी में पंजीयन नहीं किया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 87 से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(119)लोआस / 2022

परिवादी श्री छत्रपाल लोधा पुत्र श्री दामोदर लोधा, निवासी ग्राम रहसैना, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि उनके मकान के बगल में आम रास्ते पर रमेश व रामखिलाड़ी द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, राजाखेड़ा द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में दिये गये आदेश की पालना नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को गठित राजस्व टीम, पुलिस जाप्ता व पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हटाकर रास्ते को साफ कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(30)लोआस / 2022

परिवादी श्री बख्शीश सिंह पुत्र सरदार लक्ष्मण सिंह, निवासी 76, बी–3, ब्लॉक वार्ड नम्बर 22, पुरानी आबादी ग्रीन पार्क के सामन, श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.06.2018 के अन्तर्गत उनकी पेंशन संशोधित नहीं की गई है।

इस संबंध में कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पुरानी पेंशन को 2.57 से गुणा कर पेंशन

भुगतान करने के आदेश जारी किये जाने के परिणामस्वरूप तदनुसार भुगतान किया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(53)लोआस/2022

परिवादी श्री चिरोंजी लाल पुत्र श्री गेंदी लाल, निवासी 3 एम 47, महावीर नगर विस्तार योजना, जिला कोटा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मार्च 2024

एफ 3(59)लोआस/2023

परिवादी सुश्री मरियम पुत्री श्री खालिद पठान, निवासी वार्ड नम्बर 3, तारानगर, जिला चूरू का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 314/22, पुलिस थाना तारानगर, जिला चूरू में सही अनुसंधान नहीं किया गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आरोपी नौशाद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376, 506, 366 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त अलताफ, दीपक व कुणाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 366 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध चार्जशीट किता कर

दिनांक 09.05.2023 को न्यायालय में पेश की जा चुकी है तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(113)लोआस / 2020

परिवादी श्री पूनम चंद जैन पुत्र श्री धर्म चन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि प्रतिबंधित बजरी बेचने के संबंध में शिकायत करने पर भी पुलिस अधीक्षक, बूंदी द्वारा परमेश्वर, एएसआई के विरूद्ध गलत जांच व अपराधी को बचाया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फर्म देवनारायण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जुर्माना राशि कुल 1,95,690 /- रू. जमा करा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 4(21)लोआस / 2018

परिवादी श्री परसराम गुप्ता पुत्र श्री जय नारायण, निवासी वार्ड नम्बर 19, स्टेशन रोड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि श्री इन्द्रराज सिंह सैनी, तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति पर कृष्ण गौशाला समिति, चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 136, जो कि आरोपी लोकसेवक की पैतृक सामलाती भूमि खसरा नम्बर 133, 134, 135, 149, 649 / 146, 647 / 148 से लगती हुई है में जाने के लिए रास्ता निकालने में भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए पद का दुरूपयोग किया गया है।

इस संबंध में इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सेवानिवृत लोकसेवक श्री इन्द्रराज सिंह सैनी, तत्कालीन रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, झुंझुनू के विरूद्ध सीसीए नियम एवं पेंशन नियमों के अन्तर्गत ज्ञापन (जिसके संबंध में

माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है) जारी करने एवं जिला कलक्टर, झुंझुनू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136 की उत्तरी सीमा में कटानी रास्ते पर पक्की डामर सड़क बनने, आवागमन में कोई बाधा नहीं होने संबंधी तथ्यों के मौजूद रहते परिवादी को प्रथमदृष्ट्या प्राप्त वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

एफ 5(27)लोआस/2023

परिवादी श्री शान्तीलाल कुर्डिया पुत्र श्री हुकमाराम, निवासी वार्ड नम्बर 4, जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त समय पर पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन एवं उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान ब्याज सहित किये जाने हेतु बार–बार निवेदन किये जाने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किया गया।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान हो रहा है और उसका उपार्जित अवकाश बिल भुगतान हेतु कोष कार्यालय, ब्यावर को भेज दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 10(14)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती मंजू कुमावत पत्नी श्री भैरूलाल कुमावत, निवासी मानपुरा, वार्ड नम्बर 28, जिला प्रतापगढ़ का अभिकथन था कि उनके पति भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 29.08.2012 को हो गई थी जो कि मीटर रीडर के पद पर कार्यरत थे। विभाग द्वारा उसे मिलने वाली पेंशन राशि रोक दी गई है।

इस संबंध में सहायक शासन सचिव, उर्जा विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्रीमती मंजू कुमावत के अलावा मृतक भैरूलाल की दो पत्नियाँ सीताबाई व गुड्डीबाई थी जिनके मध्य पेंशन का समान

बँटवारा किया गया था। चूंकि सीताबाई व गुड्डीबाई द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है तथा पूर्ण पेंशन मंजू कुमावत को देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर पारिवारिक पेंशन लेने से इन्कार कर दिये जाने पर विभाग द्वारा मंजू कुमावत को एक तिहाई पारिवारिक पेंशन के स्थान पर 100 प्रतिशत पेंशन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(203)लोआस / 2022

परिवादी श्री सुखदेव रिणवा पुत्र श्री भूराराम रिणवा, निवासी सिरसला (रिणवों की ढ़ाणी), तहसील मेड़ता, जिला नागौर का अभिकथन था कि ग्राम सिरसला के खसरा नम्बर 44 आम कटाणी रास्ते पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने की शिकायत किये जाने पर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा तहसीलदार मेड़ता को निर्देश दिये जाने के उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटवाया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में अंकित रास्ता पटवार हल्का ढ़ाणी के मौजा सिरसला के खसरा नम्बर 44 में से होकर जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाकर रास्ता मौके पर खुलवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(337)लोआस / 2022

परिवादी श्री भोलानाथ योगी पुत्र श्री ओमनाथ योगी, निवासी पोस्ट कंवलियास, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि राजस्व ग्राम कंवलियास में भू माफिया द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत किये जाने के उपरांत भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कंवलियास की आराजी संख्या 2283 किस्म चारागाह रकबा 54.7296 है0 भूमि पर पत्थर व लकड़िया डालकर अतिक्रमण कर रखा था। दिनांक 21.06.2023 व 05.07.2023 को आंशिक भाग से अतिक्रमण हटाया गया। शेष रहे अतिक्रमण को ट्रेक्टर/जेसीबी द्वारा दिनांक 27.09.2023, 29.09.2023 व 03.10.2023 को ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम वासियान की उपस्थिति में चारागाह भूमि पर अवैध पत्थरों व लकड़ियों को हटाया जाकर ग्राम विकास अधिकारी कंवलियास को सुपुर्द करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। आराजी संख्या 2283 को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(525)लोआस/2018

परिवादी श्री प्रहलाद कुमार जांगिड़ पुत्र श्री रामचरण जांगिड़, निवासी ग्राम मूड़िया, तहसील रैणी, जिला अलवर का अभिकथन था कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर द्वारा नामान्तरण में दिये गये निर्णय की पालना में तहसीलदार, रैणी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के निर्णय की संशोधित प्रति प्राप्त होने पर धारा 135(2) में पुनः सुनवाई कर तत्कालीन तहसीलदार श्री सौरभ गुर्जर द्वारा प्रकरण का दिनांक 28.07.2023 को निर्णय कर दिया गया है। पटवारी हल्का के अनुसार ग्राम भूड़िया में रामचरण जांगिड़ के वारिसान के नाम इंतकाल संख्या 293 नियमानुसार पंजीयन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(382)लोआस/2022

परिवादी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल, निवासी 6 एलएनपी (कुण्डलावाली), तहसील व जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि चक 6 एलएनपी (कुण्डलावाली) की सार्वजनिक सड़क पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर के आदेशों की पालना न कर मिलीभगत कर पक्षपात एवं अनदेखी की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण चिन्हित कर संबंधित ग्रामवासियों को नोटिस जारी कर दिए गए। कुछ अतिक्रमी ग्रामवासियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने एवं शेष अतिक्रमण को पुलिस जाप्ता व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हटाने की कार्यवाही करते हुए चिन्हित अतिक्रमण हटा दिए गए है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(481)लोआस/2022

परिवादी श्री गिरधर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम महेशों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत चौक, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत चौक में वर्ष 2022–23 में नरेगा योजना में एक ही व्यक्ति का दोहरा जॉब कार्ड बनाकर, एक ही मस्टररोल में, एक ही तिथि में दो जगह नाम पंजीयन करवा कर 23100/– रू. का फर्जी भुगतान किया जाकर ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार पालीवाल द्वारा वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित दोहरे जॉब कार्ड को निरस्त किया जा चुका है और दोहरे भुगतान की राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(485)लोआस / 2022

परिवादी श्री विद्याधर पारीक पुत्र श्री सुगनाराम पारीक, निवासी 37, खन्ना मार्केट, प्रथम तल, तीस हजारी, नई दिल्ली का अभिकथन था कि उनके घर के गेट के सामने सार्वजनिक जगह पर श्री समुन्दरसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह द्वारा कच्चे पत्थर, मिट्टी आदि डालकर घर के गेट के सामने अलमारी समान खोका रखा हुआ है, जिसमें दुकान चलाता है, जहां सांयकालीन समय में असामाजिक तत्व एकत्रित होकर हंगामा करते है। इस संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत बायला एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से किये गये प्रश्नगत अतिक्रमण व निर्माण कार्य को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(124)लोआस / 2021

परिवादी श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम खन्डूजा, निवासी कस्बा रूपवास, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि नगरपालिका रूपवास द्वारा उनकी डिक्रीशुदा जमीन, रास्ते व दुकानों के सामने रास्ते में उनकी आसायश की जमीन पर ढ़केले व सब्जियों की दुकाने लगवाकर अतिक्रमण किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका रूपवास द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व व आसायत की जमीन पर लगाये जाने वाले अस्थाई ठेलों व सब्जी की दुकानों को कई बार हटवाया गया है। वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(24)लोआस / 2023

परिवादी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री कुशलपाल सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट मुरबारा, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर पर उसकी जमीन खसरा नम्बर 82 स्टेडियम नगर भरतपुर में प्लॉट नम्बर 218 व 218ए लता व नीतू के नाम से फर्जी पट्टा विलेख जारी कर दिया गया।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रश्नगत पट्टा विलेखों को न्यास द्वारा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 में प्रदत्त शक्तियों की पालना में दिनांक 18.07.2023 को न्यायालय में अन्तिम निर्णय तक निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(48)लोआस / 2023

परिवादी श्री शिव प्रकाश जाजू पुत्र श्री घनश्याम जाजू, निवासी शान्तीपुरा की गली, हाथीराम का ओड़ा, दाउजी के मन्दिर के पास, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि आवासीय भूखण्ड नीलामी में खरीदे भूखण्ड संख्या 17 डर्बी टैक्सटाईल्स हुड़को क्वार्टर के पास की सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के पश्चात् भी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज डीड नहीं दिये जाने पर कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा लीज राशि जमा की मूल रसीदें कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसे वांछित लीज डीड / पट्टा जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(52)लोआस / 2022

परिवादी श्री नानगराम धानका पुत्र श्री कल्याण सहाय धानका, निवासी गणपतपुरा, चक नम्बर 1, मानसरोवर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि श्री मानसिंह मीना, तत्कालीन जोन उपायुक्त, पीआरएन (साउथ–द्वितीय) पर गणपति एन्क्लेव योजना, गणपतपुरा चक नम्बर 1 में गैर अनुमोदित भूखण्ड संख्या 143, 144, 145 के भूखण्डधारी के साथ मिलीभगत कर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए भूमि खसरा संख्या 24 से 30 बाई 90 की सड़क दिखाते हुए उसे उसकी खातेदारी भूमि से वंचित किये जाने पर कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जोन द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रशासनिक स्तर से नियमन कैम्प हेतु स्वीकृति प्राप्त होने एवं समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र अनुसार रोड़ सड़के भी दर्शाई गई है तथा प्रार्थी की भूमि में से अलग से कोई रास्ता नहीं दिया गया है, का नियमन शिविर आयोजित कर पट्टे जारी किये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(225)लोआस / 2019

परिवादी श्री छाजुलाल सामरिया पुत्र श्री रामप्रताप, निवासी मुकाम पोस्ट धौला, ग्राम वाया गठावरी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसकी अवशेष राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(446)लोआस / 2018

परिवादी श्री ताराचंद शर्मा पुत्र श्री सुखाराम शर्मा, निवासी ग्राम खेरली रेल, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी खेरली रेल द्वारा फर्जीवाड़ा करके दो राशन कार्ड बनवाकर अवैध तरीके से राजकीय लाभ प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त श्री राजेन्द्र शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना खेरली में प्रकरण संख्या 605/19 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(9)लोआस / 2022

परिवादी श्री शैतानसिंह पुत्र श्री मोडसिंह, निवासी ग्राम माण्डवाडा देव, पोस्ट रोहिड़ा, तहसील पिण्ड़वाड़ा, जिला सिरोही का अभिकथन था कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा उसकी नियुक्ति प्रदान किये जाने के पश्चात वह दिनांक 31.12.2021 को सेवानिवृत्त होते हुये भी पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्त लोकसेवक के पेंशन प्रकरण में कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही से संबंधित विद्यालय के पीईईओ को निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(13)लोआस/2023

परिवादी श्री शंकर लाल मीणा पुत्र स्व0 श्री विजय राम मीणा, निवासी बीलोता ब्लॉक, अलीगढ़, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(14)लोआस/2023

परिवादी श्री सुरेन्द्रपाल भारद्वाज पुत्र स्व0 श्री मदन लाल शर्मा, निवासी टोडारायसिंह, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(15)लोआस/2023

परिवादी श्री सैयद शहजाद अली पुत्र श्री महमूद अली, निवासी इमाम चौक, मोहल्ला सादात, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(19)लोआस/2023

परिवादी श्री अब्दुल लतीफ नकवी पुत्र श्री सैयद अब्दुल करीम, निवासी मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(45)लोआस/2022

परिवादी श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन खाँ, निवासी मरजीना बेगम की हवेली के सामने, रेहमू की मस्जिद के पास, अमीरगंज बाजार, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अप्रेल 2024

एफ 2(5)लोआस / 2021

परिवादी श्री ओमप्रकाश सिहाग पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल सिहाग, निवासी पलाना मालाणी बास, शिव मंदिर के पास, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि मैसर्स गणेश ट्रेडर्स बीकानेर के तीन पार्टनर ताराचन्द, ठाकर राम, ओमप्रकाश एवं अध्यक्ष, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर द्वारा षडयंत्र रचकर बिना हिस्सेदारी हस्तान्तरण के पार्टनर डीड में से नाम हटाने के प्रकरण में कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भागीदारी डीड दिनांक 01.04.2005 के द्वारा कूटरचना करते हुए मांगीलाल सिहाग व इन्द्र चन्द्र बोथरा के हटाये गये नामों के संबंध में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), बीकानेर के आदेश दिनांक 14.09.2023 के द्वारा पुनः 01.04.2005 से पूर्व की स्थिति को बहाल कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(105)लोआस / 2023

परिवादी श्री जगमोहन शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा, निवासी ग्राम गढ़ी वाधवा, पोस्ट गावड़ा मीणा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि ग्राम कंचनपुर की तलहटी के खसरा नम्बर 123 गैरमुमकिन तलाई पर हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत कर पक्का निर्माण कार्य करवा दिया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, कंचनपुर की आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 10.117 है0 गैरमुमकिन तलाई में से अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन, पटवारी एवं सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कंचनपुर की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(143)लोआस / 2023

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह, निवासी ढ़ाणी चादोड़ा तन कारोला, तहसील पावटा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम रेला, पटवार हल्का कारोली में स्थित आराजी का हक त्याग करने के बाद भी नामान्तकरण नहीं खोला गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का नामान्तकरण स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड में क्रियान्वयन हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(36)लोआस / 2022

परिवादी श्री सोनूराम पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी गांव 2 एच छोटी, पोस्ट 3 एच छोटी, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि उनके द्वारा सुरक्षा गार्ड पंचायत 13, जी छोटी, पंचायत 13 छोटी, पंचायत समिति व जिला श्रीगंगानगर में कार्य किया गया। उनको तेजस्वनी सिक्योरिटी एण्ड मैनपॉवर सर्विस श्रीगंगानगर से अनुबंध पश्चात् सरपंच, ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य पर रखा गया। प्रार्थी को सरपंच, ग्राम पंचायत 13 जी छोटी द्वारा उपस्थिति की प्रमाणित प्रति देकर मानदेय दिलाने व बकाया बिलों के भुगतान ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार द्वारा नहीं करने के कारण उनको भुगतान कराये जाने के लिए सरपंच, पंचायत 13 छोटी द्वारा तथा तहसीलदार व विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवायी किन्तु प्रार्थी को मानदेय भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री सोनूराम, सुरक्षा गार्ड को

माह दिसम्बर से मार्च, 2023 तक का भुगतान तेजस्वी सिक्योरिटी एण्ड मैन पॉवर सिर्विसेज, श्रीगंगानगर को 1,37,120/— रूपये का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(38)लोआस/2021

परिवादी श्री सुब्बन, निवासी ग्राम पोस्ट चुहड़पुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत चुहड़पुर में सरपंच एवं सचिव द्वारा विकास कार्यों में की जा रही गड़बड़ी जिनमें शौचालय, मनरेगा भुगतान का गलत खातों में हस्तान्तरण तथा अपने चहेते लोगो को आर्थिक लाभ पहुंचाने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वसूली योग्य राशि 4,79,400/— रू. में से श्री सुरेश सिंह, ग्राम विकास अधिकारी के सेवानिवृत्ति पश्चात उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की राशि में से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा के अनुसार राशि 2,39,700/— रू. की संबंधित कार्मिक श्री सुरेश सिंह से वसूली कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(120)लोआस/2021

परिवादी श्री पवन मेनारिया पुत्र श्री पृथ्वीराज मेनारिया, निवासी मेनार, तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर का अभिकथन था कि उनके निजी मकान से सटकर ग्राम पंचायत मेनार द्वारा आपसी साजिश से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया जिसके कारण मकान में सीलन आकर मकान की दीवार का प्लास्टर गिरने एवं शौचालय से बदबू आने के कारण निवास करने में मुश्किल आने पर ग्राम पंचायत मेनार एवं वार्ड पंच श्री शंकर लाल मेरावत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में एक नाम के दो व्यक्ति होने एवं सहवन से गलत जॉब कार्ड पंजीयन होने को मानवीय भूल मानते हुए आरोपी को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए लिखित में चेतावनी दी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। साथ ही प्रकरण में 1650/– रूपये राशि प्राप्त होने पर उसका भुगतान सही श्रमिक को कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(137)लोआस/2019

परिवादी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री घोड्याराम मीना, निवासी ग्राम पोस्ट रोनिजा थान, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत रोनीजाथान में फरवरी 2015 से अब तक करवाए गए कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यथा गौरव पथ का कार्य शीला मीणा के मकान से शमशान भूमि तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया और उनके द्वारा खर्च वहन किया गया। इसी गौरव पथ का कार्य पंचायत ने अपना दिखाकर भुगतान उठा लिया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्मिक श्री रोहिताश मीणा (कनिष्ठ सहायक), तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रोनीजाथान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, जिसमें उसके द्वारा भाग न लेने से एकपक्षीय कार्यवाही कर उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया।

प्रकरण में श्रीमती अनीता देवी मीना, पूर्व सरपंच को संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश के द्वारा पांच वर्ष की कालावधि तक चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया गया। श्रीमती अनीता देवी मीणा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1552/2023 दायर कर वसूली पर स्थगन आदेश पारित कर लिया है।

इसी प्रकार दोषी कार्मिक श्री राधेश्याम मीणा ने भी वसूली की कार्यवाही के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की है, जिसमें वसूली की कार्यवाही के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया है। दोषी कार्मिक श्री राधेश्याम मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से सम्पूर्ण वसूली योग्य राशि वसूल की जा चुकी है अर्थात् उसके द्वारा उक्त राशि जमा करवायी जा चुकी है साथ ही श्री किशनलाल मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से भी वसूली राशि प्राप्त हो चुकी है और राजकोष में जमा हो चुकी है।

श्री रोहिताश मीणा से वसूली योग्य राशि 3,03,410/— रूपये में से 50,000/— रूपये वसूल किये गये, तत्पश्चात् उसके द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(199)लोआस/2017

परिवादी श्री बनवारी लाल धोबी पुत्र श्री रामनाथ धोबी, निवासी ग्राम पोस्ट चुरेलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत चुरेलिया की सरपंच श्रीमती अनिता मेरोठा व ग्राम सेवक विनोद कारपेन्टर द्वारा पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में बिना निर्माण के ही करीब 45 लाख रूपये का भुगतान उठाकर घोटाला किया है जिसे दबाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में ग्राम सेवक श्री कैलाश चन्द गुप्ता से बकाया राशि 4,69,942/— रूपये वेतन से वसूल कर राजकोष में जमा कर लिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(208)लोआस / 2018

परिवादी श्री विशम्भर शर्मा पुत्र श्री लटूरी, निवासी ग्राम उमरेह, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत उमरेह, तहसील बाड़ी द्वारा आर0सी0सी0, खरन्जा एवं पुलिया निर्माण का कार्य ग्राम उमरेह में नहीं करवाने व फर्जी पैमाइश करवा कर भुगतान उठा लिये जाने तथा ग्राम उमरेह में सही तरीके से सीमेन्ट व गिट्टी खरंजा में नहीं डाले जाने व केवल लीपापोती कर दिये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री मकबूल खां, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से उसके हिस्से की राशि वसूल की जा चुकी है। श्री नेमीचन्द अग्रवाल, सहायक अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(425)लोआस / 2018

परिवादी श्री शंकरसिंह दहिया पुत्र श्री मोड़सिंह दहिया, निवासी ग्राम नोसरा, तहसील आहोर, जिला जालोर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत नोसरा में पंचायत के विभिन्न कार्य सरपंच एवं पंचायत सहायक द्वारा नियम विरूद्ध करवाकर लाखों रूपए का गबन किया जा रहा है। इस बाबत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच करवाई। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में वर्णित कार्य में सम्पूर्ण प्रक्रिया नियम विरूद्ध पाई गई और ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गई 4.50 लाख रूपए वसूली योग्य पाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री अरूणेश पाठक, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, आहोर से प्रस्तावित वसूली राशि

1.50 लाख रूपए जरिये चैक तथा श्रीमती मंजू कंवर, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, नोसरा से प्रस्तावित राशि 1.50 लाख की वसूली जरिये चैक प्राप्त हो चुकी है। शेष राशि 1.50 लाख रूपए की वसूली हेतु श्रीमती पुष्पा देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, नोसरा को नोटिस जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(467)लोआस/2022

परिवादी श्री बुद्धीप्रकाश मीणा पुत्र श्री किशनलाल मीणा, निवासी ग्राम बुढ़करवर, तहसील नैनवां, जिला बूंदी का अभिकथन था कि भूमि के पट्टे हेतु प्रशासन गांवों के संग शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, आवेदन लिस्टेड भी कर लिया गया था, ग्राम विकास अधिकारी श्री विष्णु पालीवाल द्वारा बतौर रिश्वत 15000/– रू. प्राप्त करके भी पट्टा जारी नहीं किया गया, वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी सेवानिवृत हो चुका है। तदुपरान्त वर्तमान पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश प्रजापत ने भी पट्टा जारी करने की एवज में 20000/– रू. की रिश्वत लेकर भी उक्त आवासीय पट्टा जारी नहीं किया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेश प्रजापत, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 20000/– रू. की मांग नहीं की गई एवं परिवादी को पट्टा प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 15(14)लोआस/2021

परिवादी श्री अरूण कुमार बोरा पुत्र श्री देवी शंकर बोरा, निवासी जेबी–64, देवीकृपा, भोली बाई का मन्दिर, जालोर गेट के अन्दर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पक्ष में जीपीओ नम्बर एवं पीपीओ नम्बर जारी कर पेंशन परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(293)लोआस / 2019

परिवादी श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता, निवासी प्लाट नम्बर 2/58, एन.ई.बी., कृषि उपज मण्डी के पीछे, जिला अलवर का अभिकथन था कि वह प्लॉट नम्बर 2/58, एनईबी, अलवर का निवासी है तथा उसके पहले वाले मकान में अतिक्रमण कर पक्का बाथरूम का निर्माण करवाया गया है जिसकी शिकायत निर्माण शाखा जेईएन रविता कुमारी को बार–बार करने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवैध निर्माण कार्य को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(297)लोआस / 2018

परिवादी श्री अब्दुल फरीद पुत्र श्री जुम्मा खान, निवासी मकान नम्बर 42/225, जेपी कॉलोनी, जलमहल, आमेर रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि नगर निगम के सर्वे में मकान नम्बर 19/225, जेपी कॉलोनी, गली नम्बर 2, आमेर रोड़, जयपुर के मालिक द्वारा कॉलोनी की मुख्य सड़क जो कि आम रास्ता है पर साढ़े तीन फुट की बालकनी निकाल कर अतिक्रमण किया गया है, जिसे ध्वस्त नहीं किया गया है।

इस संबंध में नगर निगर हैरिटेज–जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मोहम्मद जहीर, मकान नम्बर 19/225, जेपी कॉलोनी, गली नम्बर 2, आमेर रोड़, जयपुर ने अनाधिकृत रूप से शौचालय का निर्माण किया था जिसके संबंध में उसे पूर्व में नोटिस जारी किये गये किन्तु चिह्नित अनाधिकृत निर्माण कार्य को हटाया नहीं गया। तत्पश्चात् सतर्कता शाखा के द्वारा अनधिकृत निर्माण को पुलिस जाप्ते द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 19(4)लोआस/2018

परिवादी श्री सीताराम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री धन्नालाल अग्रवाल, निवासी बी–4–बी, नीलगगन अम्बाबाड़ी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, विश्वकर्मा इकाई एवं एम0के0 जैन, प्रबन्ध वित्त पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के औद्योगिक शेड संख्या एफ–254 के ट्रांसफरी फर्म मैसर्स अलाईड डाइज एण्ड कैमिकल्स से अनुचित लाभ प्राप्त कर निगम को लगभग 11.50 लाख रूपये की राजस्व हानि पहुंचायी गयी।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद के संबंध में निगम प्रबन्धन द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार लोकसेवक एस0के0 गुप्ता (सतीश कुमार गुप्ता) को रीको एम्पलाईज (क्लासीफिकेशन डिसीप्लीनरी एक्शन एण्ड अपील) रूल्स, 1979 के नियम 11(ए) के अन्तर्गत आरोप पत्र देकर विभागीय जांच शुरू की तथा की गई विभागीय जांच में लोकसेवक एस0के0 गुप्ता द्वारा भूखण्ड एवं शेड्स की बकाया सम्पूर्ण राशि कार्यालय आदेश के अनुरूप वसूल नहीं करने एवं भूखण्ड के उपविभाजन की स्वीकृति से पूर्व उत्पादन संबंधित गतिविधियों का सत्यापन रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम 21(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किये जाने के

लिए दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 32(13)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती सरबती जाटव पत्नी स्व0 श्री रामधन जाटव, निवासी मुकाम पोस्ट निसूरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली का अभिकथन था कि उनके दोनों पुत्र सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है व आर्थिक तंगी के चलते ईलाज कराने में असमर्थ है। उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पी.पी.ओ. नम्बर 41710100003967 बी.आर.जी.बी. के बजाय गलत खाता संख्या बैंक बीओबी, शाखा श्रीमहावीरजी में डाल दिया गया।

इस संबंध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी के बैंक खाता अथवा शाखा परिवर्तन उनके द्वारा जनाधार में परिवर्तन करवाने के उपरान्त स्वतः हुआ है। शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शास्त्री नगर को राशि 21,000/– रूपए का सही बैंक खाता संख्या बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीमहावीरजी में जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(8)लोआस/2023

परिवादी श्री भागचन्द शर्मा पुत्र श्री अंबालाल शर्मा, निवासी 143, गुलजार नगर, इण्डेन गैस गोदाम के सामने, भदवासिया, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें जी.पी.एफ. खाता के तहत अवशेष राशि का पूर्ण व सही भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को अवशेष राशि का भुगतान हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(18)लोआस / 2023

परिवादी श्री जगदीश माली पुत्र श्री हजारी लाल माली, निवासी मुकाम पोस्ट बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें जी.पी.एफ. खाता के तहत अवशेष राशि का पूर्ण व सही भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को अवशेष राशि का भुगतान हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मई 2024

एफ 3(83)लोआस / 2022

परिवादी श्री वेदान्त गर्ग पुत्र स्व0 श्री डॉ0 पकज गर्ग, निवासी ज्योति विद्यापीठ ट्रस्ट एवं महिला विश्वविद्यालय वेदान्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना, महिला जोबनेर लिंक रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना संख्या 55 / 2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना मौजमाबाद जिला जयपुर का निष्पक्ष अनुसंधान करवाने, जाचं अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दूदू जयपुर ग्रामीण द्वारा पद का दुरूपयोग कर उक्त प्रथम सूचना झूठी व काल्पनिक तथ्यों पर होने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के

विरूद्ध झूठा परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष पेश किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में किये गये अनुसंधान से मामला सिविल नेचर का पाया जाने पर एफआर संख्या 184/23 को अदम वकू सिविल नेचर में कता कर न्यायालय एमजेएम कोर्ट, दूदू में प्रस्तुत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(266)लोआस/2022

परिवादी श्री सोनूराम पचौरी पुत्र श्री शिब्बोलाल, निवासी ग्राम चितौरा, तहसील सैपउ, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40/1994 पुलिस थाना कौलारी में पंजीयन करवाई गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2002 को आरोपियों को सजा सुनाई गई। उक्त समय अभियुक्त पूरण को भगौड़ा घोषित किया गया था परन्तु अब वह वायु विहार कॉलोनी, एयर फोर्स क्वार्टरों के पास आगरा में स्थायी रूप से मकान निर्माण कर मय परिवार के साथ रहता है परन्तु पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1994 के लम्बित मामले में दीगर अभियुक्तगण के अलावा अभियुक्त पूरण के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 447, 302 भारतीय दण्ड संहिता में लम्बित रखा गया था। दिनांक 25.01.2024 को आरोपी पूरण पुत्र छोटेलाल को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वर्ष 1994 से मफरूर अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने से परिवादी को पूर्ण अनुतोष की प्राप्ति हो चुकी है।

एफ 3(299)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती रामकन्या रेगर पत्नी श्री रामदेव रेगर, निवासी महुआ, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि रात्रि को मुलजिमान द्वारा उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई और जातिसूचक गालियाँ निकाली गई। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2023 अपराध धारा 143, 323, 341, 447 भादसं व 3(1)(आर)(एस)(एफ), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट, पुलिस थाना, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा में पंजीयन करवाई गई। इसमें एक माह बाद भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुलजिमान द्वारा लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2023, पुलिस थाना माण्डलगढ़ में बाद अनुसंधान अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध जुर्म जैरदफा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता, 3(1)(आर)(एस), 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता की जाकर न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 5(10)लोआस/2018

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव माईकलां, तहसील व जिला चरखी दादरी (हरियाणा) का अभिकथन था कि भूपसिंह, जेबीटी अध्यापक की पत्नी लाडोदेवी का देहान्त हो जाने के उपरान्त विभाग से मिलीभगत कर अपने भाई महावीर की पत्नी बाला देवी को रिकॉर्ड में स्वयं की विवाहिता पंजीयन करवाया गया

तथा भूपसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् बालादेवी ने भूपसिंह की पत्नी बनकर पेंशन के रूप में लाखों रूपये प्राप्त कर लिये तथा आज भी पेंशन प्राप्त कर रही है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालादेवी को पारिवारिक पेंशन हेतु लाभार्थी नहीं मानते हुये उससे वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। वस्तुतः विभाग के स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कर बालादेवी को भुगतान की गई पारिवारिक पेंशन की रिकवरी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झुन्झुनू को निर्देशित किया जा चुका है एवं मुख्य प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, लाजपत राय चौकी, चरखी दादरी को हुये अवैधानिक भुगतान की वसूली हेतु पत्र भी लिखा गया है। साथ ही नियमित रूप से बालादेवी को देय पारिवारिक पेंशन भी रोक दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 5(11)लोआस/2023

परिवादी श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिवचरण लाल गुप्ता, निवासी मकान नम्बर 4क, 321–322, शिवाजी पार्क, जिला अलवर का अभिकथन था कि परिवादी वर्ष 2021 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मआहूतास, जिला अलवर में हिन्दी व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। प्रार्थी ने अपना स्थानान्तरण आवेदन पत्र विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसरण में इच्छित पाँच स्थान अंकित करते हुए सक्षम अधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को ऑनलाईन प्रेषित किया था। परिवादी का स्थानान्तरण इच्छित स्थानों के विपरीत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करनीकोट अलवर में कर दिया गया जो कि परिवादी के घर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। परिवादी को उक्त स्थानान्तरण का नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता नहीं मिला है जिससे परिवादी को 50,000/– रूपये का नुकसान हुआ है। परिवादी दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त हो चुका है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी अशोक कुमार गुप्ता, व्याख्याता का स्थानान्तरण राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मआहूतास, कोटकासिम अलवर से राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल करनीकोट, मुण्डावर अलवर में किया था। उक्त आदेश में अशोक कुमार गुप्ता को यात्रा भत्ता एवं योगकाल प्रदान नहीं किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर यात्रा भत्ता एवं योगकाल की स्वीकृति प्रदान की चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 7(11)लोआस/2022

परिवादी श्री इमरान शाह पुत्र श्री छुट्टन शाह, निवासी 680, न्यू संजय कॉलोनी, कच्ची बस्ती भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर 7, जिला जयपुर का अभिकथन था कि जयपुर शहर स्थित भट्टा बस्ती के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा मनमानी करने व राजस्थान सरकार द्वारा इलैक्ट्रॉनिक कांटे दिये जाने के पश्चात् भी उनका उपयोग नहीं किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 05 उचित मूल्य की दुकानों पर कोई तराजू नहीं पाये गये, जिसके लिए सभी दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से गेंहू वितरण हेतु पाबन्द किया गया। इसके उपरान्त उचित मूल्य दुकानदारों की नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट के क्रम में जारी नोटिस के प्राप्त जवाब में तकनीकी किस्म की अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों के अनुरूप उचित मूल्य दुकानदार पर लघु शास्ति के रूप में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(203)लोआस/2023

परिवादी श्री जनमेज राणा पुत्र श्री प्रभुलाल, निवासी ग्राम घासड़ी, पंचायत लवादर जिला टोंक हाल कृष्णा कॉलोनी, पिली तलाई, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम घासड़ी, पंचायत लवादर में स्थित उसकी पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 105/3 रकबा 8 बीघा पर कमलेश मीणा, कन्हैयालाल द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार द्वारा 183(सी) काश्तकारी अधिनियम के तहत अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल करने, सिविल कारावास एवं 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था परन्तु उक्त निर्णय की पालना नहीं हुई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमियों को बेदखल कर भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर उसका कब्जा परिवादी को सुपुर्द किया जाना आदेशित किया गया, किन्तु बार–बार बुलाये जाने के पश्चात् भी भी परिवादी कब्जा लेने हेतु मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। अलबत्ता मौके पर आसपास के काश्तकारों की उपस्थिति में भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात कायम कर दिये गये।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(77)लोआस/2023

परिवादी श्री गिरधर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी गांव महेशों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत चौक, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि सुरेश कुमार पालीवाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौक, पंचायत समिति सांकड़ा पर 2022–23 में नरेगा योजना में एक ही नाम के दो अलग–अलग जॉबकार्ड से फर्जी भुगतान 23034/– रूपये उठाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2022–23 में नरेगा योजना में एक ही

नाम के दो अलग–अलग जॉबकार्ड से फर्जी भुगतान 23034/– रूपये उठकार सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के संबंध में विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सांकड़ा द्वारा की गई जांच से गलत जारी हुए जॉब कार्ड को निरस्त कर श्यामसिंह व उनकी पत्नी सीताकंवर को हुए दोहरे भुगतान की सम्पूर्ण राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज के कुल 14899/– रूपये की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(142)लोआस/2023

परिवादी श्री गिरधर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी मकान नम्बर 129, ठाकुर वीरेन्दर सिंह नगर, रामदेवरा रोड़, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत चौक, पंचायत समिति सांकड़ा, जैसलमेर के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार पालीवाल व सरपंच द्वारा वर्ष 2022–23 में नरेगा योजनान्तर्गत तीन व्यक्तियों के 100 हाजरी दिन पूरे होने के पश्चात् भी फर्जी व कूटरचित तरीके से जॉब कार्ड बनाकर कुल 69736.8/– रूपये की राशि भुगतान पेटे उठाकर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जॉब कार्ड संख्या 516673706 जो कि भूलवश जारी हुआ था पर उठाई गई 97 दिवस की भुगतान राशि एवं जॉब कार्ड संख्या 516673713 पर उठाई गई 46 दिवस की भुगतान राशि संबंधित श्रमिकों से नियमानुसार वसूल कर राशि पंचायत कोष में जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(185)लोआस/2023

परिवादी श्री धुडाराम सैनी पुत्र श्री बंशीधर सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 01, ग्राम रतनपुरा, ग्राम पंचायत नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि

ग्राम पंचायत बागरियावास, तहसील श्रीमाधोपुर में दिनांक 05.05.2022 से 01.07.2022 तक गर्मियों के मौसम में उसके द्वारा टेंकर से पानी की सप्लाई की गई, जिसका 300/– रूपये प्रति टेंकर के हिसाब से राशि 90,000/– रूपये का भुगतान ग्राम पंचायत बागरियावास के सरपंच एवं सचिव द्वारा नहीं किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर एवं सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी ने दिनांक 11.03.2024 को बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(463)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी गांव खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर हाल मुकाम लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति पीपाड़ शहर के विकास अधिकारी व सरपंच पर फर्जी हाजरी के आधार पर 1625/– रूपये की राशि का गबन कर राजकोष को हानि पहुंचाने पर कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा कुल वसूली राशि 2425/– रूपये रसीद संख्या 1172 से जमा करा दी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 13(2)लोआस / 2023

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा, निवासी मकान नम्बर 6, परवत कॉलोनी, तेलीपाड़ा बी, बोधशाला स्कूल के पास, शास्त्री नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर में किराये पर लगाये गये वाहन संख्या आर.जे. 14 टीई 8940 के 72,000/- रूपये के बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में शासन सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके वाहन के समस्त मासिक बिलों की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(67)लोआस / 2019

परिवादी श्री राधाकिशन जाट पुत्र श्री माधू जाट, निवासी न्यू विनायक नगर, अजमेर रोड़, केकड़ी, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उसके मकान के पीछे नगरपालिका, केकड़ी की पड़त भूमि पर कृष्ण गैस एजेंसी के मालिक द्वारा 30 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण के कारण अतिक्रमी के वाहनों को रास्ता नहीं मिलने के कारण उसके द्वारा नगरपालिका की पड़त भूमि की तरफ तीसरा गेट निकालकर अतिक्रमण किया गया है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर किये हुये उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(194)लोआस / 2023

परिवादी श्री रमेश सिंह हाडा पुत्र श्री रतन सिंह हाडा, निवासी बाईपास रोड़, जिला बूंदी हाल वार्ड परिषद वार्ड नम्बर 24, नगर परिषद, जिला बूंदी का अभिकथन था कि बूंदी जिले के इन्दिरा रसोई में हो रही अनियमितताओं के संबंध में उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा के द्वारा जांच करायी जाकर दो संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिये गये। तीन इन्दिरा रसोई में से दो की जांच करना तथा तीसरी की जांच नहीं करना, संवेदक व जांचकर्ता के मध्य मिलीभगत होना प्रमाणित है। अतः लोकसेवकगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जन कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण समिति द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई संख्या 112 पर एक लाख रूपये जुर्माना लगाकर उसे ब्लैकलिस्ट कर निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार नाग नागिन सेवा समिति द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई संख्या 155 व 185 का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(220)लोआस / 2017

परिवादी श्री राधाकृष्ण टेकवानी पुत्र श्री लोकचंद टेकवानी, निवासी 13, मुखर्जी नगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 13 के पार्षद अशोक मेठिया ने अपने घर के आगे सड़क आम में चबूतरा बनाकर कर चार दीवारी बना ली। भगतसिंह स्कूल के पास बन्द गली में घर के आगे निर्मित अवैध अतिक्रमण व चारदीवारी को हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की मुख्य आपत्ति वार्ड नम्बर 13 के पार्षद अशोक मेठिया द्वारा अपने घर के आगे सड़क आम पर चबूतरा बनाकर चारदीवारी

निर्मित करने के संदर्भ में थी, जिसे नगर परिषद के द्वारा इस सचिवालय के प्रयासों से हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(232)लोआस / 2018

परिवादी श्री महेश चंद शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन लाल शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर एफ–2, मोहन नगर, स्टेशन रोड़, पुलिस चौकी के सामने, हिण्डौन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि नगर परिषद, आयुक्त व सभापति द्वारा अपने पद का दुरूप्योग कर 2017 से मई 2018 तक व्यावसायिक या आवासीय पट्टे जारी करने, नियम विरूद्ध प्लॉट, स्कीम काटकर, प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी आवेदनकर्ताओं के मकान स्वीकृत कर वार्ड नम्बर 1 से वार्ड नम्बर 45 से 70 प्रतिशत शौचालय निर्माण को कागजों में दिखाकर, शहर में क्रॉस नालियों के निर्माण कार्य, एलईडी लाइट की खरीद व बाजना फाटक से लेकर बयाना रोड़ तक 200 फीट हाईवे बाइपास, आम रास्ते पर नियमविरूद्ध पट्टे जारी कर भ्रष्टाचार किया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप नगर परिषद, हिण्डौन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, शहर में निर्मित सभी शौचालयों का मेजरमेन्ट तकनीकी शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात ही भुगतान किया गया एवं नाली निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार निविदा जारी कर कार्य करवाया गया तथा किये गये कार्य की मौका जांच पश्चात ही भुगतान किया गया। नगर परिषद, हिण्डौन क्षेत्र में एलईडी लाईट खरीद से लेकर इन्हें लगाने तक का कार्य ई.ई.एस.एल. कम्पनी द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण करवाया गया। नगर परिषद, हिण्डौन सिटी क्षेत्र में पट्टे हेतु प्राप्त आवेदनों की सही जांच कर नियमानुसार ही पट्टे जारी किये गये है। परिवादी को उसका स्वयं का व्यावसायिक पट्टा प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(344)लोआस/2017

परिवादी श्री नवीन चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभाशंकर शर्मा, निवासी 13, केशव नगर–प्रथम, जयपुर रोड़, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उनके मौहल्ले में नाली निकास न होने व साफ–सफाई न होने के कारण सभी मौहल्लेवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा इस संबंध में नगरपालिका मालपुरा ई.ओ. को अवगत कराया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी नवीन शर्मा का मकान, जिसमें परिवादी वर्तमान में निवास कर रहा है, के आगे पुख्ता पक्की नाली बनी हुई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(371)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील कुमार सांखला पुत्र श्री नन्दलाल, निवासी सालासर रोड़, नगर परिषद के पास, वार्ड नम्बर 15, जिला सीकर का अभिकथन था कि बंशीसिंह, भगवान सिंह व किशन सिंह द्वारा स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत पत्रावली क्रमशः 104, 105 व 106 के क्रम में की गई आपत्तियों का निस्तारण नहीं कर नगर परिषद बैठक में उक्त पट्टों की फाईले रखी गई है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल के संबंध में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने हेतु लगी पत्रावलियों को पूर्व में ही वर्ष 2012 में निरस्त किया जा चुका है। साथ ही प्रश्नगत स्थल पर पाये गये अतिक्रमण को नगर परिषद, सीकर द्वारा हटाया जा चुका है तथा अतिक्रमी रणवीर सिंह के विरूद्ध बार–बार किये गये अतिक्रमण के संबंध में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

मौके पर अब 14 फीट का मार्गाधिकार सुचारू है तथा मास्टर प्लान की 60 फीट सालासर रोड़ गुजर रही है, जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(75)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती उमा गोयल पत्नी स्व0 श्री नवल किशोर गोयल, निवासी 3 एमबी 10, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा स्थित प्लॉट नम्बर 3 एमबी 9 के मालिक द्वारा भवन विनियमों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध निर्माण किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गई।

इस संबंध में सचिव, राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवास संख्या 3 एमबी 9 के आवंटी रामवतार द्वारा अपने आवास में निर्माण के दौरान नियमों के विपरीत सड़क सीमा में बनाई गई 3 फीट चौड़ी प्रश्नगत बालकनी तुड़वा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(85)लोआस/2023

परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय मीणा, निवासी खोड़ा की ढ़ाणी, आकेड़ा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम आंकेड़ा डूंगर के गोविन्द नगर 03आरडी स्थित अपने परिवार की स्टेशुदा भूमि में उसके मकान के पास में प्लॉट संख्या 04ए में सुरेन्द्र व अन्य द्वारा जविप्रा से बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये तथा उक्त जमीन पर स्थगन आदेश होने के पश्चात् भी अवैध रूप से बेसमेंट खोदने के कारण उसके मकान की दीवारों में दरारें आने के संबंध में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को शिकायत किये जाने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट नम्बर 4ए पर किये जा रहे अवैध निर्माण को मौके पर जाकर बंद करवाया तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्माणकर्ता को नोटिस दिया जाकर प्राप्त जवाब असंतोषप्रद पाया जाने पर उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुसार प्रश्नगत बेसमेन्ट निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 31(6)लोआस/2023

परिवादी श्री किशनलाल कुमावत पुत्र श्री हीरालाल कुमावत, निवासी ग्राम हरित नगर, ग्राम पंचायत खारिया, पोस्ट कुचामन सिटी, जिला नागौर का अभिकथन था कि सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कुचामन सिटी द्वारा उनकी कॉलोनी में शुल्क जमा कराने के पश्चात् भी भी जल कनेक्शन नहीं किया गया।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ग्राम हरितनगर (कुचामन) से 1 कि.मी. की दूरी पर प्रश्नगत ढ़ाणी है जो कि आईएमआईएस पर चिन्हित नहीं थी। जल जीवन मिशन के अधीन परियोजना कुचामन सीडीएस–06 राशि रूपये 116,85 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। कार्यादेश के तहत माह नवम्बर तक 79 करोड़ का खर्चा किया गया। छोटी ढ़ाणी जो कि चिन्हित नहीं है, को भी घर–घर नल कनेक्शन जारी करने हेतु एनजेजेएम द्वारा सर्कूलर जारी किया गया। दिनांक 19.08.2023 को परिवादी की ढ़ाणी में जल कनेक्शन लगाकर जलापूर्ति शुरू कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(20)लोआस/2018

परिवादी श्री कंचनलाल गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सहाय गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाड़ा, पोस्ट जौपाड़ा, जिला दौसा का अभिकथन था कि चारागाह भूमि में पोण्ड खोदकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 224 किस्म चारागाह में अतिक्रमण में 7 X 6 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर पोण्ड के रूप में किये गये गढ्ढे को जेसीबी से समतल कर पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(153)लोआस/2021

परिवादी श्रीमती गुलाबी पत्नी स्व0 श्री सांवरमल खटीक, निवासी वार्ड नम्बर 5, नया बस स्टेण्ड, रामगढ़ शेखावटी, जिला सीकर का अभिकथन था कि उनके पति की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्व0 श्री सांवरमल खटीक की कोरोना रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों के अधीन स्वीकृत की गई तथा 20 लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(1)(ए) के प्रावधानों के अधीन स्वीकृत कर दी गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(9)लोआस / 2023

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पति स्व0 श्रीमती इन्दुबाला जोशी, निवासी चांदपोल चौक के अन्दर, महादेव मन्दिर के पास, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें जी.पी.एफ. खाता के तहत अवशेष राशि का पूर्ण व सही भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को अवशेष राशि का भुगतान हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जून 2024

एफ 5(23)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती अनीता भार्गव पत्नि श्री प्रदीप भार्गव, निवासी एस–बी 167, पर्ल रेजीडेंसी, महात्मा गांधी मार्ग, बापू नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 272 / 2018 दिनांक 22.02.2018 की पालना में उसके बकाया डीए, वेतन स्थिरिकरण के एरियर एवं अन्य परिलाभ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात देय राशि 4,44,558 / – रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 7(14)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नि श्री पूरणमल शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट सातलियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सातलियास की उचित मूल्य की दुकान के आवंटन प्रक्रिया में ग्राम सांगास, ग्राम पंचायत सातलियास की श्रीमती गुणवंतीदेवी को दुकान आवंटन की अनुशंषा अनुचित तरीके से की गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुशंषा के पश्चात परीक्षणोपरान्त साक्षात्कार के समय श्रीमती गुणवंतीदेवी सातलियास ग्राम पंचायत की मूल निवासी नहीं होने के कारण उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नहीं किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(32)लोआस / 2023

परिवादी श्री गोपाल लाल धाकड़ पुत्र श्री माधु लाल धाकड़, निवासी जवानपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि पटवार हल्का भगुनगर में स्थित खसरा नम्बर 6/2 राजकीय भूमि है, जिस पर दो वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ है। धारा 91 के तहत प्रकरण न्यायालय, नायब तहसीलदार खजूरी में विचाराधीन होने एवं भूमि एमडीआर राजमार्ग 7 से सटी होने के कारण भू–माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबादी प्रस्ताव लेने का उल्लेख किया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, शाहपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 6/2 रकबा 7.8192 हैक्टर से अतिक्रमण हटाया जाकर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है तथा प्रश्नगत भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(479)लोआस/2018

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह राठौड़ पुत्र श्री बने सिंह राठौड़, निवासी 150, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम गगराना स्थित उसकी खातेदारी भूमि व सड़क के बीच स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध दुकानें बनाकर उसकी भूमि का रास्ता बंद कर दिया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौजा गगराना के खसरा नम्बर 2541 किस्म गै.मु. नाड़ी पर अतिक्रमण के रूप में निर्मित नौ दुकानों को हटाने बाबत गठित टीम द्वारा चार जेसीबी की सहायता से उक्त अतिक्रमण स्थान को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा राजहक में ले लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(65)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री राधेश्याम, निवासी ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा निर्माण कार्यों की सामग्री आपूर्ति हेतु जारी निविदा के संबंध में कार्य विशेष हेतु अयोग्य फर्म के नाम से निविदा जारी कर दी गई। उक्त फर्म से अच्छी गुणवत्ता सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स साईंनाथ का टेण्डर निरस्त कर निविदा मैसर्स महीलाल कान्ट्रेक्टर को जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स महीलाल कान्ट्रेक्टर को कार्यादेश 97 प्रतिशत (बीएसआर दर) पर जारी किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(112)लोआस/2018

परिवादी श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता, निवासी जैन पेट्रोल पंप के पास, हनुमान मंदिर के पीछे, मालाखेड़ा रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 2, मालाखेड़ा रोड़, हनुमान मंदिर के पीछे, लक्ष्मणगढ़ में मैन रोड़ पर नाला निर्माण से पूर्व मैन रोड़ के मकान वालों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे उनके मकान की नींव में पानी भरता है एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में शिकायत करने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बावड़ी से पैट्रोल पम्प तक स्थित जर्जर नाले को रिपेयर करवा दिया गया है तथा परिवादी के मकान के पास गली में क्रोस निर्माण हेतु लोहे का जाल लगवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(137)लोआस/2021

परिवादी श्री भोजराज गुर्जर पुत्र श्री मथुरा लाल, निवासी ग्राम पंचायत भेडोली, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत भेडोली के वर्तमान सरपंच एवं सचिव द्वारा परिवादी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 की सूची क्रमांक 76 पर होने पर भी बिना किसी आधार के उसका नाम सूची से हटाने पर उच्चाधिकारियों को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है एवं पक्के आवासों का विस्तार करके बड़े

मकान बना दिये है तथा वसूली राशि 1,05,000/— रूपये राज्य स्तरीय खाते में जमा करवा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(233)लोआस/2019

परिवादी श्री लालसिंह राठौड़ पुत्र श्री धनसिंह राठौड़, निवासी ग्राम पोस्ट चाखू, तहसील बाप, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत के सरपंच वीर बहादुर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं ठेकेदार ने मिलीभगत कर मौके पर 10 प्रतिशत कार्य सम्पन्न कर पूर्ण राशि का भुगतान उठा कर आपस में बांट लिया इसलिए एम.बी. के अनुसार मौके पर हुए निर्माण कार्य की जांच करवाई जाए तथा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री भगवानराम विश्नोई के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 की अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई किन्तु उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई तथा हस्तगत मामले में प्रस्तावित वसूली राशि राजकोष में जमा करा दी गई है और सरपंच के विरूद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(262)लोआस/2022

परिवादी श्री जयकिशन विश्नोई पुत्र श्री रामाल विश्नोई, निवासी ग्राम पोस्ट बोलो का डेर कुम्हारों की बेरी कोजा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि राणासर ग्राम पंचायत में कई फर्जी जॉबकॉर्ड व एक ही परिवार के तीन—तीन जॉबकार्ड बनाकर राजकोष को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसका पता लगने पर प्रार्थी द्वारा आम

सूचना मांगी गई तो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कई बार प्रार्थी के आवेदन निरस्त कर दिये गये। इस संदर्भ में राज्य लोक सूचना आयोग को अपीले भेजी गई किन्तु वर्तमान में प्रार्थी को कोई सूचना नहीं मिली व लोकसेवक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फर्जी जॉबकार्ड बनाकर उसके माध्यम से श्रमिक नियोजित करने के कारण राजकोष को हुई वित्तीय हानि 24,050/- रूपये संबंधित जॉबकार्ड धारक से रसीद संख्या 02 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से वसूल की जा चुकी है और राजकोष में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(372)लोआस/2022

परिवादी श्री बाबूराम मेघवाल पुत्र श्री ताराराम मेघवाल, निवासी थाट ग्राम पंचायत केलावा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत केलावा के सरपंच पुत्र एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर मौके पर कार्य करवाये बिना सरकारी राशि हड़प ली गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभागीय जांच कमेटी का गठन करने के पश्चात् कमेटी द्वारा शिकायतों में वर्णित कार्यों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में सभी कार्य सही पाये गये।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(6)लोआस/2024

परिवादी श्री राजेन्द्र व्यास पुत्र श्री योगीराज व्यास, निवासी 113/12, कुंभा मार्ग, सेक्टर 11, प्रताप नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्रतापनगर क्षेत्र के

सेक्टर नम्बर 11 में अवस्थित भूखण्ड संख्या 113/13 के भू–स्वामी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति तथा भू–विनियमों के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है। उक्त मकान आवासीय प्रकृति का होने पर भी व्यावसायिक निर्माण बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर सहित 06 मंजिला का निर्माण कर लिया है तथा वर्तमान में निर्माण कार्य चालू है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर एवं उप–आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अवैध निर्माण के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(14)लोआस/2023

परिवादी श्री हरप्रसाद बैरवा पुत्र स्व0 श्री छोटे लाल बैरवा, निवासी 64/01, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसके द्वारा वार्ड नम्बर 09 में अवस्थित पैतृक आवास, ग्राम स्यालावास कुटी, बांदीकुई, जिला दौसा में धारा 69(क) के तहत नगरपालिका पट्टे के लिए आवेदन किया गया था, किन्तु तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के आधार पर उसकी पत्रावली संख्या 38 को निरस्त कर दिया गया।

इस संबंध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके भू–खण्ड का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के तहत पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(18)लोआस/2019

परिवादी श्री भागीरथ जाट पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी वार्ड नम्बर 06, कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू का अभिकथन था कि छापर के वार्ड नम्बर 2 के सार्वजनिक आम गुवाड़ में बिना इजाजत के अणुवृत स्कूल बनाकर गोगामेड़ी के पास अतिक्रमण कर लिया है।

इस संबंध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत 15 फीट के अतिक्रमण को नगरपालिका द्वारा हटा दिया गया एवं 5 फीट अतिक्रमण को अतिक्रमी के द्वारा स्वयं ही हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(138)लोआस/2019

परिवादी श्री विनोद गुर्जर पुत्र श्री रामलाल गुर्जर, निवासी बम्बोर गेट, गुर्जरो का मौहल्ला, जयपुर रोड़, जिला टोंक का अभिकथन था कि बम्बोर गेट, गुर्जरो का मौहल्ला स्थित वर्षों पुराने सार्वजनिक चौक (आम रास्ता) पर फूलचन्द व अन्य लोगो द्वारा भैंस व गायें बांधकर गन्दगी फैलाई जा रही है व मौके पर लगे नीम के काफी विशाल व पुराने पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों के नीचे लटकने से आवागमन में परेशानी हो रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद द्वारा कार्यवाही कर प्रश्नगत स्थान पर से पूजा स्थल को छोड़ते हुए शेष अतिक्रमण को हटा दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(158)लोआस / 2021

परिवादी श्री गंगाशरण नाटाणी पुत्र श्री राधाबल्लभ नाटाणी, निवासी 30 / 05 / 02, स्वर्णपथ, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि फ्लैट संख्या 72 / 272, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जयपुर के पास बने गैराज के आगे अटैच्ड दीवार पर दो तरफ पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 72 / 272 की सीमा से लगती हुई सुविधा क्षेत्र में बनी हुई दीवार / अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(218)लोआस / 2018

परिवादी श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 9, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, अलमारी कारखाने के पास, बनिया का बाग, जयपुर रोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अमृत कुन्ज में वर्ष 2012 में नीलामी में खरीदे गये भूखण्ड संख्या 291 का कब्जा नहीं दिया गया एवं उसके द्वारा दी गई राशि मय ब्याज वापिस नहीं दी गई।

इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 291 की जमा राशि रूपये 9,18,000 / — का रिफण्ड लेखाधिकारी आरसीआर प्रकोष्ठ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं राशि रूपये 5,50,800 / — का रिफण्ड लेखाधिकारी भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं शेष शहरी जमाबन्दी राशि रूपये 6469 / — व ब्याज राशि रूपये 19050 / — का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(137)लोआस/2022

परिवादी श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र श्री रामकिशोर सैनी, निवासी ढ़ाणी मालियों का कुआं छावनी मण्डोली पथ तन गोडावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि राजस्व तहसीलदार, गिरदावर, हल्का पटवारी व नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना भू–रूपान्तरण के खसरा संख्या 295, 296, 299 व 297 किस्म गै.मु. रास्ता में आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 295, 296, 299 में कृषि से अकृषि कार्य करने पर न्यायालय, तहसीलदार, नीमकाथाना में मुकदमा नम्बर 14/23, 15/23, 16/23 अन्तर्गत धारा 90(क) एल.आर. एक्ट 1956 पंजीयन किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जुलाई 2024

एफ 3(16)लोआस/2023

परिवादी श्री नाथूराम रेगर पुत्र श्री मालीराम रेगर, निवासी वार्ड नम्बर 11, नगरपालिका अजीतगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि पुलिस थाना अजीतगढ़ के यहां पंजीयन कराई गई प्रथम सूचना संख्या 345/2022 में डिप्टी तथा पुलिस अधीक्षक कोई सुनवाई नहीं कर रहे है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना अजीतगढ़ पर पंजीयन प्रश्नगत प्रकरण संख्या 345/22 में अनुसंधान पूर्ण कर बाद अनुसंधान आरोपी दिनेश कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं आरोपी संदीप के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा व 341, 323, 504, 506, 325 सपठित धारा 34

भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र दिनांक 29.04.2024 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(29)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती प्रियंका गौतम पुत्री श्री सुरेश चन्द गौतम, निवासी 1/506, हाउसिंग बोर्ड थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि मुकदमा संख्या 84/2022 महिला थाना, सवाईमाधोपुर एवं मुकदमा संख्या 337/2022 थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर की निष्पक्ष जांच सीआईडी–सीबी या अन्य उच्च अधिकारी से करवाई जावें।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 84/2022 में बाद अनुसंधान आरोपी देवप्रिय व श्रीमती रितू शर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 504, 506, 34 भा.दं.सं. प्रमाणित पाया जाने पर उक्त मुलजिमान के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर 01 दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 337/2022 में बाद अनुसंधान आरोपीगण दीपक, प्रियंका, मुस्कान व सुरेश चंद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 506, 504, 34 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र संख्या 23/23 दिनांक 12.03.2023 को जारी किया गया एवं उक्त आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(353)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा संख्या 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का

अभिकथन था कि थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण द्वारा प्रथम सूचना संख्या 143/2022 में मुलजिमान के साथ सांठगांठ कर अनुसंधान में जानबूझकर देरी की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना पीपाड़ शहर पर पंजीयन प्रश्नगत प्रकरण संख्या 143/22 में बाद अनुसंधान अपराध घटित नहीं होना पाया जाने पर एफआर नम्बर 180 दिनांक 23.12.2023 अदम वकू झूठ में किता कर दिनांक 12.03.2024 को न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय पीपाड़ शहर में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(354)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा संख्या 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण द्वारा प्रथम सूचना संख्या 222/2022 में मुलजिमान के साथ सांठगांठ कर अनुसंधान में जानबूझकर देरी की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना पीपाड़ शहर पर पंजीयन प्रश्नगत प्रकरण संख्या 222/22 में बाद अनुसंधान अपराध घटित नहीं होना पाया जाने पर एफआर नम्बर 206 दिनांक 31.12.2023 अदम वकू (सिविल नेचर) में किता कर दिनांक 03.04.2024 को न्यायालय, एसीजेएम, पीपाड़ शहर में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(16)लोआस/2023

परिवादी श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुगनाराम, निवासी ग्राम हिमतासर, पोस्ट गाढ़वाला, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि ग्राम हिमतासर के ओरण, जोहड़, प्याऊ, शमशान, कुण्ड, रास्ता, गैरमुमकिन चौब कुल खसरे 47 क्षेत्रफल 213.8300 है0 भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 54 अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 के तत प्रकरण पंजीयन कर 14 प्रकरणों में तवान राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाने के साथ–साथ भौतिक रूप से बेदखली के आदेश की पालना में अतिक्रमियों की खड़ी फसल की कुर्की कर फसल की मौके पर निलामी की गई तथा मौके पर अतिक्रमियों द्वारा की गई तारबंदी, बाड़ आदि को हटा दिया गया है तथा गैरमुमकिन रास्ते पर 40 परिवारों द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के 40 परिवारों को बेघर करना उचित नहीं है तथा नियमानुसार उन्हें पुनर्वासित कर ही इन परिवारों को बेघर किया जाएगा।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(113)लोआस/2018

परिवादी श्री महादेव प्रसाद चमार पुत्र श्री प्रभातीराम चमार, निवासी ग्राम गूँती, तहसील बहरोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि परिवादी की भूमि खसरा नम्बर 947 व 979 वाके मौजा बहरोड़, जो कस्टोडियन गैर खातेदारी की भूमि है। परिवादी द्वारा उक्त भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार चाहने बाबत प्रार्थना करने पर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर/कोटपूतली–बहरोड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत कस्टोडियन गैर खातेदारी

भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 9/2022 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा डिक्री जारी की जाकर दिनांक 08.02.2022 को खातेदारी घोषित किया जाकर नामान्तरण स्वीकृत कर दिये गये है। अतः परिवादी को प्रश्नगत खसरा नम्बर 947 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(152)लोआस/2023

परिवादी श्री प्रेमसुख हुड्डा पुत्र श्री गोपालराम हुड्डा, निवासी वार्ड नम्बर 05, ग्राम पोस्ट मसूरी, तहसील नोखा, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत मसूरी में खाली पड़ी गोचर भूमि खसरा नम्बर 401 व 402 पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गोचर भूमि खसरा नम्बर 401 व 402 को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(165)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती मोनी मेघवाल पत्नी श्री धूड़ाजी, निवासी असाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि उनके पति के नाम खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 594 व 542 (क्षेत्रफल 03.3427) थी। उनके पति श्री धूड़ाराम का देहावसान हो गया है। उनके पति के स्थान पर उनके स्वयं व उनकी पुत्री के नाम भूमि का नामान्तरण पंजीयन नहीं किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बालोतरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पति श्री धूड़ाराम की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण

(म्यूटेशन) श्री धूड़ाराम के वारिसान पत्नी श्रीमती मोनी देवी (परिवादी) व पुत्री कमला के नाम नामान्तरण पंजीयन किया जाकर ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(174)लोआस/2023

परिवादी श्री मदनलाल प्रजापति पुत्र श्री गोपाराम प्रजापति, निवासी खेता नगर ढण्ड, झालामण्ड चौराहे के पास, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 28/2 रकबा 06 बीघा के तरमीम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ढण्ड के प्रश्नगत खसरा नम्बर 28/2 रकबा 06 बीघा के तरमीम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता मौके पर खुलवाया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(520)लोआस/2017

परिवादी श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह, निवासी सेलोड़िया दक्षिण, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत रावतसर के राजस्व गांव सेवाड़िया, सालमसिंह की बस्ती के आस–पास आई गोचर भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 651 की गैर मुमकिन आगोर भूमि पर 18 व्यक्तियों द्वारा कच्चे/पक्के मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण को परिवादी व

मौतबीरान के समक्ष समझाईश कर ग्राम पंचायत के सहयोग से हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा राज लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(29)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती राजरानी यादव पत्नी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव, निवासी 34, अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा की सरपंच श्रीमती संतोष कंवर, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर एवं बीडीओ, खण्डार द्वारा षड्यंत्र रचकर एवं अवैध लाभ प्राप्त कर पदीय दुरूपयोग करते हुए अपनी खातेदारी भूमि में सरकारी धन से सीसी रोड़ बनवाई है।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवकगण श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा वसूली राशि जमा करा दी गई है एवं उनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को निस्तारित कर दिया गया है। अन्य लोकसेवक श्री राकेश कुमार मीना द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(32)लोआस/2022

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद तेली पुत्र श्री नारायण प्रसाद, निवासी रोजास, ग्राम पंचायत नेतियास, पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर का अभिकथन था कि अपने आबादी भूमि खसरा नम्बर 216 में अपने आवासीय पट्टाशुदा मकान के सामने 20 फीट चौड़े रास्ते पर अतिक्रमण करने पर प्रशासन द्वारा जांच उपरांत अतिक्रमण पाये जाने पर भी ग्राम पंचायत नेतियास प्रशासन द्वारा मिलीभगत कर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नेतियास द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(37)लोआस / 2023

परिवादी श्री पवन कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम, निवासी वार्ड नम्बर 3, गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत गोलुवाला निवादान में सड़क निर्माण के कार्य में सड़क की ऊंचाई अधिक किये जाने के कारण से घरों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और प्रशासन द्वारा जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सड़क का लेवल सही करवाकर सक्षम स्तर से कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवा लिया गया है तथा वर्तमान में पानी निकासी सुचारू रूप से हो रही है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(149)लोआस / 2021

परिवादी श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चन्दगी राम, निवासी ग्राम कुशलपुरा, पोस्ट जाखोद, तहसील सुरजगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत जाखोद के ग्राम कुशलपुरा के खसरा नम्बर 120 की गोचर भूमि पर मनोज कुमार, फूलचंद द्वारा अतिक्रमण किया जाकर पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में ग्राम कुशलपुरा की भूमि

खसरा नम्बर 120 किस्म गैरमुमकिन जोहड़ में फूलचंद द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय बेदखली का दिनांक 30.12.2021 को बेदखली के निर्णय की पालना में गठित टीम एवं पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में दिनांक 14.08.2023 को जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(323)लोआस / 2023

परिवादी श्री गीगाराम मेघवाल पुत्र श्री डायाराम मेघवाल, निवासी ग्राम पंचायत रिछोली, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बालोतरा का अभिकथन था कि उनके द्वारा माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2019 के बीच ग्राम पंचायत रिछोली के नये भवन का निर्माण कार्य किया गया और उसको कुल देय राशि 5 लाख रू. में से सिर्फ 50,000/– रू. का भुगतान किया गया है तथा श्री बागाराम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रिछोली द्वारा बकाया भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत भवन निर्माण का अपूर्ण पड़ा कार्य पूर्ण किया गया था, जिसका भुगतान बकाया चल रहा है। उक्त समस्त कार्य का बकाया भुगतान परिवादी को सरपंच, ग्राम पंचायत रिछोली के तत्कालीन ठेकेदार के द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य बाबत् अब किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है तथा उसे दिनांक 20.01.2024 को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(343)लोआस/2022

परिवादी श्री शंकरलाल तेली पुत्र श्री हीरालाल तेली, निवासी रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि सचिव, ग्राम पंचायत रायला द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मेट पद पर माह अप्रेल 2021 से आज दिनांक तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत रायला द्वारा मेट प्रभूलाल रेगर, शंकरलाल तेली, सरिता देवी, सोनू देवी एवं पिंकी खटीक का अन्य बैंक में खाता खुलवाकर पंचायत समिति स्तर से एफटीओ जारी कर भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(420)लोआस/2022

परिवादी श्री सज्जन सिंह चारण पुत्र श्री रामनाथ सिंह चारण, निवासी ग्राम पोस्ट पारोली वाया पण्डेर, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, पारोली द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना एवं सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत के भवन को व्यावसायिक उपयोग में लिया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री दुर्गालाल के द्वारा महानरेगा योजना में पखवाड़ा दिनांक 24.04.2020 से 04.05.2020 एवं 10.05.2020 से 19.05.2020 तक कार्य किया गया, जिसकी वसूली ग्राम पंचायत पारोली द्वारा अवधि के दौरान भुगतान 5200/– रूपये वसूली करके पंचायत कोष में जमा करा दी गई है और दोषी कार्मिक श्री प्रदीप कुमार, तिवाड़ी, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पारोली की दिनांक 23.05.2021 को मृत्यु हो जाने से कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव नहीं रही है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(498)लोआस/2019

परिवादी श्री शौकत खां कायमखानी पुत्र श्री सांवत खां, निवासी एफ 358, मस्जिद के पास, सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, बामणिया के पूर्व सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता कारित करके एवं घटिया निर्माण करके सरकारी राशि का गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्री भवरू खां कायमखानी, ग्राम पंचायत बामणिया, पंचायत समिति बनेड़ा, जिला शाहपुरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में पाई गई अनियमितता के संबंध में आरोपित वसूली राशि 10400/– रूपये राजकोष में जमा कराई जा चुकी है एवं लगभग 15 वर्ष पश्चात् भी निर्माण कार्य एनीकट, सीसी रोड़ आदि मौके पर पाए गए और उपयोग में आ रहे है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(516)लोआस/2018

परिवादी श्री नत्थू लाल केकाड़िया पुत्र श्री बालूराम, निवासी पापड़ा कलां, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत पापड़ा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के ग्राम विकास अधिकारी श्री निहाल चंद एवं सरपंच श्री मुक्तिलाल सैनी द्वारा निजी खातेदारी की भूमि में राजकीय राशि से सीसी सड़क, खरंजा, टंकी, हैंडपंप आदि का निर्माण करवाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की समस्त राशि रूपये 37,181/– की वसूली की जा चुकी है तथा राशि पंचायत समिति के कार्यालय में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(562)लोआस / 2015

परिवादी श्री मनीराम यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, निवासी मुकाम पोस्ट माकड़ी, तहसील व जिला नीमकाथाना का अभिकथन था कि भरत कुमार यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत माकड़ी, पंचायत समिति नीमकाथाना एवं जांच से जुड़े अधिकारियों के विरूद्ध आबादी भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भी भूमि क्रय किये जाने की जाँच नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पंचायती राज विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हरिसिंह चाहर, तत्कालीन तहसीलदार एवं सुश्री सीमा खेतान के विरूद्ध सीसीए नियम–17 में जांच कर एक–एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जा चुका है। सरपंच, ग्राम पंचायत माकड़ी भरत कुमार यादव को पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(1)(ख) के तहत पांच वर्ष की कालावधि तक चुने जाने की पात्रता से वंचित कर दिया गया है तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी छाजूराम सैनी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(104)लोआस / 2023

परिवादी श्री युवराज सिंह नारवा पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम नारवा, तहसील व जिला जोधपुर का अभिकथन था कि भूमाफियाओं द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठ–गांठ से जोजरी नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की गई तथा विकसित की गई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त नहीं किया गया एवं भूमाफियाओं के विरूद्ध मुकदमा पंजीयन नहीं किया गया।

इस संबंध में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि से अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 32(11)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती मंजु योगी पत्नी श्री सोहन लाल योगी, निवासी ग्राम पोस्ट पाटन, तहसील तूंगा, बस्सी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत पाटन तूंगा में आयोजित ग्राम सभा की मीटिंग दिनांक 26.01.2023 में उसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता–2 पर चयन का अनुमोदन होने के पश्चात् भी उसका चयन नहीं कर बसन्ती मीणा का चयन किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं गई।

इस संबंध में निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी मन्जू योगी की अपील स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर चयनित बसन्ती मीणा के नियम विरूद्ध किये गये चयन को निरस्त करते हुए परिवादिया का चयन आदेश जारी किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(17)लोआस/2023

परिवादी श्री राधेश्याम खंगार पुत्र स्व0 श्री कानाराम खंगार, निवासी ग्राम कलमण्डा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(20)लोआस / 2023

परिवादी श्री सुरजमल रैगर पुत्र श्री प्रभाती रैगर, निवासी प्लाट नम्बर 50, 51, कबीर नगर, पुराना फुलेरा, फुलेरा जंक्शन, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अगस्त 2024

एफ 8(4)लोआस / 2023

परिवादी श्री जसवंत सिंह सैनी पुत्र श्री मेघराज सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 3, चांदमारी रोड़, खेतड़ी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि उनकी पत्नी श्रीमति अनिता सैनी जो कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी के अधीन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाडाफतेहपुरा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर वर्ष 2015 से कार्यरत है, को माह सितम्बर, 2022 से आदिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस हेतु उनकी पत्नी द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अनिता सैनी, नर्सिंग ऑफिसर तत्समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाडाफतेहपुरा हाल उप जिला अस्पताल, खेतड़ी का माह सितम्बर, 2022 से जून, 2023 तक का वेतन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी

एवं जुलाई, 2023 से जुलाई, 2024 तक का भुगतान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला अस्पताल, खेतड़ी द्वारा कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(92)लोआस/2023

परिवादी श्री मदन लाल खटीक पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा खटीक निवासी पाचूडाला, तहवील पावटा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम सुन्दराला पटवार हल्का में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 412/1.78 हैक्टेयर विरासत की भूमि का नामान्तकरण तहसीलदार पावटा में आवेदन करने के दो वर्ष उपरान्त एवं पटवारी को रूपये देने पर भी नामान्तकरण नहीं खोला गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मामले में पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जांच उपरान्त दिनांक 10.08.2023 को वारिसान के नाम से नामान्तकरण पंजीयन करवाकर दिनांक 18.09.2023 को नामान्तकरण संख्या 135 स्वीकृत होकर वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(127)लोआस/2021

परिवादी श्री राजकुमार जाट पुत्र श्री भगवान सहाय जाट, निवासी लांपुवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम लापुवा की चारागाह भूमि के विभिन्न खसरों पर सुल्तान, लाखाराम द्वारा एवं खसरा नम्बर 783/1 पर जितेन्द्र व रामेश्वर द्वारा अतिक्रमण किया गया जिसकी सूचना प्रशासन को देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम लापुवा, तहसील रींगस की चारागाह भूमि पर मोहनलाल, लाखाराम, हरफूल द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए नियत दिनांक 28.12.2023 को गठित राजस्व टीम द्वारा ग्राम पंचायत लापुवा द्वारा उपलब्ध संसाधनों की सहायता से मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(316)लोआस / 2023

परिवादी श्री नेमीराम व अन्य, निवासीगण ग्राम लॉछ की ढ़ाणी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर का अभिकथन था कि ग्राम लॉछ की ढ़ाणी, मेड़ता, शुभदण्ड, नया खेड़ा, पोलास गाड़ेता व डाबरियानी कलां, तहसील मेड़ता, जिला नागौर के कट्टानी रास्तों, गोचर अंगौर व नाड़ी पर सीमांकन कर वहां हुए अतिक्रमण को हटवाया नहीं गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लॉछ की ढ़ाणी की सरहद में स्थित रास्ते पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमियों के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के यहां 05 / 24 व 11 / 24 पंजीयन करवाये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(91)लोआस / 2022

परिवादी श्री हीरालाल बच्छावत पुत्र श्री चुन्नीलाल, निवासी सरदार मार्केट गिरदीकोट व्यापार संस्था 59, सरदरा मार्केट घण्टाघर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि सरदार मार्केट में दुकानदारों द्वारा सड़क सीमा व फुटपाथ पर किये गये अतिक्रमण

के संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर (उत्तर) को शिकायत करने पर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर (उत्तर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम द्वारा दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखे गये सामान के विरूद्ध अप्रैल, 2022 से मार्च 2023 तक रू. 1,58,580/– रू. शास्ति के वसूल किये गये तथा अभियान चलाकर फुटपाथ पर किये जाने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई एवं वर्तमान समय में गिरदीकोट के दोनों तरफ मुख्य मार्ग में दुकानदारों द्वारा सामान बाहर नहीं रखा होना बताया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(315)लोआस/2014

परिवादी श्री अरविन्द भास्कर पुत्र श्री रामकरण सिंह, निवासी ओम विला, आस्था स्कूल के पास, नवलगढ़ रोड़, जिला सीकर का अभिकथन था कि श्रीमती भंवरी देवी एवं उसके पुत्र सुशील द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती भंवरी देवी व श्री सुशील कुमार द्वारा आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण के साथ सम्पूर्ण अवैध निर्माण को अपने स्तर पर हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(549)लोआस/2017

परिवादी श्री राजाराम शर्मा पुत्र स्व0 श्री दीपचंद, निवासी प्लाट नम्बर 362, राय कॉलोनी, हसनपुरा–सी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्होंने दिनांक 27.06.203

को प्लाट संख्या 362, राम कॉलोनी, हसनपुरा–सी, जयपुर का पट्टा जारी करने के लिये नगर निगम में शहर जमाबन्दी शुल्क, नजराना राशि एवं साईट प्लान की राशि जमा करवा दी थी परन्तु उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में उपायुक्त, सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदनकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जोन कार्यालय द्वारा आवेदनकर्ता श्री राजाराम पुत्र श्री दीपचंद को भूखण्ड संख्या 362, राय कॉलोनी, हसनपुरा–सी, जयपुर का पट्टा विलेख (लीज होल्ड) जोन कार्यालय के पत्रांक 1264 दिनांक 07.08. 2023 के द्वारा जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(54)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री रावतमल रेगर, निवासी वार्ड नम्बर 51, रेगर बस्ती, जिला चूरू का अभिकथन था कि कार्यालय अभियोजन अधिकारी, उदयपुरवाटी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत श्री मोहनलाल गहन द्वारा साक्ष्य छुपाकर संतान संबंधी घोषणा का झूठा शपथ–पत्र पेश कर नियुक्ति हासिल की है। मोहनलाल की तीसरी संतान की जन्मतिथि 26.01.2023 है, उक्त तथ्य को मोहनलाल द्वारा छिपाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक 825–833 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा अपचारी कर्मचारी श्री मोहनलाल गहन, कनिष्ठ सहायक को सेवा से पृथक करने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(68)लोआस/2023

परिवादी श्री बलराम पुत्र श्री महादेव, निवासी नराला की ढ़ाणी, ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि परिवादी की पुश्तैनी अविभाजित कृषि भूमि ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें परिवादी का लगभग 1/12 हिस्सा है, जिस पर कृषि की जाती है किन्तु अप्रैल, 2023 में भूमाफियाओं द्वारा सहखातेदारों से जमीन क्रय कर अवैध रूप से बिना विभाजन के उक्त भूमि पर गैर कृषि कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए अवैध रूप से धोखाधड़ीपूर्वक उक्त जमीन का नक्शा सृजित कर लिया है तथा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जेडीए प्रवर्तन अधिकारी, जोन–12 की टीम द्वारा दिनांक 10.08.2023 को अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए ग्रेवल सड़क, दीवार, मलबा इत्यादि को ध्वस्त करते हुए मौके पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(103)लोआस/2019

परिवादी श्री राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी, निवासी भवानी निकेतन, पूर्व गेस्ट हाउस के पास, सरदार शहर, जिला चूरू का अभिकथन था कि श्री आचार्य श्री रघुनाथ जी सम्पत्ति भूमि ट्रस्ट की भूमि को न तो विक्रय किया जा सकता है तथा न ही इसमें कोई कॉलोनी, दुकान इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है एवं न ही उक्त भूमि लीज पर दी जा सकती है। इसके उपरान्त भी उक्त भूमि का नियम विरूद्ध संपरिवर्तन किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती आशाराज पुरोहित को ट्रस्ट के द्वारा तथाकथित दी गई

किराये की भूमि का विधि–विरूद्ध भू–उपयोग परिवर्तन विधि–विरूद्ध होने के कारण भूमि संपरिवर्तन का आवेदन पत्र खारिज किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(12)लोआस / 2023

परिवादी सुश्री सीता माहेश्वरी पुत्री श्री रामनिवास बियानी, निवासी ट्रोमा अस्पताल के पास बालांजी कॉलोनी, तहसील दूदू, जिला दूदू का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(21)लोआस / 2023

परिवादी श्री हाफिज खां पुत्र श्री फतेह मोहम्मद खां, निवासी खानजादों का मौहल्ला, मुकाम पोस्ट कुचामन सिटी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(27)लोआस/2023

परिवादी श्री बाबूलाल खोखर पुत्र श्री चौखाराम खोखर, निवासी ग्राम पोस्ट तिलवासनी वाया भावी तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह सितम्बर 2024

एफ 3(115)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती नाती बाई पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी तेजो का वास, पुलिस थाना बेकरीया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर का अभिकथन है कि जब वह फसल की बुआई कर रही थी तो आरोपीगणों द्वारा उन्हें मारने का प्रयास किया गया। जिसमें चुन्नी बाई के फ्रेक्चर हो गया। इस घटना को लेकर रिपोर्ट पंजीयन करवाई गई, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट पंजीयन करने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रकरण संख्या 93/2022 में आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(155)लोआस/2021

परिवादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री निहालचंद, निवासी चक 2 एम एस आर, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन है कि प्रथम सूचना संख्या 01/2019, पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में चिकित्सकीय रिपोर्ट में गलत रूप से रिपोर्ट दिये जाने व गलत अनुसंधान किये जाने के कारण दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में मुल्जिम निहालचंद व मुल्जिमा इंद्रा देवी के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. तथा मुल्जिम सुरेन्द्र के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 316 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पंजीयन एस.बी. क्रिमीनल मिस0 पिटीशन संख्या 6460/2019 में आरोपी निहालचंद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जमानत मुचलके प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया। निहालचंद के अलावा शेष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डॉ. रितिका पारीक, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण में आरोप–आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर डॉ. पारीक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(251)लोआस/2023

परिवादी सुश्री रूपल धाकड़ पुत्री श्री चन्द्र प्रकाश धाकड़, निवासी वार्ड नम्बर 2, भगत सिंह कॉलोनी, केशवराय पाटन, जिला बूंदी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

285/23 पुलिस थाना केशवराय पाटन में अनुसंधान अधिकारी पर निष्पक्ष अनुसंधान नहीं करने के आरोप अंकित किये।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में पुलिस थाना केशवराय पाटन में अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354ए, 354ग, 354घ, 384, 506 सपठित धारा 120 भा.दं.सं. में पंजीयन कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान में प्रकरण में रघुवीर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354ए, 354ग, 354घ, 384, 506 भा.दं.सं. का आरोप प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 30.01.2024 को न्यायालय एसीजेएम केशवराय पाटन में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 7(4)लोआस/2023

परिवादी श्री मोहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान कुरेशी, निवासी वार्ड नम्बर 35, मोमिनपुरा माताभर रोड़, मकराना, जिला नागौर का अभिकथन है कि नागौर में मुस्कान बानो पुत्री मोहम्मद शरीफ को अपात्र होते हुए भी नियमविरूद्ध तरीके से उचित मूल्य की दुकान का आवंटन कर दिया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुश्री मुस्कान बानो पुत्री श्री मोहम्मद शरीफ के राशन कार्ड की जांच करने पर उसका पता माताभर रोड़, वार्ड नम्बर 32 मकराना का पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सुश्री मुस्कान बानो के अपात्र पाये जाने के कारण इनका प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया और वर्तमान में उचित मूल्य की दुकान का चार्ज श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थाई रूप से दे दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 10(21)लोआस/2023

परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री देवकरण मीणा निवासी खजुरी, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन है कि अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भीलवाड़ा द्वारा 1,68,000/– रूपये की राशि रोकी हुई है, कोई सहायता नहीं की जा रही है।

इस संबंध में सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की रोकी गई राशि 1,68,749/– रूपये को रिलीज किये जाने की अभिशंषा की गई, जिसके क्रम में परिवादी मै0 श्याम इलेक्ट्रीकल्स प्रोपराइटर श्री रामप्रसाद मीणा को उनके बिलों की रोकी गई राशि 1,68,749/– रूपये का भुगतान निगम द्वारा कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(14)लोआस/2024

परिवादी श्री कृष्णमुरारी व अन्य, निवासीगण ग्राम फिरोजपुरा, पोस्ट मण्डावरा, तहसील उनियारा, जिला टोंक का अभिकथन है कि ग्राम फिरोजपुर की चारागाह भूमि में गांव के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फिरोजपुर में स्थित चारागाह भूमि में स्थित प्रश्नगत खसरा नंबरान पर किये गये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीयन की गई, जिसका निर्णय न्यायालय, नायब तहसीलदार सोप द्वारा कर शास्ति कायम की गई व बेदखल के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में अतिक्रमियों से शास्ति वसूल कर मौके से बेदखल किया जा चुका है। प्रश्नगत खसरा नंबरान से अतिक्रमण हटा दिया गया है तथा वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(82)लोआस/2023

परिवादी श्री शिवचन्द सिंह पंवार पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी बावड़ीखेड़ा, ग्राम पंचायत काछोला हाल निवासी हिण्डोली, जिला बूंदी का अभिकथन है कि ग्राम बावड़ीखेड़ा की सरकारी भूमि व विद्यालय के खेल मैदान की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मिलीभगत कर हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बावड़ीखेड़ा में विद्यालय खेल मैदान के लिए आवंटित भूमि के संदर्भ में तहसील कार्यालय के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 281 की 1 बीघा सिवायचक भूमि से अतिक्रमी रामप्रसाद का अतिक्रमण जेसीबी मशीन द्वारा भौतिक रूप से हटाया गया तथा बाल–डोल को नष्ट किया गया एवं खसरा नम्बर 2789/281 से भी डोल को समतल कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया व अतिचारी को पाबंद किया गया कि विद्यालय की दक्षिणी–पश्चिमी भूमि व खसरा नम्बर 281 की बीच ऊंचाई पर बने हुए डोल पर पुनः अतिक्रमण न करें। वर्तमान में स्कूल भवन को आवंटित भूमि व खसरा नम्बर 281 पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(395)लोआस/2022

परिवादी श्री सज्जन सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर, निवासी ग्राम धपावन कलां, तहसील बसवा, जिला दौसा का अभिकथन है कि खसरा नम्बर 61 गैर मुमकिन रास्ता तथा लगभग 15 बीघा चारागाह तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। परिवादी ने उक्त अतिक्रमण हटवाये जाने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चारागाह भूमि व गैर मुमकिन रास्ते पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया गया एवं रास्ता चालू करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(56)लोआस/2023

परिवादी श्रीमती वीरपाल कौर पत्नी श्री निरंजन सिंह, निवासी ग्राम 3 एलएल, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन है कि प्रार्थिया के ससुर द्वारा ग्राम पंचायत 5 एलएल में मनरेगा योजना में श्रमिकों के फर्जी हाजरी लगाने एवं उनके परिवार को रोजगार नहीं दिये जाने की शिकायत जिला परिषद में की गई जिस पर जिला परिषद द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को यह निर्देश जारी किये गये कि प्रार्थिया के ससुर को मनरेगा में नियोजित कर 100 दिवस पूर्ण करवाए एवं प्रार्थिया को ग्राम पंचायत 5 एलएल मेट कार्य में नियोजित किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त आदेश के उपरांत भी रंजिशवश एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती वीरपाल कौर को मेट नियोजित कर नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 2000/– रूपये, कनिष्ठ सहायक द्वारा 1500/– रूपये शास्ति की राशि कार्यालय में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(70)लोआस/2021

परिवादी श्री भैराराम पुत्र श्री किशनाराम, निवासी सुवेरी सासण, ग्राम पंचायत निम्बों का गांव, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर का अभिकथन है कि मनरेगा में 'अपना खेत, अपना काम' योजना अन्तर्गत परिवादी के पिता श्री किशनाराम के नाम से 2017 में स्वीकृत टांका निर्माण, बकरी आश्रम भूमि समतलीकरण कार्य मेट से मिलीभगत कर फर्जी मस्टररोल भरकर सरकारी पैसों का गबन किया गया है।

इस संबंध में स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उद्योग भवन, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रमेश कुमार, सीटीए से गणना राशि 56,027/- रूपये की वसूली कर राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, जयपुर को दिनांक 19.04.2023 को जमा करवा दी गई है तथा उनकी सेवाएँ बर्खास्त की जाकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना, बालेसर में रिपोर्ट भी पंजीयन करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(155)लोआस/2018

परिवादी श्री महेन्द्र पुरी पुत्र श्री बृन्दावन पुरी, निवासी मठ पवेसुरा, पोस्ट कंचनपुर, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन है कि सम्पर्क पोर्टल पर राशन डीलर के विरूद्ध माह अक्टूबर, 2015 से दिसम्बर, 2015 के राशन गेहूँ के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर सचिव ने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोषी राशन डीलर श्री केदारनाथ शर्मा को निलम्बित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(214)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन है कि ग्राम पंचायत खांगटा के ग्राम विकास अधिकारी श्री रामपाल चौधरी द्वारा वर्ष 2019 में ''ब्राह्मणों की बेदी में सीसी रोड़ एवं मुण्डेलों की पोल तक नाली निर्माण कार्य'' में मौके पर कार्य करवाये बिना ही कुल 2,09,607/- रूपये का फर्जी

भुगतान उठाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच उम्मेदसिंह खोजा को नोटिस जारी कर राशि जमा कराने हेतु कहा गया है और उसके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र आदि भी जारी कर दिये गये है। रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत खांगटा की रसीद संख्या 52 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा वसूली गई राशि 42,617/– रूपये जमा करवा दिये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 31(19)लोआस/2023

परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ढ़ाणी श्योराणी, ग्राम पोस्ट देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि दिनांक 08.08.2023 को नवनिर्मित सार्वजनिक कुएं के विद्युत कनेक्शन के लिये डिमाण्ड लैटर विद्युत विभाग द्वारा एईएन के नाम जारी किया गया था किन्तु ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है।

इस संबंध में सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत सार्वजनिक कुएं की कनेक्शन पत्रावली का मांगपत्र दिनांक 08.08.2023 को जारी किया गया था, जिस पर पीएचईडी कार्यालय द्वारा लगभग 06 माह पश्चात दिनांक 25.02.2024 को मांग पत्र जमा करवाया गया तथा विविध कार्यादेश संख्या 212/32 दिनांक 15.04.2024 को जारी किया गया तथा विविध कार्यादेश की पालना के उपरांत एस.सी.ओ.नं. 46704/32 दिनांक 15.04.2024 को जारी कर कनेक्शन दिनांक 16.04.2024 को मीटर नं. 1163190 स्थापित कर कनेक्शन जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(34)लोआस / 2024

परिवादी श्री दीपचंद गुप्ता, निवासी ग्राम पांस्ट मंडोला, जिला बारां का अभिकथन था कि उन्होंने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 14 वर्ष 5 माह वाहन चालक के पद पर सेवा दी थी। दिनांक 01.12.2000 से 31.12.2012 तक परिवादी को पेंशन भी दी गई, किन्तु दिनांक 01.01.2013 से पेंशन विभाग, कोटा द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपचंद गुप्ता के पेंशन प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण करवाई जाकर, उसकी पेंशन पुनः चालू करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(93)लोआस / 2022

परिवादी श्री विनोद कुमार व्यास पुत्र स्व0 श्री पुखराज व्यास, निवासी ब्रह्मबाग जालोरी गेट, जिला जोधपुर का अभिकथन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् लीव इन्केशमेन्ट, ग्रेच्युटी, जीपीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, जोधपुर नगर निगम दक्षिण एवं कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके समस्त परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है तथा उसका पीपीओ एवं सीपीओ जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(123)लोआस/2022

परिवादी श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री तुलछाराम, निवासी ग्राम पोस्ट मदासर, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का अभिकथन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदासर, जैसलमेर की विकास एवं प्रबन्धन समिति की कई बैठकें की गई। ये बैठकें कोरम पूर्ति के अभाव में नियमविरूद्ध तरीके से हुई है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं जिला कलक्टर, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती सुमन लोहिया, तत्समय प्रधानाचार्य, राउमावि, मदासर, जैसलमेर एवं श्री भागीरथ राम विश्नोई, तत्समय व्याख्याता, राउमावि, मदासर, जैसलमेर को दोषी पाया जाने पर उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(9)लोआस/2024

परिवादी श्री वासुदेव प्रसाद मित्तल पुत्र श्री कल्याण प्रसाद मित्तल, निवासी सरमथुरा हाउस करौली रेलवे फाटक के पास, सालौदा, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(31)लोआस/2023

परिवादी श्री विनय कुमार जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन, निवासी स्मार्ट पॉईन्ट वाली गली, ज्योति कॉलोनी, देवली, जिला टोंक का अभिकथन है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अक्टूबर 2024

एफ 3(232)लोआस/2023

परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री देवकाराम, निवासी ग्राम पोस्ट नीमला, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा, हरियाणा का अभिकथन था कि उसके द्वारा मेडिकल विभाग में दी गई सूचना के आधार पर, मेडिकल विभाग द्वारा झोलाछाप डॉक्टर जगसीर सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 5/2024 पुलिस थाना तलवाड़ा झील में पंजीयन करवाई गई परन्तु पुलिस द्वारा गंभीर मामला होते हुए भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी जगसीर सिंह के विरूद्ध विधि अनुसार अन्तर्गत धारा 419, 420 भा.दं.सं. व 15(2) भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 के तहत अपराध में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(244)लोआस / 2019

परिवादी श्री लोकेश सिंह जादौन पुत्र श्री भीकम सिंह, निवासी रावेन्द्री विला, 49, नई कॉलोनी, जिला बूंदी का अभिकथन था कि नगर परिषद बूंदी के सभापति श्री महावीर मोदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बूंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हुई थी परन्तु उनमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के अन्तर्गत आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुर्ननिर्वाचन के लिये आयोग्य घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(88)लोआस / 2023

परिवादी श्री हरलाल पुत्र श्री नौलाराम, निवासी ग्राम गोठडा भूकरान, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर का अभिकथन था कि उसे अपने खेत में आने जाने के लिये उपखण्ड अधिकारी, धोंद के आदेशानुसार रास्ता दिलवाया गया था परन्तु उस पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया। परिवादी ने अतिक्रमण को हटवाकर दोषी कार्मिकों पर कार्यवाही करने का निवेदन किया।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार सीकर व ग्रामीणों की उपस्थिति में राजस्व कार्मिकों की टीम द्वारा परिवादी की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाया

जाकर आमजन की सहमति से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(247)लोआस/2023

परिवादी श्री कुलदीप सैनी व अन्य, ई–मित्र संगठन, डीग का अभिकथन था कि श्री हरिओम व्यास, सूचना सहायक व श्री गौरव भाटिया, सूचना सहायक, उपखण्ड कार्यालय, डीग द्वारा ई–मित्र संचालक श्री मुकेश गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा धमकियां दी गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, डीग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा कार्मिकगण श्री हरिओम व्यास व श्री गौरव भाटिया को मौखिक रूप से कड़ी चेतावनी देते हुए ई–मित्र संचालकों एवं आमजन से सद्व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी, डीग को प्रस्तुत पत्र में उक्त दोनों कार्मिकों के व्यवहार से संतुष्ट होने का कथन किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(67)लोआस/2019

परिवादी श्री असगर अली पुत्र श्री बाबू खान, निवासी ग्राम कायमपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, कायमपुरा के सचिव व पटवारी द्वारा आपसी मिलीभगत कर अनियमित प्रस्ताव तैयार कर विवादित भूमियों का गलत नामांतरण किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपों के संबंध में की गई जांच में श्रीमती सरिता इन्दौरिया,

तत्कालीन पटवारी को दोषी पाया गया और तदुपरान्त विभागीय जांच की जाकर आदेश दिनांक 16.02.2018 से दण्डित करते हुये दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–प्रथम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोषी कार्मिक योगेश पाण्डे, ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यालय के राजकाज क्रमांक 9031694 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(148)लोआस/2019

परिवादी श्री बाबूराम सुथार पुत्र श्री गिरधारी सुथार, निवासी ग्राम कुडा, पोस्ट पांचला, तहसील सांचौर, जिला जालोर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, नैनोल में सार्वजनिक शमशान भूमि हेतु आवंटित बजट में से बिना कार्य किये 1,28,525/– रूपये एवं 65,616/– रूपये फर्जी मस्टररोल भरकर उठा लिये गये है। इसी प्रकार चारागाह भूमि पर मौके पर कार्य हुए बिना ही 90,650/– रूपये का गबन कर लिया गया है।

इस संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने पंचायत समिति सांचौर के राजकोष में 66,905/– रूपये जो वसूली योग्य थे, जमा करवा दिये गये है तथा श्री गफूर खान, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से वसूली राशि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(189)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड रोड नान्दडी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि श्री प्रदीप मेहला, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भोपालगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत खांगटा निवासी उमाराम रियाड एवं मांगीलाल पुत्र श्री गेपरराम की नियम विरूद्ध 2013 से 2022 तक पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान कर सरकार को हजारों रूपयों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री उमाराम द्वारा पेंशन की राशि 10,500/– रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवा दिये गये तथा प्रार्थी की उक्त योजनान्तर्गत पेंशन की कोई भी राशि विभाग में बकाया नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(225)लोआस/2019

परिवादी श्री महावीर सिंह राजपूत पुत्र श्री नाथूसिंह राजपूत, निवासी ग्राम बागडोली, तहसील बौली, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत बागडोली, तहसील बौली में वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड़ व इन्टरलोकिंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इस कारण मौके पर सड़कें खराब भी होने लगी है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोषी कार्मिक श्री हेमराज मीना, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, बागडोली को पंचायत समिति बौली द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से एवं श्री मनोज कुमार जोरवाल, तत्कालीन ग्राम विकास

अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनियमित भुगतान की गई राशि 11,340/– रूपये भी जमा कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(446)लोआस/2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड रोड नान्दडी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति, पीपाड़ शहर में फर्जी जॉबकार्ड बनाकर भुगतान उठाये गये हैं। इस संबंध में लोकपाल, महात्मा गांधी मनरेगा, जिला जोधपुर द्वारा परिवाद संख्या 60, 62, 93, 94, 105/2016 में पंचायत के तत्कालीन एवं वर्तमान सचिव, रोजगार सहायक आदि को दोषी पाया जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी किये गये है किन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपाड़ शहर द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री झुमर लाल, तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध पीडीआर एक्ट में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री बरकत अली, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांगटा से राशि 7846/– रूपये वसूल किये जा चुके है और श्री महीपाल पिचकीया, तत्कालीन ग्रामीण रोजगार सहायक से अस्थाई वेतन से राशि रूपये 7846/– की पूर्ण वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(190)लोआस/2022

परिवादी श्री साकेत सिंह भदौरिया पुत्र श्री रामेश्वर सिंह भदौरिया, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, नैनवां रोड़, जिला बूंदी का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 49 के मार्ग संख्या 3 में गुरूकृपा किराना स्टोर के सामने वाली गली में काफी चौड़ी सरकारी भूमि पर गुमान सिंह सोलंकी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण प्रभारी, नगर परिषद द्वारा आयुक्त महोदय को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भी उसे अवैध अतिक्रमण माना गया परन्तु अतिक्रमण हटाने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस संबंध में उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (क्षेत्रीय), कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन से कार्यवाही करते हुए गुमानसिंह सोलंकी के घर के बाहर दरवाजे पर बने हुए रेंप को तोड़ दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(249)लोआस/2022

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री मदन लाल यादव, निवासी प्लॉट नम्बर 5, गणेश कॉलोनी, हनुमान ट्यूबवैल कम्पनी के पास, एयरपोर्ट सर्किल, थाना सांगानेर, टोंक रोड़, जिला जयपुर ने बिना लाईसेंस के संचालित गुडलक मीट शॉप, इण्डिया गेट, सीतापुरा, जयपुर को स्थाई रूप से बन्द करवाये जाने का अनुरोध किया।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुडलक मीट शॉप स्थाई रूप से बन्द कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 19(8)लोआस / 2023

परिवादी श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि औद्योगिक क्षेत्र ग्राम कुकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या ए–01, ए–20, ए–04, ए–08, ए–11, ए–130, ए–140, ए–141, बी–24 जो कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था जिन पर वाणिज्यिक उपयोग में संचालन किया जा रहा है। अतः आवासीय भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले आवंटियों के आवंटन निरस्त करवाये जावें।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में 6 भूखण्डों के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है तथा 03 भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधि का संचालन बन्द हो जाने के कारण उनका आवंटन निरस्त नहीं किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(116)लोआस / 2023

परिवादी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री अणदाराम भील, निवासी गोदन, तहसील आहोर, जिला जालौर का अभिकथन था कि उसके पति श्री अणदाराम की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गयी थी। उस समय वह गर्भवती थी जिस कारण उसने देरी से जिला कलक्टर को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया। परिवादी ने प्रकरण में शिथिलता दिलवाते हुए उसके चार छोटे बच्चों के जीवनयापन हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत करवाये जाने की प्रार्थना की है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी से प्राप्त आवेदन में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति की पालना में उसे मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत नियमानुसार एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(23)लोआस/2023

परिवादी श्री इन्दरमल जैन पुत्र श्री पांचुलाल जैन, निवासी बाकलीवाल हाउस, पुलिस थाने के पास, पुरानी टोंक, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र में अंकित अवशेष राशि रूपये 2,99,624/– का भुगतान दिनांक 07.05.2024 को कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

माह नवम्बर 2024

एफ 3(10)लोआस/2023

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़ नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा एफआईआर संख्या 108/2022 पुलिस थाना पीपाड़ शहर में इस आशय की पंजीयन करवाई गई थी कि ग्राम पंचायत खांगटा के सरपंच कैली देवी, सचिव रामनिवास प्रजापत द्वारा एकराय होकर धोखाधड़ी कर, कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर, स्वयं को सदोष लाभ व सरकार को हानि पहुंचाने के लिये आपराधिक न्यासभंग कर तथाकथित श्रमिक कमल किशोर को एक ही तिथि में दोहरा

भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की। उक्त एफआईआर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा सिर्फ परिवादी के बयान लेने के अतिरिक्त अभी तक अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया गया है और प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा न्यायालय में पेश नहीं किया गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में बाद अनुसंधान किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने पर मामला एफआर अदम वकू (झूठ) का पाये जाने पर दिनांक 23.12.2023 को अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक में परिणाम दिया जाकर दिनांक 12.03.2024 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(324)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़ नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा एफआईआर संख्या 179 / 2022 पुलिस थाना पीपाड़ शहर में इस आशय की पंजीयन करवाई गई थी कि ग्राम पंचायत खांगटा के सरपंच कैली देवी, सचिव रामनिवास प्रजापत ने अपने पद पर रहते हुए कूटरचित मस्टररोल तैयार कर वित्तीय अनियमितता कारित की गई। उक्त एफआईआर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा सिर्फ परिवादी के बयान लेने के अतिरिक्त अभी तक अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया गया है और मुलजिमान से सांठगांठ कर जानबूझकर देरी की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179 / 2022 पुलिस थाना, पीपाड़ शहर में बाद अनुसंधान एफ.आर. एसीजेएम न्यायालय, पीपाड़ शहर में प्रस्तुत की गई। प्रकरण में नतीजा आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् अदालत में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं गलत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के कारण थानाधिकारी को रात्रि में अतिरिक्त गश्त करने की सजा दी गई।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 7(35)लोआस / 2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी प्लाट संख्या 39, खसरा संख्या 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नांदड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम खांगटा, पंचायत समिति, पीपाड़ शहर के राशन डीलर श्री अशोक कुमार को राशन वितरण में अनियमितता का दोषी पाये जाने के पश्चात् भी भी उनसे गबन राशि की वसूली नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री आशेक कुमार खांगटा से पीडीआर एक्ट के तहत कुल राशि 9190/– रूपये की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(30)लोआस / 2024

परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 01, मीणों का मौहल्ला, आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि बन्तलाब आमेर में मोतीकुआं स्थित सरकारी भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन पहाड़, गैरमुमकिन रास्ता व तालाब के नाम पंजीयन है पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में निर्मित बाउण्ड्रीवाल को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(110)लोआस / 2023

परिवादी श्री रोहिताश वर्मा पुत्र श्री भागीरथ वर्मा, निवासी ग्राम ढ़ाणी जोडली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि तहसीलदार, मालाखेड़ा,

अलवर के आदेश की अनुपालना में परिवादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.19 है0, 117/1059 रकबा 0.44 है0 कुल 0.63 है0 ग्राम अहमदपुर पर जरिये पुलिस इमदाद कब्जा नहीं दिया गया व पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी को खसरा नम्बर 116 रकबा 0.19 है, 117/1059 रकबा 0.44 है0 का कब्जा विधि अनुसार मौके पर संभला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(231)लोआस/2022

परिवादी श्री बीरबल सामोता पुत्र स्व0 श्री मंगलचन्द जाट, निवासी ग्राम जलालपुर, ग्राम पंचायत शिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि राजस्व ग्राम जलालपुर पटवार हल्का शिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर से चारागाह एवं गोचर भूमि/सरकारी भूमि में किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम जलालपुर में स्थित चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(269)लोआस/2023

परिवादी श्री शैतान सिंह सोलंकी पुत्र श्री लाल सिंह सोलंकी, निवासी ग्राम बागोल देसूरी, जिला पाली का अभिकथन था कि ग्राम बागोल में स्थित गोचर भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बागोल की गोचर कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को ग्राम विकास अधिकारी व पुलिस स्टाफ के द्वारा मौके पर जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(275)लोआस/2021

परिवादी श्री जलसिंह़ पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल, निवासी भांखरवाला, पोस्ट रामपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर का अभिकथन था कि राजस्व ग्राम गुढ़ा भांखरवाला के गैरमुमकिन रास्ता रकबा 0.06 है0 भूमि पर श्री सरजीत पुत्र श्री गुल्लाराम ने अतिक्रमण कर उनका रास्ता बन्द कर दिया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कर रास्ता चिन्हित कर प्रश्नगत अतिक्रमण जेसीबी की सहायता से हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(310)लोआस/2023

परिवादी श्री शंकरलाल देवासी पुत्र श्री भेराराम देवासी, निवासी चैनपुरा की ढ़ाणी, वार्ड संख्या 6, राईकों का बास बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4965 रकबा 7 बीघा गैरमुमकिन रास्ते पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिलाड़ा के नेतृत्व में मौका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार बिलाड़ा, पालिका अधिकारी/कर्मचारीगण की उपस्थिति में

पुलिस दल की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4965 रकबा 7 बीघा गैरमुमकिन रास्ता पर किये गये अवैध अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(392)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती राजरानी यादव पत्नी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव, निवासी 34, अल्कापुरी ए मुरलीपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि तहसील खण्डार के ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 799 / 503 व 800 / 503 गैरमुमकिन तलाई / तालाब पर गांव के हस्ट्रीशीटर सरपंच व लठैत रामचरण उर्फ मोटा गुर्जर ने कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है एवं एलआर एक्ट में बेदखली के आदेश के पश्चात् भी भी उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दौलतपुरा के गैरमुमकिन तलाई / गैरमुमकिन तालाब के अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया गया। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(404)लोआस / 2022

परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम मालासर, पोस्ट अमरसर, तहसील बीदासर, जिला चुरू का अभिकथन था कि तहसील बीदासर की उप तहसील कातर छोटी के ग्राम मालासर के खसरा नम्बर 209 के रकबा 21.9 है0 किस्म गैरमुमकिन औरण पर अतिक्रमण किया हुआ है और इसकी शिकायत अनेक स्तरों पर किये जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम मालासर, तहसील बीदासर, जिला चुरू की गैरमुमकिन औरण खसरा नम्बर 209 की भूमि में से 13 अतिक्रमियों के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(44)लोआस/2024

परिवादी श्री अब्बास अली पुत्र श्री कलिमुद्दीन रतलामी, निवासी जैन मंदिर के पीछे घाटोल, जिला बांसवाड़ा का अभिकथन था कि रमेश पाटीदार पदेन सचिव, ग्राम पंचायत दुकवाड़ा, पंचायत समिति गनोड़ा द्वारा मनरेगा योजना 2021–22 में मेटेरियल सप्लाई करने पर भुगतान नहीं किया गया, बेवजह परेशान किया गया एवं रिश्वत मांगी गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को वर्ष 2021–22 में लिये गये मेटेरियल सप्लाई का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(59)लोआस/2024

परिवादी श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री मोहन सिंह राव, निवासी 65, माताजी के मंदिर के पास, ग्राम मोगास, पोस्ट जालसु नानक, तहसील डेगाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि उनकी वृद्धवस्था पेंशन को ग्राम सेवक, ग्राम मोगास द्वारा भौतिक सत्यापन कराये जाने के पश्चात भी बंद कर दी गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पेंशन पोर्टल स्टेटस पर

पेंशन चालू है तथा पोर्टल अनुसार इनके पिछले भुगतान व नियमित भुगतान हेतु दिनांक 03.08.2024 को भुगतान प्रोसीड कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(206)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़ नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ़, जोधपुर के विरूद्ध ग्राम पंचायत खांगटा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत खांगटा निवासी पुखराज पुत्र श्री धन्नाराम लखरा के आयु के दस्तावेजों में नियमविरूद्ध कांटछांट कर वर्ष 2013 से 2022 तक की अवधि तक फर्जी पेंशन उठाने एवं विकास अधिकारी द्वारा उक्त पेंशन की स्वीकृति आदेश जारी करने संबंधी प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में खांगटा निवासी श्री पुखराज पुत्र श्री धन्नाराम लखरा से राशि 70,000/- रूपये की वसूली कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(225)लोआस/2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी प्लाट संख्या 124, लक्ष्मण नगर, सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था पंचायत समिति बावड़ी, जिला जोधपुर में नये राशनकार्ड जारी करते समय उपभोक्ताओं से शिक्षाकर वसूल कर सरकारी कोष में जमा नहीं करवाकर सरकार को लाखों रूपयों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। प्रत्येक उपभोक्ता से औसतन 70/- रूपये वसूले गये है। विकास अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के सचिवों को रसीद बुक दी गई थी तथा सचिवों द्वारा रसीद काटकर उपभोक्ताओं को दे दी गई

तथा राशि व रसीद बुक पंचायत समिति में जमा नहीं करवाई गई। विकास अधिकारी, सचिवों द्वारा राशि मिलीभगत कर आपस में बांट ली।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गिरधारी राम, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द व ग्राम पंचायत खिन्दाकौर की राशि क्रमशः 44,812/- रूपये एवं 39,300/- रूपये पंचायत समिति बावड़ी कार्यालय में जमा करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(229)लोआस/2021

परिवादी श्री इमीचन्द पुत्र श्री कानाराम, निवासी ग्राम खांटा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था ग्राम पंचायत खांटा में मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन योजना अन्तर्गत कार्य का नाम 2017-18/60191, 2017-18/60723 व 2017-18/60190 में अधूरा निर्माण, घटिया सामग्री व बिना निर्माण कार्य किये ही 20 लाख रूपये की सरकारी राशि का गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती मंजू भारी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत खांटा से वसूली राशि 12,112/- रूपये पंचायत समिति रायसिंहनगर कार्यालय में जमा की जा चुकी है एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनगोपाल कौशिक द्वारा 12,112/- रूपये पंचायत समिति द्वारा उनके ऐरियर बिल द्वारा कटौती कर ली गई है। इस प्रकार कुल वसूली राशि 24,224/- रूपये की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(246)लोआस/2023

परिवादी श्री भीमराज मीणा पुत्र श्री किशन मीणा, निवासी ग्राम अरियाली, ग्राम पंचायत करवर, जिला बूंदी का अभिकथन था कि उनके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत आवासीय प्लॉट की भूमि का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया था, परन्तु दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी लोकसेवकगण की लापरवाही के चलते पट्टा जारी नहीं किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत करवर द्वारा परिवादी श्री भीमराज मीणा को नियम 157(1) के तहत मिसल संख्या 161/24 से पट्टा संख्या 1015 जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(270)लोआस/2015

परिवादी श्री शंभूदयाल पुत्र श्री तेजाराम, निवासी ग्राम पोस्ट बिचगांवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि विगत कुछ वर्षों में सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लीली ने विकास अधिकारी, लेखाकार की मिलीभगत से एक करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान नियम विरूद्ध रूप से उन फर्मों को कर दिया जो फर्में ही मौजूद नहीं है। इससे राजकोष को भारी हानि हुई है।

इस संबंध में उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री जगदीश सैन, तत्कालीन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत हसनपुर सेवानिवृत्त हो चुके है एवं उनके विरूद्ध वसूलनीय राशि 7,21,761/– रूपये में से 1,65,000/– रूपये उनके वेतन से वसूल किये जा चुके हैं।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(295)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, खांगटा के ग्राम विकास अधिकारी श्री रामपाल चौधरी के विरूद्ध वर्ष 2020–21 में एसएफसी योजना के तहत कार्य का नाम ''खंदेडा के चारों तरफ तारबंदी कार्य'' पर मूल्यांकन राशि 3,79,559/– रूपये होने के पश्चात् भी राशि 4,18,260/– रूपये व्यय दिखाकर राशि 38,701/– रूपये का फर्जी भुगतान उठाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि 19,350/– रूपये राजकोष में जमा करा दिये गये हैं।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(406)लोआस/2018

परिवादी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम, निवासी वीपीओ खांटा, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खांटा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालयों की प्रोत्साहन राशि एवं बिना निर्माण के एक ही फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत के सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा अनियमितताएं की गई।

इस संबंध में उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में उत्तरदायी कार्मिक श्री महेन्द्रपाल, कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांटा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(447)लोआस/2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़ नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति, पीपाड़ शहर में फर्जी जॉबकार्ड बनाकर भुगतान उठाये जाने के संबंध में लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला जोधपुर द्वारा परिवाद संख्या 70/2013 में पंचायत के तत्कालीन एवं वर्तमान सचिव, रोजगार सहायक आदि को दोषी पाये जाने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा गबन की राशि वसूल करने हेतु आदेश जारी किये गये, परन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपाड़ शहर द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री महीपाल पिचकीया, तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खांगटा से उनके हिस्से की राशि 9,637/– रूपये की वसूली एवं श्री बरकत अली, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से उनके हिस्से की राशि 4,819/– रूपये की वसूली कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(449)लोआस/2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक 23.01.2018 से 25.06.2021 तक की अवधि में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ प्राप्त पोस्टल ऑर्डर की राशि ग्राम पंचायत की केशबुक में जमा नहीं करवाकर गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र एवं उनके संबंध में प्राप्त पोस्टल ऑर्डरों की संख्या का विवरण दिया गया है, जिसकी सम्पूर्ण राशि 340/– रूपये श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(648)लोआस/2017

परिवादी श्री हरिराम जाट पुत्र श्री टोडाराम, निवासी तारपुरा, पोस्ट खाखोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खाखोली के ग्राम सेवक श्री राजूराम कुमावत व ठेकेदार द्वारा मिलीभगत कर वर्तमान में 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के तहत स्वीकृत सी0सी0 ब्लॉक कार्यों में 46 मस्टररोल जारी किये गये हैं उन मस्टररोल को भौतिक रूप से श्रमिक नहीं लगाकर अपने हिसाब से एक ही दिन में भरकर भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्य सम्पादन ठेकेदार द्वारा मशीनों से करवाया जा रहा है, कार्य मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा है व घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विकास अधिकारी को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता नहीं पाये जाने पर उक्त प्रकरण में राशि 14,730/– रूपये की वसूली कर पंचायत कोष में जमा कर ली गई है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण करवाकर नये सी0सी0 ब्लॉक लगवा दिये गये है। प्रकरण में श्री नवीन शर्मा, ग्राम पंचायत खाखोली (कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर संविदा पर कार्यरत) से राशि 24,470/– रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा करवा दी गई है तथा श्री राजूराम कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी (तत्कालीन), ग्राम पंचायत, खाखोली,

पंचायत समिति मौलासर से राशि 24,470/— रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(251)लोआस/2022

परिवादी श्री रामकरण पुत्र श्री सुरजाराम, निवासी वार्ड नम्बर 1, अम्बेडकर नगर चुरू रोड़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा 2013 में राशि जमा कराने के पश्चात् भी आवासीय पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के भूखण्ड संख्या 53 का पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(26)लोआस/2021

परिवादी श्री शेर सिंह धाकड़ पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल धाकड़, निवासी 30ए, संजय नगर, जोशी मार्ग, झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि जेडीए के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके जेडीए जोन–6 में स्थित भौमिया नगर 100 फीट रोड़ पर भूखण्ड संख्या–2 व 3 के स्वामी के द्वारा सरकारी नाले को तोड़कर सड़क सीमा में किये जा रहे अवैध निर्माण तथा कालवाड़ रोड़ पर भूखण्ड संख्या 1 पर गौरी शंकर गुर्जर तथा राजेश गुर्जर द्वारा 7X40 फीट सड़क को खोदकर अवैध व्यावसायिक निर्माण शून्य सेटबैक पर भवन विनियम के विपरीत बिना पार्किंग छोड़े भवन का निर्माण कर लिया। इसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के पश्चात वर्णित भूखण्डों पर और कोई नया अवैध निर्माण नहीं किया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 32(2)लोआस/2022

परिवादिया श्रीमती सीमा पत्नी श्री धोकीराम, निवासी ग्राम भरूखीरा, पोस्ट कावनी, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि वर्ष 2021 में बाल विकास विभाग, ग्रामीण बीकानेर ने कार्यकर्ता के पद हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी पालना में परिवादिया के साथ एक अन्य अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता ने भी आवेदन किया। श्रीमती सुनीता रानी द्वारा शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रस्तुत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनका कार्यकर्ता के पद हेतु चयन कर लिया गया। इसकी शिकायत जिला कलक्टर, बीकानेर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, शोभासर को करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सुनीता रानी के शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज जांच में फर्जी पाये जाने पर श्रीमती सुनीता रानी, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केन्द्र भरूखीरा को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(75)लोआस/2023

परिवादी श्री घासीराम मीना पुत्र श्री भोरेलाल मीना, निवासी ग्राम कुण्डरोली, तहसील टहला, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम कुण्डरोली में खसरा नम्बर 374 की 0.14 हैक्टेयर बंजड़ भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु की गई एफआईआर में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर एवं पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुण्डरोली में स्थित खसरा नम्बर 374 की 0.14 हैक्टेयर किस्म बंजड़ (सिवायचक) पर अवैध अतिक्रमण को राजस्व टीम का गठन कर पुलिस जाप्ता के साथ जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(127)लोआस/2023

परिवादी श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, निवासी नरहरपुर, तहसील वैर, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया गया था। पुनः अतिक्रमण होने पर पुलिस थाना भुसावर में एफआईआर पंजीयन करवाई गई परन्तु पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा प्रश्नगत अतिक्रमण को चिन्हित कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग वैर को संभला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(7)लोआस/2024

परिवादी श्री सैयद अब्दुल वाजिद नकवी पुत्र श्री मोहम्मद अली, निवासी मौहल्ला सादात टोडा रोड़, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ की शेष राशि का भुगतान दिनांक 06.11.2024 को कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(11)लोआस/2024

परिवादी श्री गजराज सिंह राठौड़ पुत्र स्व0 श्री उम्मेद सिंह राठौड़, निवासी ग्राम दाबड़दुम्बा, टोडारायसिंह, केकड़ी का अभिकथन था कि उनके जीपीएफ खाता व राज्य बीमा पॉलिसी की कटौतियों की राशि के रिफण्डों के दावे आठ माह से रोक रखा है और उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के जीपीएफ खाता संख्या 437200 के अन्तर्गत सत्यापन के अभाव में शेष राशि 19,790/– रूपये का भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है तथा राज्य बीमा पॉलिसी संख्या 391922 के अन्तर्गत बीमा ऋण की बकाया ब्याज राशि 11,616/– रूपये व पैनल्टी राशि 2,962/– रूपये कुल राशि 14,578/– रूपये की नियमानुसार कटौती कर परिपक्वता राशि का भुगतान कर दिया गया है। अधिक प्रीमियम राशि पर देय ब्याज का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(16)लोआस/2023

परिवादी श्री सलीम अहमद पुत्र श्री चांद खां, निवासी टोडा रोड़ पुलिस के पास मौहल्ला सादात मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके जीपीएफ की अवशेष राशि 22066/– रूपये का भुगतान दिनांक 06.09.2023 को किया गया। अवशेष राशि का भुगतान ब्याज सहित आदेश दिनांक 26.02.2024 द्वारा राशि रूपये 67626/– का भुगतान किया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(22)लोआस/2023

परिवादी श्री समर्थ सिंह नाथावत पुत्र श्री नाथू सिंह, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, गली नम्बर 01, मुखर्जी पार्क के पास निवाई, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(24)लोआस/2023

परिवादिया श्रीमती आशारानी जैन पत्नी श्री इन्दरमल जैन, निवासी बकलीवाल हाऊस, पुलिस थाने के पास पुरानी टोंक, जिला टोंक का अभिकथन था कि वे राजकीय सेवा से शिक्षा विभाग, टोंक से सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति पर उन्हें जीपीएफ की राशि का कम भुगतान किया गया।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को कुल राशि रूपये 105032/– मय ब्याज का भुगतान दिनांक 30.07.2024 को कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

माह दिसम्बर 2024

एफ 3(47)लोआस / 2024

परिवादी श्री मीर सिंह पुत्र श्री दयानन्द पूनियां, निवासी ग्राम राजवीरपुरा तन जाखोद, तहसील सुरजगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 114/2024 पुलिस थाना सूरजगढ़ में दिनांक 15.04.2024 को करवाई गई थी जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी द्वारा पेश दस्तावेजों को रिकार्ड पर नहीं लिया जा रहा है। उसके गवाहान के बताये मुताबिक बयान पंजीयन नहीं किये जा रहे है और राजीनामें का दबाव बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 114/2024 पुलिस थाना सूरजगढ़ में सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त अतरसिंह, महादेवसिंह, श्रीमती राजबाला के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 506 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजगढ़ में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 3(343)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खांगटा के सरपंच कैली देवी, सचिव बरकत अली, कनिष्ठ लिपिक महीपाल पिचकिया, कनिष्ठ तकनीकी सहायक अभियंता रामनिवास पांगा व राजेश कुमार मीणा द्वारा सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी कर, कूटरचित बिल वाउचर, एमबी व श्रमिकों के मस्टररोल तैयार कर 42005/— रूपये का गबन कर लिया। उक्त एफआईआर में अनुसंधान अधिकारी द्वारा सिर्फ परिवादी के

बयान लेने के अतिरिक्त अभी तक अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। एफआईआर में नामजद जांच कमेटी के सदस्यों के बयान लेने के लिये बार–बार निवेदन किया जाने पर भी उनके बयान लेने के लिये आनाकानी की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान से मामले में एफआर न्यायालय में पेश की गई तथा प्रकरण में समय पर नतीजा पेश नहीं करने के लिए उत्तरदायी लोकसेवक भवानी सिंह व नरेन्द्र सिंह को उनकी लापरवाही के लिए सीसीए नियम 17 के तहत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 7(38)लोआस / 2018

परिवादी श्री हरीश कुमार फागना पुत्र श्री उमराव सिंह, निवासी मुकाम पोस्ट कालियास, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था उचित मूल्य दुकान, कालियास के लिए वर्ष 2016 में चयन के बाद भी जिला रसद विभाग, भीलवाड़ा के लिपिक राहुल माथुर, सत्यनारायण लड्ढ़ा व प्रवर्तन निरीक्षक की मिलीभगत से प्राधिकार पत्र नहीं दिया गया है।

इस संबंध में जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रश्नगत दुकान के कागजात की पूर्ति कराई जाकर उसे प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है। जिसमें परिवादी श्री हरिश कुमार फागना को उचित मूल्य की दुकान, ग्राम कालियास, पंचायत समिति कालियास, तहसील आसीन्द, भीलवाड़ा में आवंटित की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 8(32)लोआस/2023

परिवादी सुश्री आंचल शर्मा पुत्री श्री गोपालकृष्ण शर्मा, निवासी नगरपालिका के पीछे, मुकाम पोस्ट बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन 4380/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 की पालना नहीं करते हुए उसके पिता श्री गोपालकृष्ण शर्मा को राज्य सेवा में पुर्नस्थापन नहीं किया गया।

इस संबंध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निदेशालय के आदेश दिनांक 25.09.2024 के द्वारा राज्य सेवा में पुर्नस्थापित कर श्री गोपालकृष्ण शर्मा का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोहेड़ा, खण्ड बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पद पर कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(48)लोआस/2024

परिवादी श्री बजरंगलाल शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 14, तहसील नैनवां, जिला बूंदी का अभिकथन था उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4550 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का सीमाज्ञान हल्का पटवारी, नैनवां द्वारा किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की मौजूदगी में प्रश्नगत खसरा नम्बर के सीमाज्ञान की कार्यवाही संपादित की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(103)लोआस / 2023

परिवादी श्री रंगलाल गुर्जर पुत्र श्री सुजा गुर्जर, निवासी ओडासा, ग्राम पंचायत करनोस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम ओडासा की सम्पूर्ण सिवायचक एवं पहाड़ी भूमि पर लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत करने पर भी इसे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के अन्तर्गत पंजीयन प्रकरणों में अतिक्रमियों के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार पीसांगन के बेदखली आदेश की पालना में बेदखली की कार्यवाही की जाकर अस्थाई निर्माण को हटवाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(109)लोआस / 2023

परिवादी श्री सत्यनारायण भाणी पुत्र श्री भंवरलाल भांणी, निवासी बाधसुरी, तहसील नसीराबार, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम बाधसुरी, लक्ष्मीपुरा के खसरा नम्बर 3486, 4877 / 3783, 4878 / 3783, 3479 / 4430 पर प्रभावशाली लोगों द्वारा पक्का निर्माण, कंटीली झाड़ियां व पत्थर डालकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय, तहसीलदार, नसीराबाद में भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत पंजीयन प्रकरण में निर्णय की पालना में राजस्व टीम द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बाधसूरी सहित अन्य पंचायत सदस्यों व ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में प्रश्नगत रकबा तकरीबन 06 है0 चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(154)लोआस / 2013

परिवादी श्री रामहेत पुत्र श्री शिब्बूराम, निवासी ग्राम सिरसौंदा, पोस्ट दौरदा, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम रूपबास में उसके परिजनों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा में से अवैध रूप से काटी गई 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि को परिवादी व उसके परिजनों के नाम पंजीयन किये जाने व लोकसेवक के द्वारा विधि–विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री बालकृष्ण तिवारी, आरएएस के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(154)लोआस / 2023

परिवादी श्री शम्भुलाल व अन्य, निवासी ग्राम बारेठपुरा, ग्राम पंचायत नेगड़िया, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम बारेठपुरा पटवार हल्का नेगड़िया आसीन्द की चारागाह और बिलानाम भूमि से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बारेठपुरा पटवार हल्का नागड़िया की चारागाह खाता संख्या 113 रकबा 24.64 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 रकबा 28.64 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 रकबा 28.75 हैक्टेयर एवं बिलानाम भूमि खाता संख्या 01 रकबा 25.67 हैक्टेयर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को जेसीबी से हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(194)लोआस/2022

परिवादी श्री बाबूसिंह पुत्र श्री मगसिंह, निवासी ग्राम पराखिया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली का अभिकथन था ग्राम पराखिया में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 192/4 पर अप्रार्थीगणों द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के निर्णय उपरांत भी रेवन्यु इन्सपेक्टर एवं हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण हटवाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों मय पुलिस जाप्ता के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मौके पर श्री अगमसिंह, विजयसिंह, हड़मतसिंह, नरेन्द्रसिंह, देवी सिंह, उगमसिंह पुत्र भीखसिंह के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या एलआर/3463/2023 विचाराधीन होने व स्थगन आदेश जारी होना अवगत करवाया गया। शेष अतिक्रमी रूपसिंह सहित अन्य 10 अतिक्रमियों के अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटवाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(204)लोआस/2023

परिवादी श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री कालूराम यादव, निवासी बारेड़ा, तहसील निवाई, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम बारेड़ा के खसरा नम्बर 121/1, 121/2 तथा 66/1 की चारागाह/सिवायचक की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के मौके पर पहुंचकर सीमाएं नापकर, इन्हें चिन्हित किया गया तत्पश्चात् सरपंच, ग्राम पंचायत बस्सी, ग्राम विकास अधिकारी व

ग्रामीणों की उपस्थिति में उनके सहयोग से अतिक्रमण हटवा कर, श्मशान भूमि पर जाने वाले रास्ते को खुलवाया गया तथा भूमि को ग्राम प्रशासन को सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(241)लोआस / 2023

परिवादी श्री गोपालराम पुत्र श्री गीगाराम, निवासी मुकाम पोस्ट जुराठड़, जिला सीकर का अभिकथन था कि चारागाह भूमि खसरा नम्बर 114 व खसरा नम्बर 1475 / 108 व राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपुरा की ढ़ाणी तन जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 114 गैरमुमकिन चारागाह के आंशिक भाग पर चिपते हुए काश्तकार रामेश्वर द्वारा पत्थर के खुंटे गाड़कर तारबंदी की हुई थी, जिसे सम्पूर्ण हटा दिया गया एवं खसरा नम्बर 1475 / 108 गैरमुमकिन चरागाह के चिपते पड़ौसी काश्तकार सागरमल ने आंशिक भाग पर पत्थर के खुंटे गाड़कर तारबंदी की हुई थी, जिसे गठित राजस्व टीम के सहयोग से सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटवाया जाकर भूमि के चिपते काश्तकारों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु वर्तमान में पाबन्द किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(42)लोआस / 2024

परिवादी श्री गोरधन शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 7, नैनवां, जिला बूंदी का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत कोरमा, तहसील नैनवां में देवनारायण मंदिर के पास विधायक कोष में निर्मित सामुदायिक भवन का दो वर्ष पूर्व सात लाख अस्सी हजार रूपये की लागत से निर्माण किया गया। परिवादी ने जेईएन के कहने पर मंदिर की मरम्मत का कार्य किया तथा जेईएन ने मंदिर में किये गये मरम्मत की लागत

का भुगतान करवाये जाने का आश्वासन दिया। काम पूर्ण होने पर जेईएन द्वारा 20 प्रतिशत कमीशन मांगा गया जो नहीं देने पर किये गये काम की कम एम.बी. भरकर परिवादी को नुकसान पहुंचाया गया। परिवादी ने कार्य का पूरा भुगतान दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के संबंध में संवेदक राधेमोहन कन्स्ट्रक्शन द्वारा मूल्यांकन राशि अनुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खानपुरा को सहमति पत्र के साथ बिल प्रस्तुत किया गया जिसका ग्राम पंचायत खानपुरा द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(47)लोआस/2022

परिवादी श्री विनोद मूण्ड पुत्र श्री भानीराम मूण्ड, निवासी चक 3, एसपीडी खेदासरी, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि ग्राम चक 3 एसपीडी के वार्ड संख्या 05 में जून–जुलाई, 2021 में सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य में परिवादी के घर के आगे 3X14 फुट साइज की न तो किसी प्रकार की ईंटें लगाई गई और ना ही चौके लगाये गये है। परिवादी के घर के आगे 3X14 साइज का गड्डा छोड़ दिया गया है, जिससे परिवादी को घर में आने–जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को करने व मौका मुआयना करवाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में परिवादी के मकान के सामने सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(49)लोआस/2017

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पूसाराम चौधरी, निवासी प्लाट नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि श्री रामनिवास प्रजापत, सचिव, ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर, जोधपुर ने ठेकेदार व अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके एमएलए लैण्ड योजना के तहत बनने वाली विभिन्न सी0सी0 ब्लॉक की सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री, कम सामग्री लगाकर, फर्जी बिल बनाकर, तकमीने के विरूद्ध व ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 की अवहेलना कर सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री रामनिवास प्रजापत, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खांगटा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका प्रस्तुत कर वसूली राशि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। श्री बरकत अली, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रामचन्द्र जाखड़, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है। श्री सुखदेव सेंगवा, तत्कालीन सहायक अभियंता वर्तमान में सेवानिवृत्त हो जाने से उनसे वसूली राशि शेष रही है। श्रीमती कैली देवी, पूर्व सरपंच से उनके हिस्से की वसूली राशि की वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(57)लोआस/2022

परिवादी श्री ओमाराम बंजारा पुत्र श्री मंगलाराम बंजारा, निवासी ग्राम पोस्ट चोटिला, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली का अभिकथन था ग्राम पंचायत चोटिला, जिला पाली में वित्तीय वर्ष 2019–2021 तक के दौरान स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर द्वारा किये गये लेखों के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित पंचायत

समिति को प्रेषित कर वित्तीय अनियमितता के तहत वसूली राशि का चिन्हिकरण कर राजकोष में जमा करने के आदेश देने पर भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गबन की राशि राजकोष में जमा नहीं कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अंकेक्षण दल द्वारा जो अधिक व्यय की राशि की वसूली निकाली गई थी, उक्त राशि राजकोष में जमा करा दी गई है तथा प्रकरण में 16 कार्यों की माप पुस्तिका में इन्द्राज करवा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(60)लोआस/2023

परिवादी श्री विक्रम प्रसाद जाजड़ा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जाजड़, निवासी ग्राम पोस्ट तिवंरी, पंचायत समिति तिवंरी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत किशनासर, पंचायत समिति पांचू, जिला बीकानेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 से 2021 में किये गये कार्य/व्यय के संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग बीकानेर द्वारा की गई लेखा परीक्षा में पायी गयी भारी अनियमितताओं व गबन के संबंध में लेखा टीम द्वारा उक्त प्रतिवेदन जिला परिषद, बीकानेर को प्रेषित किया गया, परन्तु जिला परिषद द्वारा उक्त अनियमितताओं के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन द्वारा लगाये गये आक्षेप के तहत वसूली योग्य राशि 15,570/–, 850/–, 05/– रूपये संबंधित से वसूल कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(72)लोआस/2022

परिवादी श्री रामचन्द्र गोदारा पुत्र श्री हनुमान गोदारा, निवासी चक 7, एलएम पीओ 4 एलएम, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत 4 एलएम के पूर्व सरपंच के द्वारा वर्ष 2018 में वाटरवर्क्स 4 एलएम के मरम्मत एवं चारदीवारी से संबंधित कार्य स्वीकृत होने पर उक्त राशि उक्त कार्य के पेटे पंचायत खाते से आहरित करने तथा स्वीकृत कार्य के पेटे कोई राशि व्यय नहीं की है। पूर्व सरपंच श्रीमती सरला लेघा व ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती प्रवीण कुमारी ने मरम्मत कार्य के पेटे अधिक राशि व्यय की है जिसके लिए, यद्यपि नोटिस जारी किये गये, किन्तु वसूली नहीं हुई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्रीमती प्रवीण कुमारी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने राशि 98,370/– रूपये ग्राम पंचायत 4 एलएम के खाते में जमा करवा दिये है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(82)लोआस/2023

परिवादिया श्रीमती शकुन्तला परमार पत्नी स्व0 श्री लाखन सिंह, निवासी शिवनगर पोखरा वार्ड नम्बर 11, धौलपुर का अभिकथन था कि उनके पति लाखनसिंह की मृत्यु के पश्चात् सौतेले पुत्र द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर ली, जो वर्तमान में कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद, धौलपुर में कार्यरत है और परिवादिया का भरण–पोषण न कर उसे मारपीट कर परेशान कर रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री अतुल परमान, कनिष्ठ सहायक के

वेतन से माह जनवरी 2024 व फरवरी 2024 में से 50 प्रतिशत कटौति राशि 14,600/– रूपये का भुगतान परिवादिया के बैंक खाते में सीधे ही किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(96)लोआस/2022

परिवादी श्री दिलीप कुमार मीणा पुत्र श्री बिरीया मीणा, निवासी सामली पठार देवगढ़, जिला प्रतापगढ़ का अभिकथन था ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़ के विरूद्ध सरपंच की बिना जानकारी के सरपंच की एसएसओ आईडी के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी के एसएसओ आईडी पर बिना कार्य करवाये, बिना सामग्री सप्लाई किये फर्जी भुगतान कर 70 लाख रूपये की राजकीय राशि का गबन किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में लोकसेवक श्री भूपेश पाटीदार, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सामली पठार, पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं और उसके विरूद्ध पुलिस थाना देवगढ़ में आपराधिक प्रकरण संख्या 126/2022 भी प्रस्तुत किया गया है। दोषी लोकसेवक श्री पवन कुमार तलाईच, तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर निलंबित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(108)लोआस / 2022

परिवादी श्री कैलाश गिरी पुत्र श्री .जीत गिरी, निवासी ग्राम पोस्ट बरनेल, तहसील जायल, जिला नागौर का अभिकथन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे 2011 व 2018–19 में धांधली कर अपात्र लोगों के नाम आवास स्वीकृत कर दिये गये और असक्षम लोगों एवं अपने चहेते लोगों को आवास योजना का लाभ दे दिया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बरनेल की लाभार्थिया श्रीमती सुप्यार देवी के आईडी संख्या–आरजे 1174512 (वर्ष 2019–20 में दोहरे लाभ) की राशि वसूल कर इन्दिरा आवास योजना के स्टेट नोड बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर के खाते में नियमानुसार 1,20,000 / – रूपये जमा करवा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(167)लोआस / 2019

परिवादी श्री कांतिलाल उपाध्याय पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी ब्रहमपुरी मौहल्ला, सांतपुर, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत पाब (आबूरोड़), पंचायत समिति आबूरोड़, जिला सिरोही द्वारा भारत सरकार की योजना ''शौचालय निर्माण'' में भारी अनियमितता की जा रही है एवं प्रार्थना पत्र की शुल्क राशि का गबन किया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोषी कार्मिक श्री गोपीरमण अग्रवाल से पोस्टल आर्डर की बकाया राशि 90 / – रू. मय 18 प्रतिशत ब्याज की कुल राशि 300 / –रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करवाये जा चुके है तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाकर भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही न बरतने एवं

इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(228)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़ नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था ग्राम पंचायत खांगटा के ग्राम विकास अधिकारी श्री रामपाल चौधरी एवं सरपंच द्वारा वर्ष 2018–19 में कार्य का नाम ''बासनी चौराहा से जेठाराम पिचकिया के घर तक सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य'' पर सक्षम स्वीकृति के बिना फर्जी भुगतान उठाकर 3,99,927/– रूपये का सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वसूली राशि 3,054/– रूपये राजकोष में जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(250)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी मकान नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खांगटा के ग्राम विकास अधिकारी सुमेरराम मेघवाल, रामपाल चौधरी एवं सरपंच द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में मंगलाराम पिचकिया के घर से जेठाराम पिचकिया के घर तक सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य में सक्षम स्वीकृति के बिना

ही फर्जी भुगतान उठाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया और वित्तीय अनियमिततायें की गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से राशि 3,231/– रूपये वसूल कर राजकोष में जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(256)लोआस/2023

परिवादी श्री टेकचन्द मोची पुत्र श्री चम्पालाल, निवासी वार्ड नम्बर 10, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि पंचायत समिति हनुमानगढ़ एवं रावतसर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में हुए सामग्री आपूर्ति टेण्डर में दी गई सामग्री के बिलों एवं धरोहर राशि का भुगतान लम्बे समय से नहीं किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में ग्राम पंचायतों द्वारा धरोहर राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(258)लोआस/2020

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी प्लाट नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी बनोड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–18 में सरकारी की विभिन्न योजनाओं

के अन्तर्गत फर्जी मस्टरोल भरकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रूपयों का भुगतान उठाकर गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री बरकत अली, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रामनिवास कुम्हार, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण बकाया राशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(293)लोआस/2022

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत लीलैडा व्यासान, बूंदी के ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच द्वारा पदीय दुरूपयोग कर फर्मों की निर्माण सामग्री के बिलों का अवैध भुगतान कर राजकोष को हानि पहुचायी जा रही है।

इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर एवं वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में पायी गई अनियमितताओं के आधार पर ब्याज, शास्ति का आरोपण किया जा चुका है एवं उक्त फर्मों द्वारा देय सम्पूर्ण राशि/कर राशि राजकोष में जमा की जा चुकी है। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा कर राशि रूपये 9,558/–, ब्याज रूपये 8,030/– तथा शास्ति रूपये 1,434/– जमा करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(320)लोआस/2018

परिवादी श्री फरसाराम गोदारा पुत्र श्री नरसिंगाराम गोदारा, निवासी ग्राम धोलासर, पंचायत समिति लोहावट, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत पलीना, पंचायत समिति लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर के पूर्व ग्राम सेवक

श्री दिलीप कुमार एवं अन्य द्वारा वर्ष 2010–2015 में अनियमितता कर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री दलीप कुमार, तत्कालीन ग्राम सेवक से वसूली योग्य राशि 40,000/–रूपये की वसूली कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(383)लोआस/2022

परिवादी श्री डालु गुर्जर व अन्य पुत्र श्री रायमल गुर्जर, निवासी ग्राम सोजी का खेड़ा, ग्राम पंचायत जिन्द्रास, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत जिन्द्रास, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 753/641 रकबा 1.1400 है0 में से 0.87 है0 भूमि आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा आरक्षित की गई थी किन्तु ग्राम विकास अधिकारी/सचिव मुकेश कुमार रेगर व सरपंच सोहनलाल बैरवा द्वारा अनियमिततायें बरतते हुये स्थानीय लोगों के बजाय बाहर के लोगों को पट्टे जारी कर दिये गये, जिन पर उनके द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के विरूद्ध श्री कमलेश द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा में निगरानी प्रकरणों में पट्टों को निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(458)लोआस/2018

परिवादी श्री गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव देवली, तहसील देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत संथली, पंचायत समिति

देवली में विकास अधिकारी श्री अमित दाधीच द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम दो कार्यों की मस्टरोल भरकर राजकीय राशि का गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोहरे भुगतान की राशि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों से वसूल की जा चुकी है। प्रकरण में दोषी लोकसेवक श्री अमित दाधीच, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(477)लोआस/2017

परिवादी श्री हमीद खां पुत्र श्री जुम्मा खान, निवासी ग्राम बरई, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि ग्राम बरई के दो व्यक्तियों द्वारा विगत 4 वर्षों से पेंशन उठाई जा रही है जबकि उनकी उम्र अभिलेख में 46 वर्ष एवं 47 वर्ष है। अतः उनके द्वारा गलत तथ्यों पर पेंशन उठाकर राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री विनोद से 14,500/- रूपये एवं श्रीमती रामा से राशि 14,500/- रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(524)लोआस/2018

परिवादी श्री भंवर सिंह राजपूत पुत्र श्री चैन सिंह, निवासी पृथ्वीराजसिंह नगर, ग्राम पंचायत बामणु, फलोदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत बामणू

में भोमसिंह एवं महेन्द्र सिंह ने खसरा संख्या 462, पृथ्वीराज नगर में भवन निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत तीस–तीस हजार राशि प्राप्त की, परन्तु भवन निर्माण अन्यत्र स्थान खसरा संख्या 464 पर किया जा रहा है, जिसका राजस्व अपील प्राधिकरण न्यायालय, जोधपुर में वाद चल रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोनो लाभार्थीगण को जारी राशि क्रमशः तीस–तीस हजार रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करवा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 12(657)लोआस/2017

परिवादी श्री देवीराम रैगर पुत्र श्री पुन्नीराम रैगर, निवासी ग्राम भूखा, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि श्रीमती इन्द्रा देवी, सरपंच, श्री मुकेश बैरवा, श्री कालूराम मीना एवं श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम सेवक/सचिव, ग्राम पंचायत भूखा, तहसील मलारना डूंगर द्वारा ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 से 2017 दिसम्बर तक रिकॉर्ड का सही ढंग से संधारण नहीं किया गया, नियमित रूप से पंचायत की बैठक नहीं की गई, निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 एवं स्थानीय आदेशों/परिपत्र के निर्देशों की पालना व निविदा शर्तों का उल्लंघन कर कार्य किया गया, रोकड़ पुस्तिका सही रूप से संधारित नहीं की गई, निर्माण कार्य जो स्वीकृत हुए है जो जनहित में न करवाकर व्यक्तिगत करवाये गये एवं रास्ता दुरूस्ती का कोई कार्य नहीं करवाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में दोषी लोकसेवकगण श्री भूरसिंह मीना, कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 32,173/– रूपये एवं श्री मुकेश कुमार बैरवा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से 46,209/– रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(24)लोआस / 2023

परिवादी श्री मोहन किशन व्यास पुत्र श्री सूरजनारायण व्यास, निवासी चौपासनी स्कूल के सामने शिक्षक कॉलोनी, गली नम्बर 3, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर द्वारा पी.एल. राशि का भुगतान, सातवें वेतन आयोग की एरियर राशि, समर्पित अवकाश व डी.ए. वर्ष 2020–21 का भुगतान नहीं किया गया।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पी.एल. अवकाश, सातवें वेतन एरियर, जी.पी.एफ. का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(86)लोआस / 2023

परिवादी श्रीमती अनिता गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल, निवासी कॉलेज रोड़ फालना, जिला पाली का अभिकथन था कि कार्यालय नगरपालिका बाली, पाली द्वारा निविदा के तहत सामान सप्लाई हेतु जारी कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् अधिशाषी अधिकारी ने फर्म अवधेश एन्टरप्राइजेज के द्वारा सामान की आपूर्ति एवं किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया है।

इस संबंध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की फर्म मैसर्स अवधेश एन्टरप्राइजेज के द्वारा की गई सामान आपूर्ति एवं किये गये कार्य का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(128)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामप्रकाश अवस्थी पुत्र श्री सीताराम शर्मा, निवासी तिवाड़ी कॉलोनी, वार्ड नम्बर 27, सरकारी मर्दना अस्पताल के पीछे राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन

था कि वार्ड नम्बर 27, तिवाड़ी कॉलोनी, नगर पालिका राजगढ़ में तकमीना जारी किये जाने के पश्चात् वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर भी नाली का निर्माण नहीं करवाया गया है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत नाली निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(171)लोआस / 2023

परिवादी श्री लल्लूराम यादव पुत्र स्व0 श्री किशनाराम यादव, निवासी 334, भूरा पटेल नगर, चित्रकूट मार्ग, वैशाली नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्लाट नम्बर जे–63, टैगोर नगर, जे–ब्लॉक के पूर्व दिशा की ओर से 30 फिट रोड़ पर हुए अतिक्रमण को हटाकर आम रास्ते को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्लाट नम्बर जे–63, टैगोर नगर, जे–ब्लॉक, टैगोर नगर, जे–ब्लॉक के पूर्व दिशा की ओर से 30 फिट रोड़ पर श्री कमल चंद यादव व गणेश यादव द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। उक्त अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्यवाही कर झोटवाड़ा जोन भवन निर्माण शाखा व सतर्कता शाखा द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में उक्त आम रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(282)लोआस / 2022

परिवादी श्री मोहन पुत्र श्री हरद्वारी लाल, निवासी फ्रेण्डस कॉलोनी, मालवीय नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि इण्डेन गैस गोदाम, झालाना ग्राम में गोदाम

वाली रोड़ पर काफी समय से अवैध ठेलों व सब्जी मण्डी लगाने के संबंध में नगर निगम, जयपुर को शिकायत पंजीयन कराने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सतर्कता शाखा की अस्थाई टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर सामान जप्त करते हुए अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया गया व उक्त स्थल पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए मौखिक पाबंद किया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(396)लोआस/2018

परिवादी श्री नेमीचंद शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी 3/111, हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा भूखण्ड संख्या 111, शास्त्रीनगर आवासीय योजना, सवाईमाधोपुर के लिये आवेदन करने, समस्त राशि जमा करवा दिये जाने व समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दिये जाने के पश्चात् भी पट्टा जारी नहीं किया गया।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्लाट संख्या 111 को आवंटन कर पट्टा क्रमांक 506/61 दिनांक 05.04.2022 पंजीयन हेतु जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(3)लोआस/2024

परिवादी श्री आशीष चावला पुत्र श्री भूपेश चावला, निवासी 85 कैलाशपुरी, टोंक रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था प्लाट नम्बर 76, कैलाशपुरी, टोंक रोड़ में

भू–स्वामी द्वारा जीरो सेटबैक पर निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत जेडीए में किये जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पीछे के सेटबैक एरिया में किये गये अवैध निर्माण को भूस्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(197)लोआस / 2017

परिवादी श्री श्याम सिंह राणावत पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी मकान नम्बर 159 / 5, ''माँ भवन'', हनुमान कॉलोनी, शास्त्री नगर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था पटेल नगर योजना, भीलवाड़ा में आरक्षित भूमि में से राजस्थान पत्रिका कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित की गई भूमि 2000 वर्ग मीटर पर अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्माण नहीं किया गया।

इस संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पत्रिका को आवंटित भूमि में मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण के संबंध में अभियांत्रिकी शाखा की रिपोर्ट के अनुसार सेट बैक क्षेत्र से अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड पटेल नगर का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 23(18)लोआस / 2016

परिवादी श्री बाबू खां पुत्र श्री अलादीन खां, निवासी उनियारा, जिला टोंक का अभिकथन था सहायक अभियंता श्री कैलाश चन्द टेलर तथा कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग, उनियारा, जिला टोंक द्वारा रिश्वत लेकर गलवा बांध उनियारा की नहर की

किशन लाल को अतिक्रमण करवाकर दुकान–मकान बनवाया गया तथा नहर के अन्दर शौचालय की नालियां निकलवाई गई एवं नहर की सरकार भूमि को नष्ट करवाई गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विवादगस्त खसरा नम्बर 1204 व 1212 के सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित अतिक्रमण को नगरपालिका के सहयोग से हटवाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(57)लोआस/2022

परिवादी श्री अब्दुल खान पुत्र श्री दानू खां, निवासी ग्राम रामबास झोपड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम रामबास झोपड़ी में स्थित जोहड़ खसरा नम्बर 1092 पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण प्रकरण मे गठित राजस्व टीम व पुलिस जाप्ता के द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(2)लोआस/2024

परिवादी श्री दल्लाराम किरोड़ीवाल पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल, निवासी वार्ड नम्बर 9, आमसागर के पास टोडारायसिंह, केकड़ी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(8)लोआस / 2024

परिवादी डॉ0 नवीन सोनी पुत्र स्व0 श्री केसरीमल सोनी, निवासी सोनी सदन, सुभाष कॉलोनी, सुभाष मार्ग, सोजत रोड़, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(14)लोआस / 2024

परिवादी श्री बाबू खां पुत्र श्री बहादुर खां, निवासी ग्राम भालोट, पोस्ट बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(18)लोआस / 2024

परिवादी श्री देवेन्द्र कुमार कौशिक पुत्र श्री मोर मुकुट कौशिक, ई–163, यूआईटी कॉलोनी, प्रताप नगर, जिला जोधपुर का अभिकथन था उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(19)लोआस/2024

परिवादी श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री मोहम्मद, निवासी इमाम चौक ग्राम पोस्ट टोडारायसिंह, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(26)लोआस/2023

परिवादी श्री घासीलाल कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत, निवासी ग्राम पोस्ट पंवालिया, तहसील टोडारायसिंह वाया मालपुरा, केकड़ी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(33)लोआस/2023

परिवादी श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद यूसूफ, निवासी मुकाम पोस्ट जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(35)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री सूरजप्रकाश शर्मा, निवासी सुरज जी की गली छोटा बाजार सांभरलेक, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

विविध

- लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि
- सचिव की पदस्थापन अवधि
- लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा

विविध

लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त			
क्र स	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश,	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990

7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	07-03-2019
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	09.03.2021	निरन्तर

’ कार्यवाहक लोकायुक्त

उप–लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

सचिव की पदस्थापन अवधि

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री के.वी. शंकरन, IAS	20.09.1973	04.01.1974
2.	श्री एच.एस. रावत, IAS	21.01.1974	01.08.1977
3.	श्री टी.आर. अग्रवाल, IAS	04.12.1978	06.01.1981
4.	श्री एस.एन. मोदी, IAS	23.08.1983	31.03.1984
5.	श्री परमेश चन्द्र, IAS	31.03.1984	04.051984
6.	श्री ए.के. सिंह, RHJS	04.05.1984	24.11.1990
7.	श्री एस.एन. शाह, RHJS	24.11.1990	01.02.1992
8.	श्री हरबन्स लाल, RHJS	01.02.1992	06.05.1996
9.	श्री मनफूल राम, RHJS	06.05.1996	08.08.1999
10.	श्री प्रेमप्रताप सिंह, RHJS	06.01.2000	31.03.2002
11.	श्री भंवरु खां, RHJS	22.07.2002	06.01.2004
12.	डॉ. पदम कुमार जैन, RHJS	07.01.2004	12.01.2006
13.	श्री प्रकाश गुप्ता, RHJS	14.11.2007	22.12.2010
14.	श्री आर.के. बंसल, RHJS	19.01.2011	06.08.2012
15.	श्री पवन एन. चन्द्र, RHJS	18.04.2013	22.04.2014
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन, RHJS(R)	14.05.2015	28.03.2017
17.	श्री उमाशंकर शर्मा, RJS (DJ)	31.03.2017	15.10.2019
18.	श्री गौरी शंकर शर्मा, RJS (DJ)	01.04.2021	निरन्तर

लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा